मार्च, 2021
I.S.S.N. : 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक

श्री कमला कान्त
श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह

ISSN-2457-0478

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2021 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

मार्च, 2021 अंक - 3

प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक

असलम खान

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2021) 1 सि. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(2) के अधीन विवाह-विच्छेद (तलाक) की व्यवस्था की गई है । इसके अधीन पत्नी को विवाह-विच्छेद के मुख्यत: चार विशेषाधिकार प्राप्त हैं जिनके आधार पर वह जिला न्यायालय के समक्ष विवाह-विच्छेद की अर्जी प्रस्तुत कर सकती है । ये अधिकार केवल पत्नी को ही प्राप्त हैं जिनके अधीन पति विवाह-विच्छेद की अर्जी प्रस्तुत नहीं कर सकता : (i) पति द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखना - वर्तमान हिन्दू विवाह अधिनियम पत्नी के पक्ष को दृष्टिगत करते हुए अधिनियमित किया गया है जो बहुपत्नी प्रथा का समर्थन कतई नहीं करता है । इस उपबंध में यह शर्त रखी गई है कि जिस समय पत्नी विवाह-विच्छेद की अर्जी फाइल करेगी उस समय पति द्वारा किए गए दूसरे विवाह से बनी पत्नी जीवित होनी चाहिए । (ii) दूसरा आधार यह है कि कोई भी पत्नी ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक जीवन बिताने के लिए बाध्य नहीं है जो पत्नी के साथ बलात्संग या गुदा मैथुन करे या वह किसी पशु के साथ मैथुन करे । अप्राकृतिक मैथुन को हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन मान्यता नहीं दी गई है । ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पत्नी जिला न्यायालय के समक्ष विवाह-विच्छेद की अर्जी प्रस्तुत कर सकती है । (iii) तीसरा आधार यह है कि कोई न्यायालय किसी पत्नी के संबंध में भरण-पोषण की डिक्री यदि इस आधार पर पारित करता है कि पत्नी पति से अलग रहती है और अलग-अलग रहने की इस व्यवस्था को एक वर्ष का समय बीत जाता है जिसके दौरान पति-पत्नी के बीच कोई सहवास नहीं हुआ है तब ऐसी स्थिति में भी पत्नी विवाह-विच्छेद की अर्जी फाइल कर सकती है या यह जानना महत्वपूर्ण है कि विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित किए जाने के बाद भी पति पर भरण-पोषण की जिम्मेदारी ज्यों की त्यों बनी रहेगी । (iv) चौथा आधार यह है कि यदि पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु के पूर्व कर दिया गया है तब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व न्यायालय के समक्ष विवाह-विच्छेद की अर्जी प्रस्तुत कर सकती है । इस

अंक में वैवाहिक संबंधों से जुड़ा एक मामला **अन्नपूर्णी** बनाम **रीतेश** (2021) 1 सि. नि. प. 395 प्रकाशित किया गया है जिसका अवलोकन पाठकों के लिए इस विषय को समझने हेतु लाभकारी होगा ।

इस अंक में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अतिरिक्त अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं । इस अंक में सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

मार्च, 2021

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अजहर अली **बनाम** असम राज्य	338
अन्नपूर्णी **बनाम** रीतेश	395
अब्दुल जलील **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	305
आकाश ठाकुर और अन्य **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य	405
नागराजन **बनाम** अश्विन और एक अन्य	386
बी. ए. एस. देवी प्रसाद **बनाम** तेलंगाना सहकारी अधिकरण, हैदराबाद और अन्य	350
महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज द्वारा भागीदार श्रीमती सारिका गोयल (मैसर्स) **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	291
मौसमी सरकार **बनाम** सुभेन्दू सरकार	326
विश्व वैभव **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	281
हरीश पूनमचन्द मशरुवाला **बनाम** मोहनभाई गोविन्दभाई बानी	364
हेमंत कुमार सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	273

संसद् के अधिनियम

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 23

असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1935 (1935 का 9)

– धारा 3 [सपठित असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1935 का नियम 5] – मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुज्ञप्ति – अधिकार क्षेत्र की व्यापकता और सीमांकन – प्रत्यर्थी को याची के अधिकार क्षेत्र की अनुज्ञप्ति जारी किया जाना – प्रत्यर्थी को इस आधार पर अनुज्ञप्ति दी गई थी कि प्रश्नगत क्षेत्र में कोई भी मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार का कार्यालय नहीं है जबकि वहां याची कार्यरत है और उसकी अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है, अत: रजिस्ट्रार के रूप में प्रत्यर्थी की नियुक्ति हेतु असम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कायम नहीं रह सकती ।

अजहर अली बनाम **असम राज्य** 338

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और क्रय का विनियमन) अधिनियम, 1953

– धारा 15 और 22 [सपठित उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और क्रय का विनियमन) नियम, 1954 का नियम 5(5)] – याची/गन्ना उत्पादक के ग्राम का अन्य गन्ना क्रय केन्द्र से संबद्ध किया जाना – याची द्वारा अभ्यावेदन व्यक्तिगत रूप से दिया जाना – किसी गन्ना उत्पादक को व्यक्तिगत रूप से यह अधिकार नहीं होगा कि वह चीनी मिलों के आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्रों को चुनौती दे और यदि उसको इस बाबत कोई शिकायत है तो वह प्रश्नगत क्षेत्र की गन्ना उत्पादक सहकारी समिति

पृष्ठ संख्या

के माध्यम से ही शिकायत कर सकता है अन्यथा नहीं ।

अब्दुल जलील बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 305

चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102)

– धारा 19-क – प्रवेश – स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम – नई प्रवेश पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र का निष्पादन – पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् पुरानी प्रवेश पॉलिसी का लाभ लिए जाने का निवेदन – याचियों ने नई प्रवेश पॉलिसी के निबंधनों में राज्य के खर्च पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट अवधि के लिए राज्य में सेवा करने हेतु प्रतिभूति के रूप में अदिनांकित चैक बंधपत्र के साथ स्वेच्छया निष्पादित किए हैं, अत: वे पुराने प्रवेश पॉलिसी का लाभ नहीं ले सकते ।

आकाश ठाकुर और अन्य बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य** 405

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54)

– धारा 13 [सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 का नियम 8] – याची द्वारा औद्योगिक भूखंड का बैंक से नीलाम पर क्रय किया जाना – अंतरण पर आपत्ति – बैंक द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाना – पूर्ववर्ती स्वामी द्वारा भूखंड पर किए गए उत्पादन से संबंधित उत्पाद-शुल्क का संदाय न किया जाना – याची ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्रिम और अधिशेष रकम जमा कर दी, तत्पश्चात् बैंक ने विक्रय प्रमाणपत्र और विलेख यह अभिकथित करते हुए जारी किया है कि भूखंड सभी प्रकार के भारों से मुक्त है, ऐसी

पृष्ठ संख्या

स्थिति में याची/क्रेता उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए जिम्मेदार नहीं है, अत: बैंक याची को विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए बाध्य है ।

महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज द्वारा भागीदार श्रीमती सारिका गोयल (मैसर्स) बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 291

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 226 – याची द्वारा आनुकल्पिक अनुतोष का आश्रय न लिए जाने के आधार पर रिट याचिका खारिज किया जाना – यदि याची को आनुकल्पिक अनुतोष उपलब्ध है, तो उसकी रिट याचिका मात्र इस आधार पर गुणागुण पर निर्णीत नहीं की जा सकती कि न्यायालय ने दूसरे पक्ष को खंडन शपथपत्र फाइल करने का निर्देश दे दिया है ।

हेमंत कुमार सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 273

– अनुच्छेद 226 [सपठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 45] – परमादेश रिट – विशेषज्ञ की राय – दो विषयों में कम अंक दिए जाने पर याची/अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति किया जाना – पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद भी याची का आक्षेप बने रहना – द्वितीय पुनर्मूल्यांकन की ईप्सा – याची द्वारा द्वितीय पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई भी विनियम प्रस्तुत नहीं किया गया है और जब एक बार पुनर्मूल्यांकन कर दिया जाए तो अभ्यर्थी/याची की शिकायत समाप्त हो जानी चाहिए और किसी भी अभ्यर्थी को बार-बार पुनर्मूल्यांकन कराने का अधिकार नहीं है और न्यायालय भी परीक्षा विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हुए पुनर्मूल्यांकन के संबंध में दिए गए अधिनिर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकता ।

विश्व वैभव बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 281

पृष्ठ संख्या

– अनुच्छेद 227 और 228 – सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति – जब उच्च न्यायालय सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है, तो न्यायालयों में उच्च न्यायालय की वह न्यायपीठ भी सम्मिलित होगी, जो अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने वाली न्यायपीठ से निम्नतर स्तर की हो ।

हेमंत कुमार सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 273

– अनुच्छेद 265 – कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपित न किया जाना – याची द्वारा अभ्यापत्ति पूर्वक राशि इसलिए जमा की गई थी ताकि मामले की सुनवाई शीघ्र हो सके जबकि वह उस राशि के संदाय के लिए बाध्य नहीं था, अत: विधि प्राधिकार के बिना कोई भी राशि अधिरोपित नहीं की जा सकती अर्थात् धन का उद्ग्रहण, चाहे वह किसी भी रूप में या शुल्क के रूप में हो, विनिर्दिष्ट कानूनी उपबंध के बिना अनिवार्य रूप से नहीं किया जा सकता ।

महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज द्वारा भागीदार श्रीमती सारिका गोयल (मैसर्स) बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 291

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)

– आदेश 1, नियम 10 [सपठित तेलंगाना सहकारी समिति अधिनियम, 1964 की धारा 76 और 21-कक] – न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्ष का संयोजन – सहकारी संस्था की प्रबंध समिति के सदस्यों को संस्था के मामलों में कुप्रबंधन और दुर्विनियोजन के आरोपों के आधार पर निर्वाचन का सामना करने से दो वर्षों की निरंतर अवधि के लिए निरर्हित किया जाना, जिसके विरुद्ध सहकारिता अधिकरण के समक्ष अपील फाइल किया जाना – संस्था में 450 सदस्य हैं किंतु मात्र याची द्वारा अपील में पक्ष

पृष्ठ संख्या

के रूप में संयोजित किए जाने की ईप्सा किया जाना – याची संस्था का सदस्य होने के नाते अपनी वैयक्तिकता को खो देता है और उसको संस्था की तरफ से या व्यक्तिगत हैसियत में अपील का प्रतिवाद करने का स्वतंत्र रूप से कोई अधिकार नहीं है – याची अपील में आवश्यक पक्ष या उचित पक्ष नहीं माना जा सकता – उसको अपील में पक्षकार बनाए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती ।

बी. ए. एस. देवी प्रसाद बनाम **तेलंगाना सहकारी अधिकरण, हैदराबाद और अन्य** 350

– धारा 51, आदेश 39, नियम 1 – कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति – यथापूर्व स्थिति आदेश का अतिक्रमण किए जाने का अभिकथन – यथापूर्व स्थिति के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वादी पक्ष तथा प्रतिवादी पक्ष दोनों ही अपने-अपने भूखंडों की यथापूर्व स्थिति को बनाए रखेंगे न कि उन पर बने कारखाने के उपकरणों की स्थिति को, अत: मशीनरी से संबंधित पट्टा करार निष्पादित किए जाने से यथापूर्व स्थिति के आदेश का अतिक्रमण नहीं होता है ।

हरीश पूनमचन्द मशरुवाला बनाम **मोहनभाई गोविन्दभाई बानी** 364

हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (1956 का 32)

– धारा 6 [सपठित संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 8] – हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक – अप्राप्तवयों की अभिरक्षा – अप्राप्तवय बच्चों के नाना द्वारा अभिरक्षा का दावा किया जाना – नाना द्वारा समृद्धि का सबूत न दिया जाना

पृष्ठ संख्या

– अप्राप्तवयों के पिता के पास पर्याप्त साधनों का पाया जाना – प्रत्यर्थी-पिता अप्राप्तवय बच्चों का नैसर्गिक संरक्षक है और उसे ईटों के भट्टे से आमदनी होती है तथा उसके पास एक एकड़ भूमि भी है जबकि अपीलार्थी नाना ने अपनी आय साबित करने के लिए कोई भी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है अत: अप्राप्तवय बच्चों को उनके नैसर्गिक पिता की ही अभिरक्षा में दिया जा सकता है और निचले न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

नागराजन बनाम **अश्विन और एक अन्य** 386

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25)

– धारा 9 – दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु पति द्वारा वाद फाइल किया जाना – पति के पक्ष में डिक्री पारित किया जाना – पत्नी द्वारा डिक्री के विरुद्ध अपील – पति द्वारा पत्नी पर किए गए अभिकथित अत्याचार से संबंधित पत्नी द्वारा इत्तिला रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराना – अत्याचार का साबित न होना – अपीलार्थी/पत्नी ने यह दावा किया है कि उसे तारीख 9 अप्रैल, 2017 को उसके वैवाहिक गृह से निकाल दिया गया था फिर भी उसने तारीख 18 अप्रैल, 2017 को 9 दिन के विलंब से शिकायत दर्ज कराई और इस विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, साथ ही यह भी अविश्वसनीय है कि 24 मार्च, 2017 तक पत्नी से किसी भी धन की मांग नहीं की गई किन्तु दूसरे अवसर पर जब वह अपनी ससुराल आती है तो उसकी सास उससे अचानक धन की मांग कर लेती है जिसके संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराना मात्र एक कागजी कार्रवाई प्रतीत होती है, अत: ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/पत्नी

पृष्ठ संख्या

का कथन विरोधाभासी प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप निचले न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

मौसमी सरकार बनाम **सुभेन्दू सरकार** 326

– धारा 12(1)(क) – विवाह का शून्यकरण – पति द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि पत्नी ने विवाहोत्तर संभोग में सहयोग नहीं किया है – पत्नी का पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिन्ड्रोम (अंडाशय-विकार) से ग्रसित पाया जाना – याची-पत्नी के अंडाशय विकार से ग्रसित होने के कारण उसका मासिकधर्म अनियमित रहता है और वह संभोग में सहयोग नहीं कर पाती है और इस संबंध में पत्नी द्वारा खंडन भी नहीं किया गया है और विवाह का अर्थ पुरुष और महिला के बीच बंधन जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है अपितु एक-दूसरे के प्रति जीवनरक्षा के भाव को अगली संतानों तक बनाए रखना है, अत: पत्नी की पुनरीक्षण याचिका मंजूर नहीं की जा सकती ।

अन्नपूर्णी बनाम **रीतेश** 395

हेमंत कुमार सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

[2020 की विशेष अपील (त्रुटियुक्त) संख्या 1063]

तारीख 25 नवंबर, 2020

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति समित गोपाल

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 227 और 228 – सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति – जब उच्च न्यायालय सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है, तो न्यायालयों में उच्च न्यायालय की वह न्यायपीठ भी सम्मिलित होगी, जो अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने वाली न्यायपीठ से निम्नतर स्तर की हो ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 – याची द्वारा आनुकल्पिक अनुतोष का आश्रय न लिए जाने के आधार पर रिट याचिका खारिज किया जाना – यदि याची को आनुकल्पिक अनुतोष उपलब्ध है, तो उसकी रिट याचिका मात्र इस आधार पर गुणागुण पर निर्णीत नहीं की जा सकती कि न्यायालय ने दूसरे पक्ष को खंडन शपथपत्र फाइल करने का निर्देश दे दिया है ।

इस माननीय खंड न्यायपीठ द्वारा मामले के तथ्यों पर विचार नहीं किया गया, चूंकि यह न्यायपीठ द्वारा जिस प्रश्न पर विचार किया गया, वह संकीर्ण परिधि के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है । इस न्यायालय की एकल न्यायपीठ के समक्ष 2019 की रिट याचिका (अपील) संख्या 3553 में अंतर्वलित विवाद्यक मात्र इस सीमा तक सीमित है कि यदि विद्वान् एकल न्यायपीठ आनुकल्पिक अनुतोष के आधार पर रिट

याचिका की पोषणीयता के संबंध में आरंभिक आक्षेप उठाए जाने के समयबिंदु पर विचार करने के लिए अग्रसर हो गई थी और उसने मामले में गुणागुण पर खंडन शपथपत्र फाइल करने का आदेश पारित कर दिया था और तत्पश्चात् रिट याचिका को दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की सहमति से आनुकल्पिक अनुतोष की विद्यमानता के आधार पर खारिज कर दिया था, तो क्या विद्वान् एकल न्यायपीठ को ऐसा करने का अधिकार था । वर्तमान विशेष अपील विद्वान् एकल न्यायपीठ द्वारा तारीख 12 अक्तूबर, 2020 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई, जिसके द्वारा उपरोक्त रिट याचिका को आनुकल्पिक अनुतोष की विद्यमानता के आधार पर खारिज कर दिया गया और साथ ही अपीलार्थी-याची को यह अनुमति प्रदान की गई कि वह ऐसे आनुकल्पिक अनुतोष को, यदि उसके लिए सलाह दी जाए, प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं । विशेष अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी-याची के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि विद्वान् एकल न्यायाधीश रिट याचिका को आनुकल्पिक अनुतोष के आधार पर खारिज नहीं कर सकते थे और उनके द्वारा पारित तारीख 12 अक्तूबर, 2020 का आदेश कोई परिशीलन से ही त्रुटिपूर्ण है, जिसको वर्तमान विशेष अपील में आक्षेपित किया गया है । अत: यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश ऐसा आदेश है, जिसको मामले में पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों की सहमति से पारित किया गया, जिसके विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने का उपबंध उपलब्ध है । जहां तक उन निर्णयों का संबंध है, जिनका अवलंब अपीलार्थी-याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा लिया गया, वर्तमान मामले में अंतर्वलित विवाद में किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करते, चूंकि वे निर्णय न्यायालय की शरण लेने वाले व्यक्ति को उपलब्ध आनुकल्पिक अनुतोष की विद्यमानता के दौरान रिट याचिका की पोषणीयता के प्रश्न को संबोधित करते हैं । विधि की इस स्थिरीकृत स्थिति के बाबत कोई विवाद नहीं है कि आनुकल्पिक अनुतोष की उपलब्धता संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका को विचारार्थ ग्रहण किए जाने के प्रयोजनार्थ वर्जन नहीं है । (पैरा 9)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] 2013 (100) ए. एल. आर. 38 :
मोहनलाल बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 5

[2013] (2013) 16 एस. सी. सी. 607 :
दलजीत कौर और एक अन्य बनाम **मुख्तार स्टील प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य** ; 5

[2003] (2003) 6 एस. सी. सी. 465 :
उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम **गोकुलानंद जैना** ; 5

[1993] (1993) 2 एस. सी. सी. 327 :
एस. ए. खान बनाम **हरियाणा राज्य** ; 5

[1992] ए. आई. आर. 1992 इलाहाबाद 211 :
सुरेन्द्र राव बनाम **क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी, गोरखपुर क्षेत्र और अन्य** ; 5

[1992] ए. आई. आर. 1992 इलाहाबाद 331 :
सुरेश चंद्र तिवारी बनाम **जिला आपूर्ति अधिकारी और एक अन्य** ; 4

[1988] ए. आई. आर. 1988 इलाहाबाद 151 :
द मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया बनाम **बरेली विकास प्राधिकरण** । 4

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की विशेष अपील (त्रुटियुक्त) संख्या 1063.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत विशेष रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री प्रदीप कुमार (वरिष्ठ अधिवक्ता), प्रवीण कुमार, दामोदर सिंह और देवेन्द्र विक्रम सिंह

प्रत्यर्थियों की ओर से मुख्य स्थाई काउंसेल

आदेश

अपीलार्थी-याची की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री प्रवीण कुमार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान् स्थाई काउंसेल श्री राजीव सिंह, जो न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, को सुना ।

2. वर्तमान विशेष अपील 2019 की रिट (अपील) संख्या 3553 (**हेमंत कुमार सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**) में विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 12 अक्तूबर, 2020 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा रिट याचिका को आनुकल्पिक अनुतोष की विद्यमानता के आधार पर खारिज कर दिया गया और साथ ही अपीलार्थी-याची को यह अनुमति प्रदान की गई कि वह ऐसे आनुकल्पिक अनुतोष को, यदि उसके लिए सलाह दी जाए, प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

3. इस न्यायालय के समक्ष विवाद्यक मात्र इस सीमा तक सीमित है कि यदि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने आनुकल्पिक अनुतोष के आधार पर रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में आरंभिक आक्षेप उठाए जाने के समयबिंदु पर रिट याचिका पर विचार करने के लिए अग्रसर हो गए हैं और उन्होंने मामले में गुणागुण पर खंडन शपथपत्र फाइल करने का आदेश पारित कर दिया है और तत्पश्चात् उसी रिट याचिका को अन्य विद्वान् एकल न्यायाधीश पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की सहमति से आनुकल्पिक अनुतोष की विद्यमानता के आधार पर खारिज कर देते हैं तो क्या अन्य विद्वान् एकल न्यायाधीश को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त होगा । इस न्यायालय द्वारा वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार नहीं किया जा रहा है, चूंकि हम जिस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, वह संकीर्ण परिधि के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, जैसाकि ऊपर अभिकथित किया गया है ।

4. अपीलार्थी-याची के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि यदि विद्वान् एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष आनुकल्पिक अनुतोष की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में

आरंभिक आक्षेप उठाए गए एक बार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे उन आक्षेपों को मान्य ठहराने में असमर्थ हैं, तो अन्य विद्वान् एकल न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं होगा कि वे आनुकल्पिक अनुतोष की विद्यमानता के आधार पर रिट याचिका को खारिज करें । अतः, उक्त आदेश को हमारे समक्ष आक्षेपित किया गया है । अपीलार्थी-याची के विद्वान् काउंसेल ने अपने निवेदनों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया :–

"**(i) द मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया** बनाम **बरेली विकास प्राधिकरण**[1]

(ii) सुरेश चंद्र तिवारी बनाम **जिला आपूर्ति अधिकारी और एक अन्य**[2]

(iii) नरेन्द्र कुमार पांडेय बनाम **स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा मुख्य महाप्रबंधक : सेवा न्यायपीठ संख्या 757 वर्ष 1999**

(iv) उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम एस. एस. और अन्य : अपील (सिविल) संख्या 3202 वर्ष 2008 (एस. सी.)**

(v) जेनपेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम **आयकर उपायुक्त और एक अन्य : विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20728 वर्ष 2019**

5. इसके विपरीत विद्वान् स्थाई काउंसेल ने वर्तमान विशेष अपील का विरोध करते हुए दलील दी कि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने आरंभिकतः, जब उनके समक्ष मामला प्रस्तुत हुआ और आनुकल्पिक अनुतोष की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में आरंभिक आक्षेप उठाए गए, तब उन्होंने उन आक्षेपों पर विचार किया था किंतु मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गुणागुण पर

---

[1] ए. आई. आर. 1988 इलाहाबाद 151.

[2] ए. आई. आर. 1992 इलाहाबाद 331.

परीक्षण करने के लिए अग्रसर हो गए थे । उन्होंने आगे दलील दी कि तारीख 12 अक्तूबर, 2020 का आक्षेपित आदेश ऐसा आदेश है, जो दोनों पक्षों की सहमति से पारित किया गया और इसलिए इस आदेश को चुनौती विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय नहीं है । विद्वान् स्थाई काउंसेल की दलील कि सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं होती, के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया, जो निम्नलिखित हैं :–

(i) उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम **गोकुलानंद जैना**[1]

(ii) एस. ए. खान बनाम **हरियाणा राज्य**[2]

(iii) मोहनलाल बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[3]

(iv) सुरेन्द्र राव बनाम **क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी, गोरखपुर क्षेत्र और अन्य**[4]

(v) दलजीत कौर और एक अन्य बनाम **मुख्तार स्टील प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य**[5]

(vi) कुबेर सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (विशेष अपील संख्या 1124 वर्ष 2019)**

6. हमने पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

7. 2019 की रिट अपील संख्या 3553 (**हेमंत कुमार सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**) पर आरंभिकत: तारीख 7 मार्च, 2019 को विचार किया गया था और विद्वान् एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था :–

---

[1] (2003) 6 एस. सी. सी. 465.

[2] (1993) 2 एस. सी. सी. 327.

[3] 2013 (100) ए. एल. आर. 38.

[4] ए. आई. आर. 1992 इलाहाबाद 211.

[5] (2013) 16 एस. सी. सी. 607.

"यद्यपि विद्वान् स्थाई काउंसेल श्री जे. एस. बुंदेला ने इस आधार पर रिट याचिका की पोषणीयता पर आरंभिक आक्षेप उठाए हैं कि याची के पास कानूनी अपील फाइल करने का आनुकल्पिक अनुतोष उपलब्ध है, किंतु यह न्यायालय इस आक्षेप को मान्य ठहराने में स्वयं को असमर्थ पाती है चूंकि यह प्रकथन किया गया है कि यद्यपि जांच रिपोर्ट तारीख 23 अगस्त, 2013 को प्रस्तुत की गई थी, किंतु अनुशासनिक प्राधिकारी ने उसके छह वर्षों के पश्चात् आक्षेपित आदेश के माध्यम से अंतिम आदेश पारित किया ।

इसके अतिरिक्त, यह प्रकथन भी किया गया है कि वृहत्तर शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व कोई मौखिक जांच संचालित नहीं की गई थी ।

विद्वान् स्थाई काउंसेल ने इस याचिका में खंडन शपथपत्र फाइल करने के लिए छह सप्ताह का समय प्रदान किए जाने की प्रार्थना की, जो प्रदान किया गया । याची को उपरोक्त खंडन शपथपत्र फाइल किए जाने के पश्चात् प्रत्युत्तर शपथपत्र फाइल करने के लिए दो सप्ताह की अवधि होगी ।

तत्पश्चात् सूचीबद्ध हो ।"

8. तत्पश्चात् उक्त रिट याचिका को आनुकल्पिक अनुतोष की विद्यमानता के आधार पर खारिज कर दिया गया और याची-अपीलार्थी को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह उक्त अनुतोष प्राप्त कर सकता है, यदि उसको इसके लिए सलाह दी जाती है और तारीख 12 अक्तूबर, 2020 को पारित आदेश निम्नलिखित है :–

"याची के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री प्रदीप कुमार ने निष्पक्षता के साथ स्वीकार किया कि मामले को खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल किए जाने का उपबंध उपलब्ध है ।

रिट याचिका आनुकल्पिक अनुतोष की विधिमान्यता के आधार

पर खारिज की जाती है । याची को यह अधिकार है कि वह उक्त आनुकल्पिक अनुतोष प्राप्त करे, यदि उसको इसके लिए सलाह दी जाती है ।"

9. अपीलार्थी-याची के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि विद्वान् एकल न्यायाधीश रिट याचिका को आनुकल्पिक अनुतोष के आधार पर खारिज कर ही नहीं सकते थे और उनके द्वारा पारित तारीख 12 अक्तूबर, 2020 का आदेश परिशीलन करने से ही त्रुटिपूर्ण है, जिसको वर्तमान विशेष अपील में आक्षेपित किया गया है, अत: यह स्पष्ट है कि वह आदेश ऐसा आदेश है, जिसको मामले में पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों की सहमति से पारित किया गया और यह ऐसा आक्षेपित आदेश है, जिसके विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने का उपबंध उपलब्ध है । जहां तक उन निर्णयों का संबंध है, जिनका अवलंब अपीलार्थी-याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा लिया गया, वे निर्णय वर्तमान मामले में अंतर्वलित विवाद में किसी प्रकार की सहायता नहीं करते, चूंकि वे निर्णय न्यायालय की शरण लेने वाले व्यक्ति को उपलब्ध आनुकल्पिक अनुतोष की विद्यमानता के दौरान रिट याचिका की पोषणीयता के प्रश्न को संबोधित करते हैं । विधि की इस स्थिरीकृत स्थिति के बाबत कोई विवाद नहीं है कि आनुकल्पिक अनुतोष की उपलब्धता संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका को विचारार्थ ग्रहण किए जाने के प्रयोजनार्थ वर्जन नहीं है ।

10. जहां तक विद्वान् स्थाई काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का संबंध है, हम उन दलीलों और उन निर्णयों, जिनका उन्होंने अवलंब लिया है, से सहमत नहीं है कि सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की जा सकती ।

11. अत:, वर्तमान विशेष अपील पोषणीय नहीं है चूंकि यह अपील सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

12. अत:, वर्तमान विशेष अपील पोषणीय न होने के कारण खारिज की जाती है ।

13. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थी-याची को स्वतंत्रता है कि वह समुचित अनुतोष के लिए विद्वान् एकल न्यायाधीश की शरण में जाए, यदि उसको ऐसा करने की सलाह दी जाती है ।

14. दोनों पक्ष संबद्ध न्यायालय/प्राधिकारी/पदधारी के समक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शासकीय वेबसाइट से डाउनलोड किए गए आदेश की कंप्यूटरीकृत प्रति के स्वयं प्रमाणित पहचान के सबूत (अधिमानत: आधार कार्ड) जिस पर उस मोबाईल नंबर का उल्लेख हो, जिसके साथ उक्त आधार कार्ड संयोजित है, के साथ स्वयं प्रमाणित करके फाइल करेंगे ।

15. संबद्ध न्यायालय, प्राधिकारी/पदधारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शासकीय वेबसाइट से डाउनलोड किए गए आदेश की कंप्यूटरीकृत प्रति की प्रमाणिकता का सत्यापन करेंगे ।

विशेष अपील खारिज की गई ।

शु.

(2021) 1 सि. नि. प. 281 **इलाहाबाद**

विश्व वैभव

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2020 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 22240)

तारीख 15 दिसंबर, 2020

न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 [सपठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 45] – परमादेश रिट – विशेषज्ञ की राय – दो विषयों में कम अंक दिए जाने पर याची/अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति किया जाना – पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद भी याची का आक्षेप बने रहना – द्वितीय पुनर्मूल्यांकन की ईप्सा – याची द्वारा द्वितीय पुनर्मूल्यांकन के लिए

कोई भी विनियम प्रस्तुत नहीं किया गया है और जब एक बार पुनर्मूल्यांकन कर दिया जाए तो अभ्यर्थी/याची की शिकायत समाप्त हो जानी चाहिए और किसी भी अभ्यर्थी को बार-बार पुनर्मूल्यांकन कराने का अधिकार नहीं है और न्यायालय भी परीक्षा विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हुए पुनर्मूल्यांकन के संबंध में दिए गए अधिनिर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकता ।

याची मथुरा स्थित के. डी. डेंटल महाविद्यालय और अस्पताल, जो आगरा स्थित डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय है, की डेंटल शल्य चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम की छात्रा है । याची को 2014-15 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान डेंटल शल्य चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था । उन्होंने निवेदन किया कि याची ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अत्यधिक उत्तम प्रदर्शन किया है । वह क्रमांक संख्या 178627762009 तथा नामांकन संख्या 13572 के अंतर्गत अंतिम वर्ष की व्यक्तिक परीक्षा में उपस्थित हो चुका है । याची का पक्षकथन यह है कि उसको दो विषयों अर्थात् कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री और इंडोडॉन्टिक्स (विषय संख्या 4) और प्रौस्थोडॉन्टिक्स और क्राउन एंड ब्रिज (विषय संख्या 7) में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है । याची का पक्षकथन है कि वह तीनों विषयों में से प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहता है, 'क्योंकि उसको विश्वास है कि उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का उचित प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया गया' जैसाकि याची ने रिट याचिका के पैरा संख्या 7 में प्रकथन किया है । याची के द्वारा यह प्रकथन भी किया गया है कि यदि उसके पूर्ववर्ती शैक्षणिक अभिलेखों पर विचार किया जाए, तो उसको आशा थी कि उसको उन अंकों के मुकाबले, जो प्रदान किए गए अधिक उच्चतर अंक प्राप्त होने चाहिए थे । उसने यह रिट याचिका के पैरा 8 में यह प्रकथन भी किया है कि उसने दो प्रश्नगत विषयों से संबंधित उत्तर पत्रों की प्रतियां प्राप्त कर ली थीं और पाया था कि परीक्षकों ने उसके द्वारा दिए गए उत्तरों का उचित रीति में मूल्यांकन नहीं किया है । उसने रिट याचिका के पैरा 12 में यह प्रकथन भी किया है कि उसके द्वारा की गई त्रुटियों के विवरण, इस मामले की कार्रवाई की विषयवस्तु हैं । उसने

न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया कि उसने दो विषयों के ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था और उसके बाबत वांच्छित शुल्क का भी संदाय किया था । पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् 'दोनों विषयों में कोई परिवर्तन नहीं' का परिणाम संसूचित किया गया । तत्पश्चात् याची ने आगरा के डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के समक्ष उपरोक्त महाविद्यालय द्वारा अनुचित रूप से किए गए पुनर्मूल्यांकन के विरुद्ध अपनी शिकायत के निस्तारण की ईप्सा करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया । किंतु विश्वविद्यालय के कुलपति या रजिस्ट्रार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, अत: याची ने वर्तमान रिट याचिका संस्थित कराई । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय ने वर्तमान मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया । याची की शिकायत को परीक्षकों के समक्ष द्वितीय बार प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन किया है । उन्होंने प्रथम पुनर्मूल्यांकन के दौरान दिए गए अधिनिर्णय में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया है । अब याची पुन: पुनर्मूल्यांकन की प्रार्थना कर रहे हैं । वे जिस बात की ईप्सा कर रहे हैं वह परोक्ष रूप से द्वितीय पुनर्मूल्यांकन है । याची के विद्वान् काउंसेल इस न्यायालय के संज्ञान में ऐसा कोई विनियम नहीं लाए जिसके आधार पर द्वितीय पुनर्मूल्यांकन की अनुज्ञा प्रदान की जा सके । इसके अतिरिक्त यदि पुनर्मूल्यांकन एक बार किया जा चुका है, तो अभ्यर्थी की शिकायत समाप्त हो जानी चाहिए । कोई भी अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकता कि उसको बारंबार पुनर्मूल्यांकन का अधिकार प्राप्त है और किसी भी परीक्षक को इस बाबत आनत नहीं किया जा सकता कि वह स्वयं के द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन के गुणागुण के बाबत परीक्षार्थी से सहमत हो । यह मामला औषधि शास्त्र की विशेषज्ञ शाखा से संबंधित प्रश्न-पत्र के निर्धारण से संबंधित है । इस न्यायालय के पास इस बात को अभिनिश्चित करने के लिए कोई साधन नहीं है और न ही अपेक्षित विशेषज्ञता कि वह इस विवाद को विनिर्धारित करे कि याची का पक्षकथन सत्य है या परीक्षक गलत हैं । ऐसी परिस्थिति में परीक्षा प्राधिकारी पर उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के बाबत विश्वास किया जाना चाहिए । इस न्यायालय के लिए यह उचित

नहीं होगा कि वह स्वयं को एक विशेषज्ञ में परिवर्तित करे और परीक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन के संबंध में दिए गए अधिनिर्णय पर पुनर्विचार के कार्य को आरंभ करे । (पैरा 6 और 7)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] (2018) 2 एस. सी. सी. 357 :
रणविजय सिंह और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** । 5

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2020 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 22240.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री अनिरुद्ध कुमार उपाध्याय

प्रत्यर्थी की ओर से मुख्य स्थाई काउंसेल और श्री गगन मेहता

आदेश

याची मथुरा स्थित के. डी. डेंटल महाविद्यालय और अस्पताल, जो आगरा स्थित डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय है, की डेंटल शल्य चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम की छात्रा है । याची को 2014-15 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान डेंटल शल्य चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था । उन्होंने निवेदन किया कि याची ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अत्यधिक उत्तम प्रदर्शन किया है । वह क्रमांक संख्या 178627762009 तथा नामांकन संख्या 13572 के अंतर्गत अंतिम वर्ष की व्यक्तिक परीक्षा में उपस्थित हो चुका है । याची का पक्षकथन यह है कि उसको दो विषयों अर्थात् कंजर्वेटिव डेन्टिस्ट्री और इंडोडॉन्टिक्स (विषय संख्या 4) और प्रौस्थोडॉन्टिक्स और क्राउन एंड ब्रिज (विषय संख्या 7) में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है । याची का पक्षकथन है कि वह तीनों विषयों में से प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहता है, 'क्योंकि उसको विश्वास है कि

उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का उचित प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया गया' जैसाकि याची ने रिट याचिका के पैरा संख्या 7 में प्रकथन किया है ।

2. याची के द्वारा यह प्रकथन भी किया गया है कि यदि उसके पूर्ववर्ती शैक्षणिक अभिलेखों पर विचार किया जाए, तो उसको आशा थी कि उसको उन अंकों के मुकाबले, जो प्रदान किए गए अधिक उच्चतर अंक प्राप्त होने चाहिए थे । उसने यह रिट याचिका के पैरा संख्या 8 में यह प्रकथन भी किया है कि उसने दो प्रश्नगत विषयों से संबंधित उत्तर पत्रों की प्रतियां प्राप्त कर ली थीं और पाया था कि परीक्षकों ने उसके द्वारा दिए गए उत्तरों का उचित रीति में मूल्यांकन नहीं किया है । उसने रिट याचिका के पैरा संख्या 12 में यह प्रकथन भी किया है कि उसके द्वारा की गई त्रुटियों के विवरण, इस मामले की कार्रवाई की विषयवस्तु हैं । उसने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया कि उसने दो विषयों के ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था और उसके बाबत वांच्छित शुल्क का भी संदाय किया था । पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् 'दोनों विषयों में कोई परिवर्तन नहीं' का परिणाम संसूचित किया गया । तत्पश्चात् याची ने आगरा के डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के समक्ष उपरोक्त महाविद्यालय द्वारा अनुचित रूप से किए गए पुनर्मूल्यांकन के विरुद्ध अपनी शिकायत के निस्तारण की ईप्सा करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया । किंतु विश्वविद्यालय के कुलपति या रजिस्ट्रार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, अत: याची ने वर्तमान रिट याचिका संस्थित कराई । उसने प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय और कुलपति को डेन्टिस्ट्री अध्ययन में स्नातक पाठ्यक्रम की चौथी वृत्तिक परीक्षा के कंजर्वेटिव टेंट्रिस्ट्री एंड इंडोडॉन्टिक्स (विषय 4) और प्रोस्थोडॉन्टिक्स और क्राउन एंड ब्रिज (विषय 7) के विषयों में उसकी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किए जाने के प्रयोजनार्थ निर्देशित करते हुए परमादेश की रिट जारी की जाए और साथ ही इस बाबत निर्देशित किए जाने की भी ईप्सा की गई कि उसको इस न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् उचित अंक प्रदान किए जाएं ।

3. हमने याची के विद्वान् काउंसेल श्री अनुरूध कुमार उपाध्याय, प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 और 4 के विद्वान् काउंसेल श्री गगन मेहता और प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान् स्थाई काउंसेल श्री प्रकाश सिंह को सुना ।

4. याची के विद्वान् काउंसेल श्री अनुरुध कुमार उपाध्याय ने निवेदन किया कि यह मामला विश्वविद्यालय, जो एक कानूनी निकाय, द्वारा अक्रमन्यता बरते जाने का मामला है । उन्होंने दलील दी कि इस बात पर विचार करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य है कि यदि एक बार पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई की जाती है, तो उसको एक सद्भाविक कार्रवाई के रूप में किया जाना चाहिए और न कि मात्र दिखावे के रूप में । उन्होंने दलील दी कि मूल पंचाट और साथ ही पुनर्मूल्यांकन का परिणाम, दोनों ही परीक्षकों के दो समुच्यों द्वारा बरती गई घोर अनियमितताओं के कारण दूषित हैं । याची ने अभिवाक् किया है कि उसने प्रोस्थोडॉन्टिक्स और क्राउन एंड ब्रिज के (ख) भाग 2 (विषय 7) से संबंधित प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 2(क) और 3(घ) को शुद्ध रूप से हल किया था । किंतु परीक्षकों ने दोनों ही मामलों में सही अंक प्रदान नहीं किए । इसी प्रकार से उसने आगे दलील दी कि कंजर्वेटिव डेंट्रिस्ट्री और इंडोडॉन्टिक्स (विषय 4) के प्रश्नपत्र में प्रश्न संख्या 1 समाविष्ट था, जिसके दो भाग थे और प्रश्न संख्या 3, दोनों का ही उत्तर याची द्वारा शुद्ध रूप से दिया गया है । उसने यह प्रकथन भी किया है कि उसने प्रश्न संख्या 5 का भी सही उत्तर दिया था । याची द्वारा यह अभिवाक् किया गया है और दलील दी गई है कि प्रश्न संख्या (I) (दोनों भाग), 3 और 5 में कोई अंक प्रदान नहीं किए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षकों द्वारा ऐसा त्रुटिपूर्वक किया गया ।

5. इसके विपरीत विश्वविद्यालय की ओर उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री गगन मेहता ने निवेदन किया कि पुनर्मूल्यांकन एक बार किया गया था और उस पुनर्मूल्यांकन के कारण अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । यह न्यायालय स्वयं को विशेषज्ञ के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता और परीक्षकों द्वारा लिए गए निर्णय, जिसको उनके द्वारा

अपने अधिनिर्णय में अभिव्यक्त किया गया है, की संवीक्षा नहीं कर सकता । उन्होंने यह निवेदन भी किया कि अब कोई द्वितीय पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा किया जाना नियमों या विनियमों के अधीन अनुध्यात नहीं है । श्री गगन मेहता ने विशिष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा **रणविजय सिंह और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया । उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा **रणविजय सिंह** (उपरोक्त) के मामले में की गई निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की ओर आकर्षित किया :–

> "30. अत: इस विषय पर विधि बिल्कुल स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को निर्दिष्ट करना चाहते हैं । वे इस प्रकार हैं :–
>
> '30.1 यदि किसी परीक्षा को शासित करने वाले किसी कानून, नियम या विनियम के अंतर्गत उत्तर पत्र का पुनर्मूल्यांकन अनुज्ञेय होता है या उत्तर पत्र की संवीक्षा अधिकार के रूप में अनुज्ञेय होती है, तो परीक्षा संचालित करने वाले प्राधिकारी यह अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं ;
>
> 30.2 यदि किसी परीक्षा को शासित करने वाले कानून, नियम या विनियम उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या संवीक्षा की अनुज्ञा (जो कि पुनर्मूल्यांकन या संवीक्षा को प्रतिषिद्ध किए जाने से भिन्न है), तो न्यायालय पुनर्मूल्यांकन या संवीक्षा की अनुज्ञा केवल तब प्रदान कर सकती है, यदि इस बात को अत्यधिक स्पष्टता, किसी 'युक्तिसंगतता की अनुमानिक प्रक्रिया या तार्किकता की प्रक्रिया' के बिना और केवल अपवादिक मामलों में प्रदान की जा सकती है कि कोई तात्विक त्रुटि कारित हो गई है ;
>
> 30.3 न्यायालय को किसी उम्मीदवार के उत्तर-

[1] (2018) 2 एस. सी. सी. 357.

पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या संवीक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं होती और यह उचित होगा कि शैक्षणिक मामले में निर्णय लेने का कार्य शिक्षाविदों के जिम्मे छोड़ दिया जाए ;

30.4 न्यायालयों को मुख्य उत्तरों की शुद्धता के बाबत उपधारणा करनी चाहिए और उसी उपधारणा के आधार पर अग्रसर होना चाहिए ; और

30.5 किसी संदेह की स्थिति में संदेह का लाभ अभ्यर्थी के बजाय परीक्षा प्राधिकारी को दिया जाना चाहिए ।'

31. हम अपनी तरफ से यह अभिकथित करते हैं कि सहानुभूति या अनुकंपा की किसी उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्देशित किए जाने या न किए जाने के मामले में कोई भूमिका नहीं होती । यदि कोई त्रुटि परीक्षा प्राधिकारी द्वारा कारित की गई है, तो अभ्यर्थियों का समस्त समुदाय इससे प्रभावित होगा । संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया में मात्र इस कारणवश व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा सकता कि कुछ उम्मीदवार निराश या असंतुष्ट हैं या उनको यह प्रतीत होता है कि किसी त्रुटिपूर्ण प्रश्न या त्रुटिपूर्ण उत्तर के कारण उनके साथ कुछ अन्याय हो गया है । यदि सभी अभ्यर्थी समान रूप से नुकसान बर्दाश्त करते हैं यद्यपि उनमें से कुछ अभ्यर्थी कुछ अधिक नुकसान बर्दाश्त करते हैं, किंतु इस संबंध में किसी की कोई सहायता नहीं की जा सकती, चूंकि गणितीय शुद्धता सदैव संभव नहीं होती । इस न्यायालय ने बंद रास्ते में से एक मार्ग दिखाया है, जो यह है कि संदिग्ध या कठिनाई उत्पन्न करने वाले प्रश्न से बचो ।

32. फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक विनिश्चयों के बाद भी, जिनमें से कुछ पर ऊपर चर्चा की गई है, न्यायालयों द्वारा परीक्षाओं के परिणाम के संबंध में मध्यक्षेप किया गया है । यह मध्यक्षेप, परीक्षा प्राधिकारियों के लिए अवांछनीय स्थिति उत्पन्न करता है, जिसमें वे संवीक्षा के

अंतर्गत हो जाते हैं न कि अभ्यर्थी । इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर और कभी-कभी दीर्घकालीन परीक्षा प्रक्रिया अनिश्चितता के वातावरण के साथ समाप्त होती है । जबकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभ्यर्थी किसी परीक्षा के लिए तैयारी करने में जीतोड़ प्रयास करते हैं, फिर भी इस बात का विस्मरण नहीं किया जा सकता कि परीक्षा प्राधिकारी भी समान रूप से किसी परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं । उनके कार्य के द्वारा कारित दुष्टता के कारण पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर कुछ कमियां प्रकट हो सकती हैं, किंतु न्यायालय को उन आंतरिक मापदंडों पर विचार करना चाहिए जिनको परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों, जिन्होंने परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लिया है और परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में मध्यक्षेप करने के पहले लागू किया जाता है । वर्तमान अपीलें इस प्रकार के मध्यक्षेप के परिणाम के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिनमें परीक्षाओं के परिणामों को आठ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अंतिम नहीं किया गया है । परीक्षा प्राधिकारियों के अलावा अभ्यर्थी भी परीक्षा के परिणाम की निश्चितता या अन्यथा के प्रति असमंजस में बने रहते हैं, चाहे वे उत्तीर्ण हुए हों या न हुए हों ; चाहे उनके परिणाम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किए गए हों या न किए गए हों ; चाहे वे उनको किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा ; और क्या उनका चयन होगा या नहीं होगा । यह असंतोषप्रद स्थिति किसी के लिए भी लाभकर नहीं है और अनिश्चितता की इस स्थिति के परिणामस्वरूप भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है । इन समस्त बातों का बृहत्तर प्रभाव यह होता है कि जनहित की हानि होती है ।"

6. इस न्यायालय ने वर्तमान मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया । याची की शिकायत को परीक्षकों के समक्ष द्वितीय बार प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन किया है । उन्होंने प्रथम पुनर्मूल्यांकन के दौरान दिए गए अधिनिर्णय में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया है । अब याची पुन: पुनर्मूल्यांकन की प्रार्थना कर रहे हैं । वे

जिस बात की ईप्सा कर रहे हैं वह परोक्ष रूप से द्वितीय पुनर्मूल्यांकन है ।

7. याची के विद्वान् काउंसेल इस न्यायालय के संज्ञान में ऐसा कोई विनियम नहीं लाए जिसके आधार पर द्वितीय पुनर्मूल्यांकन की अनुज्ञा प्रदान की जा सके । इसके अतिरिक्त यदि पुनर्मूल्यांकन एक बार किया जा चुका है, तो अभ्यर्थी की शिकायत समाप्त हो जानी चाहिए । कोई भी अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकता कि उसको बारंबार पुनर्मूल्यांकन का अधिकार प्राप्त है और किसी भी परीक्षक को इस बाबत आनत नहीं किया जा सकता कि वह स्वयं के द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन के गुणागुण के बाबत परीक्षार्थी से सहमत हो । यह मामला औषधि शास्त्र की विशेषज्ञ शाखा से संबंधित प्रश्न-पत्र के निर्धारण से संबंधित है । इस न्यायालय के पास इस बात को अभिनिश्चित करने के लिए कोई साधन नहीं है और न ही अपेक्षित विशेषज्ञता कि वह इस विवाद को विनिर्धारित करे कि याची का पक्षकथन सत्य है या परीक्षक गलत हैं । ऐसी परिस्थिति में परीक्षा प्राधिकारी पर उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के बाबत विश्वास किया जाना चाहिए । इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह स्वयं को एक विशेषज्ञ में परिवर्तित करे और परीक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन के संबंध में दिए गए अधिनिर्णय पर पुनर्विचार के कार्य को आरंभ करे ।

8. परिणामस्वरूप रिट याचिका विफल होती है और खारिज की जाती है । लागत के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

अस.

महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज द्वारा भागीदार श्रीमती सारिका गोयल (मैसर्स)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2020 की सिविल रिट याचिका सं. 23342)

तारीख 20 जनवरी, 2021

न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति पियूष अग्रवाल

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) – धारा 13 [सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 का नियम 8] – याची द्वारा औद्योगिक भूखंड का बैंक से नीलाम पर क्रय किया जाना – अंतरण पर आपत्ति – बैंक द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाना – पूर्ववर्ती स्वामी द्वारा भूखंड पर किए गए उत्पादन से संबंधित उत्पाद-शुल्क का संदाय न किया जाना – याची ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्रिम और अधिशेष रकम जमा कर दी, तत्पश्चात् बैंक ने विक्रय प्रमाणपत्र और विलेख यह अभिकथित करते हुए जारी किया है कि भूखंड सभी प्रकार के भारों से मुक्त है, ऐसी स्थिति में याची/क्रेता उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए जिम्मेदार नहीं है, अत: बैंक याची को विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए बाध्य है ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 265 – कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपित न किया जाना – याची द्वारा अभ्यापत्ति पूर्वक राशि इसलिए जमा की गई थी ताकि मामले की सुनवाई शीघ्र हो सके जबकि वह उस राशि के संदाय के लिए बाध्य नहीं था, अत: विधि प्राधिकार के बिना कोई भी राशि अधिरोपित नहीं की जा सकती अर्थात् धन का उद्ग्रहण, चाहे वह किसी भी रूप में या शुल्क के रूप में हो, विनिर्दिष्ट कानूनी उपबंध के बिना अनिवार्य रूप से नहीं किया जा सकता ।

यह रिट याचिका इन अनुतोषों के साथ फाइल की गई है कि याची के पक्ष में गाजियाबाद के लोनी रोड, साईट-2, मोहन नगर, साहिबाबाद में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक भूखंड सं. 13-ग/17 का अंतरण-विलेख/अंतरण-ज्ञापन निष्पादित किए जाने के लिए प्रत्यर्थियों को निदेशित करते हुए परमादेश की रिट जारी की जाए । गाजियाबाद के केंद्रीय माल और सेवा कर, उपखंड-4 के सहायक आयुक्त को याची द्वारा संदाय की गई रकम लौटाए जाने हेतु प्रत्यर्थियों को निदेशित करते हुए परमादेश की रिट जारी की जाए । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय का यह विचार है कि सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख न केवल सार्वजनिक सूचना में किया गया था बल्कि विक्रय विलेख/करार में भी एक विनिर्दिष्ट खंड इस बाबत अंत:स्थापित किया गया था कि प्रश्नगत संपत्तियां समस्त भारों से मुक्त करके विक्रय की जा रही हैं । तत्समय, इस बाबत भी एक अनुध्यापन किया गया कि 'भूमि से उद्भूत होने वाले इन सभी कानूनी दायित्वों को विक्रय विलेख में के क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा' और 'उक्त संपत्तियों से उद्भूत होने वाले इन सभी कानूनी दायित्वों को क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा और विक्रय-करार में विक्रेता को इन दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा ।' उच्च न्यायालय के अनुसार इन सभी कानूनी दायित्वों में उत्पाद-शुल्क के देय सम्मिलित होंगे । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उच्च न्यायालय से इस खंड के असली आशय और उद्देश्य को समझ पाने में चूक हुई है । विक्रय-करार तथा संयंत्र और मशीनरी के क्रय हेतु करार में जिन अभिव्यक्तियों अर्थात् "भूमि से उद्भूत होने वाले" और "उक्त संपत्ति अर्थात् मशीनरी से उद्भूत" का प्रयोग किया गया है वे कानूनी दायित्वों के बारे में हैं । अत:, यह केवल वह कानूनी दायित्व है जो भूमि और भवन या संयंत्र और मशीनरी से उद्भूत हुआ है और जो क्रेता द्वारा वहन किया जाना है । उत्पाद-शुल्क के देय कानूनी दायित्व नहीं होते हैं जो "भूमि और भवन" या "संयंत्र और मशीनरी" से उद्भूत होते

हैं । "भूमि और भवन" से उद्भूत होने वाले कानूनी दायित्व संपत्ति कर या संपत्ति इत्यादि से संबंधित अन्य प्रकार के उपकरों के स्वरूप हो सकते हैं । इसी प्रकार से "संयंत्र और मशीनरी" से उद्भूत होने वाले कानूनी दायित्व विक्रय कर इत्यादि हो सकते हैं जो उक्त मशीनरी पर संदेय होते हैं । जहां तक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की देयों का संबंध है, वे उक्त "संयंत्र और मशीनरी" या "भूमि और भवन" से संबंधित नहीं थे और इसलिए उन संपत्तियों से उद्भूत नहीं थे । उत्पाद-शुल्क विभाग के देय पूर्ववर्ती स्वामी द्वारा विनिर्मित उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं पर संदेय हो गए थे, इसलिए यह कानूनी शुल्क उन उत्पादित वस्तुओं के संबंध में हैं न कि "संयंत्र और मशीनरी" के संबंध में जिसका प्रयोग वस्तुओं के विनिर्माण के लिए किया गया था । उच्च न्यायालय द्वारा इस महीन विभेद पर ध्यान नहीं दिया गया । (पैरा 10)

पुन:, जहां तक याची द्वारा अभ्यापत्तिपूर्वक जमा की गई रकम को लौटाए जाने का संबंध है, याची के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि इस रकम को अभ्यापत्तिपूर्वक इसलिए जमा किया गया था ताकि मामले में शीघ्र सुनवाई संभव हो सके और याची इस रकम के संदाय के लिए जिम्मेदार नहीं था । याची के विद्वान् काउंसेल ने आगे यह निवेदन किया कि संविधान के अनुच्छेद 265 के अधीन कोई भी रकम बिना विधि के प्राधिकार के वसूल/विधारित नहीं की जा सकती । एक मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब भी धन का अनिवार्य रूप से उदग्रहण किया जाता है, चाहे वह किसी कर के रूप में हो या शुल्क के रूप में, उसके लिए कोई विनिर्दिष्ट कानूनी उपबंध अस्तित्व में होना चाहिए । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह निदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 4 को याची द्वारा अभ्यापत्तिपूर्वक जमा की गई पूर्वोक्त रकम को इस आदेश की प्रति को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर वापस की जाए, जिसमें विफल रहने पर संबद्ध प्राधिकारी उक्त रकम पर वास्तविक संदाय की तारीख तक 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से संदाय का दायी होगा । (पैरा 12, 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 10 एस. सी. सी. 746 :
राणा गर्डर लिमिटेड बनाम **भारत संघ और अन्य** ; 9, 10

[2001] (2001) 7 एस. सी. सी. 358 :
जिला खनन अधिकारी बनाम **टिस्को** ; 14

[1993] (1993) (सप्ली.) 4 एस. सी. सी. 358 :
को-आपरेटिव शुगर्स (चित्तौड़) लिमिटेड बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 14

[1992] जे. टी. 1992 (3) एस. सी. 417 :
अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण बनाम **शरदकुमार, जयन्तीकुमार** ; 14

[1963] [1963] 2 एस. सी. आर. 255 :
मैसर्स गुलाम हुसैन हाजी याकूब एंड संस बनाम **राजस्थान राज्य** । 14

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2020 की सिविल रिट याचिका सं. 23342.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री आशीष अग्रवाल (मुख्य स्थाई काउंसेल), सुनील कुमार मिश्रा और अशोक सिंह

आदेश

याची की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह, प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री आशीष अग्रवाल, प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान् स्थाई

काउंसेल और प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से के विद्वान् काउंसेल श्री अशोक सिंह को सुना ।

2. यह रिट याचिका अन्य अनुतोषों के साथ निम्नलिखित अनुतोषों की ईप्सा करते हुए फाइल की गई है :–

> "(i). याची के पक्ष में गाजियाबाद के लोनी रोड, साईट-2, मोहन नगर, साहिबाबाद में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक भूखंड सं. 13-ग/17 का अंतरण-विलेख/अंतरण-ज्ञापन निष्पादित किए जाने के लिए प्रत्यर्थियों को निदेशित करते हुए परमादेश की रिट जारी की जाए ।
>
> (ii) गाजियाबाद के केंद्रीय माल और सेवा कर, उपखंड-4 के सहायक आयुक्त को याची द्वारा संदाय की गई रकम लौटाए जाने हेतु प्रत्यर्थियों को निदेशित करते हुए परमादेश की रिट जारी की जाए ।"

3. याची के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक विज्ञापन गाजियाबाद के लोनी रोड, साईट-2, मोहन नगर, साहिबाबाद में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक भूखंड सं. 13-क/17 की नीलामी के लिए नीलाम क्रेताओं को आमंत्रित किया । याची ने, जो सफल बोलीदाता था, ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्रिम और अधिशेष रकम जमा कर दी । तत्पश्चात् बैंक ने इसके अनुसरण में विक्रय प्रमाणपत्र और विलेख स्पष्ट रूप से अभिकथित करते हुए जारी कर दिया कि उक्त औद्योगिक भूखंड सभी प्रकार के भारों से मुक्त है । बैंक ने तारीख 7 सितंबर, 2018 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा तत्कालीन स्वामी के पक्ष में निष्पादित मूल पट्टा विलेख, पत्र और नीलाम किए गए भूखंड की चाबियां याची के पक्ष में हस्तगत कर दीं । तत्पश्चात् याची ने प्रत्यर्थी सं. 3 के समक्ष तारीख 11 अक्तूबर, 2018 को समस्त अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रश्नगत भूखंड के अंतरण के लिए आवेदन किया, किंतु प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 याची द्वारा समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण किए जाने के बाद भी बिना किसी कारण के प्रश्नगत भूखंड का अंतरण उसके पक्ष में नहीं कर रहे हैं । इसी दौरान प्रत्यर्थी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम

ने तारीख 14 अक्तूबर, 2019 को गाजियाबाद के केंद्रीय माल और सेवाकर सहायक आयुक्त को एक पत्र इस बात की जानकारी प्राप्त करने हेतु लिखा कि क्या प्रश्नगत भूखंड के पूर्ववर्ती स्वामी अर्थात् मैसर्स सार्थक एक्वा प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कोई सरकारी देय/बकाया लंबित हैं ।

4. याची के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि याची ने शांतिपूर्वक जीवनयापन करने और औद्योगिक भूखंड के अंतरण के मामले को शीघ्रतापूर्वक निपटाए जाने के प्रयोजनार्थ इस अभ्यापत्ति के साथ 33,59,276/- की रकम जमा कर दी है कि वास्तव में वे उस रकम का संदाय करने के दायी नहीं हैं, फिर भी अंतरण-विलेख निष्पादित नहीं किया जा रहा है । इसलिए, प्रत्यर्थी सं. 2 की अक्तूबर, 2018 से याची के पक्ष में प्रश्नगत भूखंड का अंतरण न किए जाने की कार्रवाई मनमानी है और मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है ।

5. केन्द्रीय माल और सेवाकर विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री अशोक सिंह ने तारीख 6 जनवरी, 2021 के अनुदेशों को प्रस्तुत किया जिनको अभिलेख के साथ रखा गया । श्री सिंह ने इन अनुदेशों के आधार पर निवेदन किया कि पूर्ववर्ती स्वामी अर्थात् मैसर्स सार्थक एक्वा प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कुछ बकाया देय लंबित हैं जिनको प्रश्नगत भूखंड से वसूल किया जाना है और इसलिए प्रत्यर्थी सं. 3 को एक पत्र भेजकर यह अनुरोध किया गया था कि वे याची के पक्ष में प्रश्नगत भूखंड का अंतरण न करें ।

6. प्रत्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री आशीष अग्रवाल ने निवेदन किया कि निगम ने प्रत्यर्थी सं. 4 के अनुरोध पर प्रश्नगत भूखंड का अंतरण नहीं किया है यद्यपि याची ने समस्त औपचारिकताओं को पहले ही पूर्ण कर दिया है ।

7. न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया ।

8. दोनों पक्षों का यह स्वीकृत पक्षकथन है कि याची ने बैंक से नीलामी कार्यवाहियों में प्रश्नगत भूखंड क्रय कर लिया है और उसने सफल बोलीदाता घोषित किए जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर

अग्रिम और अधिशेष रकम जमा भी कर दी है । दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि बैंक ने विक्रय प्रमाणपत्र जारी कर दिया था और विक्रय विलेख भी स्पष्टत: यह अभिकथित करते हुए निष्पादित किया जा चुका है कि उक्त औद्योगिक भूखंड समस्त भारों से मुक्त है । प्रत्यर्थी सं. 4 को दिए गए अनुदेशों के परिशीलन से यह भी प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूखंड किसी बकाया देय के संबंध में कभी भी किसी बकाया देय के बाबत निविदित्त कुर्क/अभिगृहीत नहीं किया गया था, जैसा कि दावा प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा किया गया है ।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राणा गर्डर लिमिटेड** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में ऐसे ही विवाद्यक को यह अभिनिर्धारित करते हुए विनिश्चित किया कि केंद्रीय उत्पाद के देय संयंत्र और मशीनरी या भूमि और भवन पर भार नहीं होते । केंद्रीय उत्पाद के शुल्क पूर्ववर्ती स्वामी द्वारा उत्पाद शुल्क अधिरोपित किए जाने योग्य वस्तुओं के विनिर्माण पर देय हो गए थे और इसीलिए ये कानूनी शुल्क उन्हीं उत्पादों के संबंध में है न कि संयंत्र और मशीनरी के संबंध में जिनको माल के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया गया और इन कानूनी देयों को नीलामीक्रेता से वसूल नहीं किया जा सकता । उक्त निर्णय के सुसंगत पैराओं को नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "6. अपीलार्थी को, जिसकी भूमि और भवन के संबंध में 43 लाख रुपए की उच्चतम राशि की बोली थी, उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा सफल बोलीदाता के रूप में स्वीकार किया गया । इस विक्रय विलेख में विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि 'इस विलेख का विक्रेता इस बात की पुष्टि करता है कि क्रेता के पक्ष में निष्पादित किए गए विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय की गई संपत्ति समस्त प्रभारों और भारों से मुक्त है ....।' अपीलार्थी ने विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय 21.50 लाख रुपए की राशि का संदाय उत्तर प्रदेश वित्त निगम को किया था और उसके द्वारा अधिशेष 21.50 लाख रुपए की रकम का संदाय 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से किस्तों में किया जाना था, जैसाकि उक्त

[1] (2013) 10 एस. सी. सी. 746.

विक्रय विलेख की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया था । इस पर कोई विवाद नहीं है कि इस अधिशेष प्रतिफल का संदाय अपीलार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वित्त निगम को किया जा चुका है । विक्रय विलेख में एक अन्य शर्त, जिसका उल्लेख सार्वजनिक सूचना में किया गया था, यह है कि :–

> 'उक्त संपत्तियों से उद्भूत होने वाले समस्त कानूनी दायित्वों को क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा और उनके लिए विक्रेता को दायी अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा ।'

7. अपीलार्थी ने उक्त नीलामी में एक करोड़ तिरानवें लाख रुपए के संपूर्ण प्रतिफल के बदले संयंत्र और मशीनरी का भी क्रय किया था, जिसके लिए पक्षों द्वारा तारीख 15 मार्च, 2002 का करार निष्पादित किया गया था । इस करार में भी विक्रय विलेख में समाविष्ट खंडों के समरुप दोनों खंड समाविष्ट थे अर्थात् उक्त संयंत्र और मशीनरी समस्त भारों से मुक्त थी और औद्योगिक ईकाई के संयंत्र और मशीनरी से उद्भूत होने वाले समस्त कानूनी दायित्वों को क्रेता अर्थात् अपीलार्थी द्वारा वहन किया जाना था ।

10. चूंकि अपीलार्थी ने 'भूमि और भवन' और साथ ही 'संयंत्र और मशीनरी' को उधार लेने वाले से नीलामी में, जिसको उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा संचालित किया गया था, क्रय कर लिया था, अत: प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपीलार्थी को यह अभिकथित करते हुए तारीख 25 अगस्त, 2004 की सूचना जारी की कि प्रश्नगत रकम अब अपीलार्थी का दायित्व बन चुकी है और पूर्वोक्त संदाय की मांग की । उक्त सूचना में यह उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा इस रकम का संदाय मैक्सॉन मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड **बनाम** भारत संघ [2003 (158) ई. एल. टी. 424 एस. सी.] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को दृष्टिगत करते हुए संदाय किया गया था ।

14. हमारे समक्ष राजस्व विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल द्वारा दृढ़तापूर्वक यह दलील दी गई कि चूंकि

उत्पाद शुल्क एक कानूनी दायित्व होता है, अत: इस प्रकार के शुल्क का संदाय उस व्यक्ति द्वारा किया जाना होता है, जिसने उधार लेने वाले द्वारा ऋण के संदाय में चूक किए जाने पर उसकी संपत्ति को खरीदा, चाहे वह संपत्ति राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अधीन ही क्यों न नीलाम में विक्रय की गई हो । उन्होंने आगे यह दलील दी कि जहां तक अपीलार्थी का संबंध है इस प्रकार के मामलों में उच्च न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि विक्रय विलेख तथा विक्रय-करार में किए गए अनुध्यापनों को दृष्टिगत करते हुए, वह उत्पाद-शुल्क के निर्वहन का दायी था । इन परिस्थितियों में हमारे द्वारा विचारार्थ दो प्रश्न उद्भूत होते हैं अर्थात् (1) भूमि और भवन के विक्रय विलेख तथा संयंत्र और मशीनरी के विक्रय-करार में समाविष्ट अनुध्यापन के निर्वचन के आधार पर क्या अपीलार्थी, ऋण लेने वाले द्वारा उत्पाद विभाग को संदेय देयों के निर्वचन के लिए सहमत हो गया था और (2) क्या इस प्रकार का कोई दायित्व उत्पाद अधिनियम और राज्य वित्त निगम अधिनियम में समाविष्ट विधिक उपबंधों को दृष्टिगत करते हुए (विक्रय विलेख/विक्रय-करार में समाविष्ट अनुध्यापन के अनुसरण में), किया गया है ?

20. न्यायालय ने हित उत्तराधिकारी के दायित्व पर विचार करते हुए मैसर्स मैक्सन वाले मामले में प्रतिपादित विधिक स्थिति को स्पष्ट किया कि इस प्रकार का दायित्व किसी ऐसे व्यक्ति पर अधिरोपित किया जा सकता है जिसने संपूर्ण ईकाई को चालू समुत्थान के रूप में क्रय किया था न कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पूर्ववर्ती समुत्थान के भूमि और भवन या मशीनरी को क्रय किया था । इस विभेद को पैरा 24 और 25 में स्पष्ट किया गया है और उसको स्पष्ट भी किया गया है और हमारे लिए इसे नीचे उद्धृत करना लाभदायक होगा :–

> 'सुश्री राव द्वारा **मैक्सन मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

अधिनियम के अंतर्गत देयों को नीलामीक्रेता से वसूल किए जाने योग्य होते हैं और आगे यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> हम इस दलील से सहमत हैं कि राज्य अधिनियम एक विशेष अधिनियमिति है और यह अधिनियम केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर अभिभावी होगा । इनमें से प्रत्येक अधिनियम विशेष अधिनियमिति है और जब तक कि उनके कार्यान्वयन में कोई टकराव उद्भूत नहीं होता, तब तक इस पहलू का परीक्षण किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस मामले में निगम और उत्पाद विभाग के मध्य ऐसा कोई टकराव नहीं है । इसलिए, यह आवश्यक है कि मामले के इस पहलू का परीक्षण किया जाए ।
>
> विभाग ने इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन कार्यवाही आरंभ कर दी है और प्रत्यर्थी सं. 4 के दायित्व का न्यायनिर्णयन कर दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 तीन लाख रुपए की राशि का संदाय शास्ति के रूप में करने का दायी है जबकि वह उत्पाद शुल्क के रूप में देय एक लाख रुपए या उसके आसपास की राशि का संदाय करने का दायी होगा । यहां पर हमारे लिए मानना कठिन होगा कि अपीलार्थी को न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों में भाग लेने और शास्ति के अधिरोपण के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था । इसलिए हम इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निदेश देना उचित समझते हैं कि उक्त रकम को, यदि उसका संदाय पहले ही किया जा चुका है, तीन माह की अवधि के भीतर वापस लौटाया जाएगा । अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अविवादित बना रहेगा । तद्नुसार, इस अपील का

निस्तारण किया जाता है । इसलिए इस विनिश्चय को उस मामले के तथ्यों के आधार पर पारित किया गया था । वह विवाद्यक जिसके साथ हम प्रत्यक्षत: संबद्ध है, इस मामले में हमारे समक्ष विचारार्थ उद्भूत नहीं हुआ है । न्यायालय ने देना बैंक वाली बाध्यकारी निर्णयज विधि और साथ ही ऊपर निर्दिष्ट अन्य विनिश्चयों का संज्ञान भी नहीं लिया है ।'

21. **मैक्सॉन** (उपरोक्त) और **एस. आई. सी. ओ. एम.** वाले मामलों में दिए गए निर्णयों को सामंजस्यपूर्ण ढ़ंग से पढ़े जाने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा केवल उन मामलों में होता है जिनमें क्रेता ने संपूर्ण इकाई अर्थात् संपूर्ण कारबार को एक साथ क्रय कर लिया था, अत:, वह केंद्रीय उत्पाद-शुल्क का निर्वहन करने के लिए भी दायी होगा । अन्यथा रूप से भी पश्चात्वर्ती क्रेता पर सरकारी देयों से संबंधित दायित्वों को अधिरोपित नहीं किया जा सकता, जब तक कि कानून में इस प्रयोजनार्थ कोई विनिर्दिष्ट उपबंध न हो जिसके अंतर्गत 'क्रेता से प्रथम प्रभार' का दावा किया जा सके । जहां तक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम का संबंध है, ऐसा कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है जिसका उल्लेख एस. आई. सी. ओ. एम. (साइकॉम) में भी नहीं हैं । धारा 11 के परंतुक को तारीख 10 सितंबर, 2004 से अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अब संयोजित किया गया है । इसलिए, हम इस परंतुक के संबंध में चर्चा कर रहे हैं चूंकि यह परंतुक वर्तमान मामले में लागू नहीं है । अत: हम, तद्नुसार यह अभिनिर्धारित करते हैं कि जहां तक विधिक स्थिति का संबंध है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम को प्रतिभूत लेनदार होने के नाते, उत्पाद-शुल्क पर पूर्वता प्राप्त है । हम आगे यह अभिनिर्धारित करते हैं कि चूंकि अपीलार्थी ने कारबार के रूप में संपूर्ण इकाई को क्रय नहीं किया था इसलिए कानूनी संरचना के अनुसार वह उत्पाद-शुल्क विभाग के देयों का निर्वहन करने का दायी नहीं था ।

22. इसी चर्चा के साथ अब हम प्रथम विवाद्यक अर्थात् भूमि और भवन के लिए निष्पादित विक्रय विलेख में समाविष्ट खंड के निर्वचन और मशीनरी के विक्रय करार में समाविष्ट समरूप खंड के निर्वचन, जिसके आधार पर अपीलार्थी को देयों के संदाय का दायी अभिनिर्धारित किया गया है, पर पुन: विचार करते हैं । इन खंडों को हमारे निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में पहले ही निगमित किया जा चुका है ।

23. हमारा यह विचार है कि सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख न केवल सार्वजनिक सूचना में किया गया था बल्कि विक्रय विलेख/करार में भी एक विनिर्दिष्ट खंड इस बाबत अंत:स्थापित किया गया था कि प्रश्नगत संपत्तियां समस्त भारों से मुक्त करके विक्रय की जा रही हैं । तत्समय, इस बाबत भी एक अनुध्यापन किया गया कि 'भूमि से उद्भूत होने वाले इन सभी कानूनी दायित्वों को विक्रय विलेख में के क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा' और 'उक्त संपत्तियों से उद्भूत होने वाले इन सभी कानूनी दायित्वों को क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा और विक्रय करार में विक्रेता को इन दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा ।' उच्च न्यायालय के अनुसार इन सभी कानूनी दायित्वों में उत्पाद-शुल्क के देय सम्मिलित होंगे । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उच्च न्यायालय से इस खंड के असली आशय और उद्देश्य को समझ पाने में चूक हुई है । विक्रय करार तथा संयंत्र और मशीनरी के क्रय हेतु करार में जिन अभिव्यक्तियों अर्थात् 'भूमि से उद्भूत होने वाले' और 'उक्त संपत्ति अर्थात् मशीनरी से उद्भूत' का प्रयोग किया गया है वे कानूनी दायित्वों के बारे में हैं । अत:, यह केवल वह कानूनी दायित्व है जो भूमि और भवन या संयंत्र और मशीनरी से उद्भूत हुआ है और जो क्रेता द्वारा वहन किया जाना है । उत्पाद-शुल्क के देय कानूनी दायित्व नहीं होते हैं जो 'भूमि और भवन' या 'संयंत्र और मशीनरी' से उद्भूत होते हैं । 'भूमि और भवन' से उद्भूत होने वाले कानूनी दायित्व संपत्ति कर या संपत्ति इत्यादि से संबंधित अन्य प्रकार के उपकरों के स्वरूप हो सकते हैं । इसी प्रकार से

'संयंत्र और मशीनरी' से उद्भूत होने वाले कानूनी दायित्व विक्रय कर इत्यादि हो सकते हैं जो उक्त मशीनरी पर संदेय होते हैं । जहां तक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की देयों का संबंध है, वे उक्त 'संयंत्र और मशीनरी' या 'भूमि और भवन' से संबंधित नहीं थे और इसलिए उन संपत्तियों से उद्भूत नहीं थे । उत्पाद-शुल्क विभाग के देय पूर्ववर्ती स्वामी द्वारा विनिर्मित उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं पर संदेय हो गए थे, इसलिए यह कानूनी शुल्क उन उत्पादित वस्तुओं के संबंध में हैं न कि 'संयंत्र और मशीनरी' के संबंध में जिसका प्रयोग वस्तुओं के विनिर्माण के लिए किया गया था । उच्च न्यायालय द्वारा इस महीन विभेद पर ध्यान नहीं दिया गया ।"

10. वर्तमान विवाद्यक को **राणा गर्डर लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को दृष्टिगत करते हुए याची के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है ।

11. प्रत्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को इस आदेश की प्रति के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर याची के पक्ष में प्रश्नगत औद्योगिक भूखंड का अंतरण विलेख/अंतरण ज्ञापन निष्पादित करने के लिए निदेशित किया जाता है ।

12. पुनः, जहां तक याची द्वारा अभ्यापत्तिपूर्वक जमा की गई रकम को लौटाए जाने का संबंध है, याची के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि इस रकम को अभ्यापत्तिपूर्वक इसलिए जमा किया गया था ताकि मामले में शीघ्र सुनवाई संभव हो सके और याची इस रकम के संदाय के लिए जिम्मेदार नहीं था । याची के विद्वान् काउंसेल ने आगे यह निवेदन किया कि संविधान के अनुच्छेद 265 के अधीन कोई भी रकम बिना विधि के प्राधिकार के वसूल/विधारित नहीं की जा सकती ।

13. प्रत्यर्थी सं. 4 के विद्वान् काउंसेल श्री अशोक सिंह, याची द्वारा अभ्यापत्तिपूर्वक जमा की गई 33,59,276/- रुपए की रकम के रोके जाने को न्यायसंगत नहीं ठहरा सके ।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक अवसरों पर यह अभिनिर्धारित किया है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी रकम

विधारित नहीं की जा सकती । **मैसर्स गुलाम हुसैन हाजी याकूब एंड संस** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधायी मंजूरी के बिना कोई भी प्रभार अधिरोपित नहीं किया जा सकता । **को-आपरेटिव शुगर्स (चित्तौड़) लिमिटेड** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[2] और **जिला खनन अधिकारी** बनाम **टिस्को**[3] वाले मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई भी कर केवल विधायी उपबंध द्वारा उद्गृहीत किया जा सकता । **अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण** बनाम **शरदकुमार जयंतीकुमार**[4] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब भी धन का अनिवार्य रूप से उद्ग्रहण किया जाता है, चाहे वह किसी कर के रूप में हो या शुल्क के रूप में, उसके लिए कोई विनिर्दिष्ट कानूनी उपबंध अस्तित्व में होना चाहिए ।

15. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह निदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 4 को याची द्वारा अभ्यापत्तिपूर्वक जमा की गई पूर्वोक्त रकम को इस आदेश की प्रति को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर वापस की जाए, जिसमें विफल रहने पर संबद्ध प्राधिकारी उक्त रकम पर वास्तविक संदाय की तारीख तक 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से संदाय का दायी होगा ।

16. परिणामत:, रिट याचिका सफल होती है और मंजूर की जाती है ।

17. खर्चों के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

याचिका मंजूर की गई ।

अस.

---

[1] [1963] 2 एस. सी. आर. 255.

[2] (1993) (सप्ली.) 4 एस. सी. सी. 358.

[3] (2001) 7 एस. सी. सी. 358.

[4] जे. टी. 1992 (3) एस. सी. 417.

अब्दुल जलील

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2020 की सिविल रिट याचिका सं. 23288)

तारीख 1 फरवरी, 2021

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केशरवानी और न्यायमूर्ति (डा.) योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और क्रय का विनियमन) अधिनियम, 1953 – धारा 15 और 22 [सपठित उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और क्रय का विनियमन) नियम, 1954 का नियम 5(5)] – याची/गन्ना उत्पादक के ग्राम का अन्य गन्ना क्रय केन्द्र से संबद्ध किया जाना – याची द्वारा अभ्यावेदन व्यक्तिगत रूप से दिया जाना – किसी गन्ना उत्पादक को व्यक्तिगत रूप से यह अधिकार नहीं होगा कि वह चीनी मिलों के आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्रों को चुनौती दे और यदि उसको इस बाबत कोई शिकायत है तो वह प्रश्नगत क्षेत्र की गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से ही शिकायत कर सकता है अन्यथा नहीं ।

इस मामले में याची ने यह दावा करते हुए कि वह जिला सहारनपुर के ग्राम अम्बेहता पीर का निवासी है और गन्ने की खेती करता है और उसकी कृषि भूमि ग्राम मनकपुर में स्थित है, वर्तमान रिट याचिका मुख्यत: अपनी शिकायत चपरचिडी के गन्ना क्रय केंद्र के क्षेत्र के साथ संबद्ध किए जाने के संबंध में प्रस्तुत की है । याची का इस संबंध में दावा है कि उसने सहारनपुर के जिला गन्ना अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन तारीख 5 नवंबर, 2019 को प्रस्तुत किया था । उसने सहारनपुर के गन्ना उपायुक्त द्वारा पारित तारीख 12 अप्रैल, 2019 के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके अनुसार याची द्वारा प्रस्तुत किया गया पूर्ववर्ती अभ्यावेदन और समान शिकायत के संबंध में कुछ अन्य

गन्ना उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों को विनिश्चित कर दिया गया है । रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की आपूर्ति और क्रय का विनियमन, 1953 के उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और क्रय का विनियमन) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अर्थात् 1954 के उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और क्रय का विनियमन) नियम के अंतर्गत समाविष्ट उपबंधों के निबंधनों के अनुसार शासित होता है । 1953 का ऊपर वर्णित अधिनियम और 1954 के नियम में गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ने की आपूर्ति, चीनी मिलों द्वारा उसके क्रय और उसके मूल्य के संदाय के संबंध में विस्तारपूर्वक और विस्तृत उपबंध समाविष्ट है । 1953 के अधिनियम की योजना के निबंधनों के अनुसार गन्ने की पिराई वर्ष के दौरान चीनी मिलों को गन्ने की अपेक्षित निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने के लिए तंत्र उपबंधित किया गया है । गन्ना उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों, चीनी मिलों और क्षेत्र में कार्यरत चीनी मिलों के भी समान हितों को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की आपूर्ति, जो किसी विशिष्ट पिराई वर्ष में चीनी के उत्पादन के लिए उनके द्वारा अपेक्षित हो, 1953 के अधिनियम के उपबंधों द्वारा विनियमित होती है । 1953 के अधिनियम की धारा 12 के अधीन गन्ना आयुक्त पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया कि वह प्रत्येक चीनी मिल स्वामी से यह अपेक्षा करे की वह उस आदेश, जो उसको जारी किया जाए, में विनिर्दिष्ट रीति में और तारीख तक उस गन्ने की अनुमानित मात्रा को प्रस्तुत करे, जो उस पिराई वर्ष या वर्षों के दौरान चीनी मिल द्वारा अपेक्षित होगी, जैसाकि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए । गन्ना आयुक्त ऐसी प्रत्येक अनुमानित मात्रा का परीक्षण करने और उसको प्रकाशित करने और साथ ही उसमें किए गए उपांतरणों, यदि कोई हो, जो वह करता है, के लिए बाध्य है । अनुमानित खर्च का प्रकाशन समस्त चीनी मिलों को इस बात की सार्वजनिक रूप से जानकारी किए जाने के प्रयोजनार्थ किया गया है कि उनके द्वारा किसी विशिष्ट पिराई वर्ष या वर्षों के लिए तैयार किया गया चीनी की अपेक्षित मात्रा के आकलन को गन्ना आयुक्त द्वारा

उपांतरणों सहित या बिना किसी उपांतरण को स्वीकार कर लिया गया है । 1953 की अधिनियम की धारा 13 चीनी मिल के स्वामी पर समस्त गन्ना उत्पादकों और गन्ना उत्पादकों के सहकारी संस्था या संस्थाओं पर रजिस्टर बनाने के लिए दायित्व अधिरोपित करती है ताकि वे चीनी मिल को गन्ने का विक्रय कर सकें । राज्य सरकार धारा 14 के निबंधनों के अनुसार उस क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए उपबंधित कर सकता है जिसको किसी चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति के लिए आरक्षित या समनुदेशित किया जाना प्रस्तावित है और धारा 15 के निबंधनों के अनुसार गन्ना आयुक्त को किसी चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति के प्रयोजनार्थ किसी क्षेत्र को आरक्षित और समनुदेशित करने के लिए आदेश जारी करने के लिए सशक्त करती है । धारा 15 के अधीन आरक्षित और समनुदेशित क्षेत्र की घोषणा गन्ना आयुक्त द्वारा चीनी मिल और गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था से परामर्श के पश्चात् उस रीति में, जो विहित की जाए, की जाती है । आरक्षित क्षेत्र और समनुदेशित क्षेत्र की घोषणा, जिसके द्वारा गन्ने की आपूर्ति की ईप्सा की जाती है का उद्देश्य चीनी मिलों के दावों में होने वाले टकराव को न्यूनतम करना है और ऐसा न होने पर चीनी मिलों और साथ ही क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । किसी चीनी मिल के संबंध में आरक्षित क्षेत्र और समनुदेशित क्षेत्र की घोषणा को समाविष्ट करने वाली धारा 15 के अधीन पारित आदेश राज्य सरकार के समक्ष 1953 के अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के निबंधनों के अनुसार अपील किए जाने योग्य होते हैं । पूर्वोक्त रीति में यह देखा गया है कि 1953 के अधिनियम और 1954 के नियम के अधीन उपबंधित योजना के निबंधनों के अनुसार चीनी मिलों को चीनी की आपूर्ति और क्रय को विनियमित किए जाने के लिए विस्तारपूर्वक तंत्र उपबंधित किया गया है ताकि चीनी मिलों, गन्ना उत्पादकों और क्षेत्र में कार्यरत सहकारी संस्थाओं के भी हितों को सुरक्षित रखा जा सके । चीनी मिलों से परामर्श के पश्चात् गन्ना आयुक्त द्वारा सुरक्षित क्षेत्र और समनुदेशित क्षेत्र की घोषणा के लिए उपबंध गन्ने की आपूर्ति और क्रय को विनियमित किए जाने, क्षेत्र में चीनी मिलों के दावों में टकराव को न्यूनतम किए जाने और गन्ना उत्पादकों और गन्ना

उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं के हितों को संरक्षित किए जाने के पूर्वोक्त प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं । नियम 1954 के नियम 22 के अधीन उपबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत किसी विशिष्ट चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र और समनुदेशित क्षेत्र की घोषणा किए जाने के पूर्व समस्त सुसंगत कारकों पर विचार किए जाने के लिए उपबंधित करते हैं । वे कारक जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है, में क्षेत्र की गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था, जो क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करती है, के विचारों को भी अभिनिश्चित किया जाना सम्मिलित है । 1954 के आदेश का खंड 3 आरक्षित क्षेत्र में गन्ने के क्रय के लिए और खंड 4 समनुदेशित क्षेत्रों में गन्ने की खरीद के लिए उपबंधित करता है । खंड 5 में गन्ने के क्रय के संबंध में सामान्य उपबंध समाविष्ट हैं । खंड 5(1) के निबंधनों के अनुसार यह उपबंधित किया गया है कि आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्र में उत्पादित गन्ने को किसी भी व्यक्ति द्वारा गन्ना आयुक्त की अनुज्ञा के बिना और चीनी मिल के स्वामी द्वारा गन्ना उत्पादकों को अपेक्षा पर्ची और पहचानपत्र जारी किए बिना क्रय नहीं किया जाएगा । खंड 5 के उपखंड (2) और (3) अधिकथित करते हैं कि किसी गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था के सदस्यों की अपेक्षा पर्चियां और पहचानपत्र संस्था के अलावा किसी अन्य द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे और अपेक्षा पर्चियां और पहचानपत्रों को जारी किए जाने के अभिलेखों को चीनी मिल के स्वामी और साथ ही गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था द्वारा भी अनुरक्षित रखा जाएगा । खंड 5(4) की आज्ञा है कि गन्ने का क्रय संपूर्ण पिराई सत्र में बराबर की मात्रा में परिव्याप्त कर दिया जाएगा और खंड 5(7) अधिकथित करता है कि किसी अपेक्षा पर्ची को किसी गन्ना उत्पादक के गन्ने को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा या अंतरण के लिए प्रेरित नहीं करेगा । इस बाबत कोई विवाद कि क्या गन्ने की क्रय के लिए अंगीकृत कोई विशिष्ट प्रणाली साम्यापूर्ण है या नहीं, को खंड 5(5) के अधीन गन्ना आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा । याची और क्षेत्र के कतिपय अन्य गन्ना उत्पादकों द्वारा 1954 के आदेश के खंड 5(5) को निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत किए गए प्रत्यावेदन पर उप गन्ना आयुक्त द्वारा

पारित तारीख 12 अप्रैल, 2019 के आदेश पर तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख करते हुए विचार किया गया है कि प्रश्नगत गन्ना उत्पादक ग्राम अम्बेहता पीर के निवासी हैं किंतु चूंकि उनके गन्ना उत्पादन वाले क्षेत्र ग्राम मनकपुर में स्थित हैं, इसलिए उनके द्वारा ग्राम मनकपुर में उत्पादित गन्ने की आपूर्ति इस्लाम नगर केंद्र को किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था जबकि ग्राम अम्बेहता पीर में उत्पादित गन्नों की आपूर्ति चपरचिडी स्थित गन्ना क्रय केंद्र में किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था । उप-गन्ना आयुक्त ने 1965 के उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 81 का अवलंब लेते हुए अपने आदेश में अभिकथित किया है कि गन्ना उत्पादक ग्राम अम्बेहता पीर के निवासी होने के कारण उक्त ग्राम की सहकारी संस्था के सदस्य होने के हकदार हैं और 2018-19 के पिराई सत्र के लिए गन्ना आयुक्त द्वारा अधिसूचित गन्ने का बंधक और आपूर्ति नीति के पैरा 5(v) के निबंधनों के अनुसार उनके करार उसी ग्राम की सहकारी संस्था से चालू रहेंगे, जहां की सहकारी संस्था के वे सदस्य हैं । तथापि, उनकी कठिनाइयों पर विचार करते हुए यह साम्यापूर्ण प्रतीत किया गया कि उनको मनकपुर ग्राम में उत्पादित गन्ने की आपूर्ति इस्लाम नगर स्थित गन्ना क्रय केंद्र को किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाए और ग्राम अम्बेहता पीर में उत्पादित गन्ने की आपूर्ति चपरचिडी स्थित गन्ना क्रय केंद्र को किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाए । 1954 का आदेश, जिसे राज्य सरकार द्वारा 1953 के अधिनियम की धारा 16 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, उस प्रक्रिया को उपबंधित करता है, जिसके अधीन आरक्षित क्षेत्रों और समनुदेशित क्षेत्रों में गन्ने के क्रय को विनियमित किया जाता है । इस आदेश के अंतर्गत आरक्षित और समनुदेशित क्षेत्रों में गन्ने के क्रय के संबंध में सामान्य उपबंधों को भी अभिकथित किया गया है । 1954 के आदेश के खंड 5 को दृष्टि में रखते हुए आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्र में उत्पादित गन्ने का क्रय किसी व्यक्ति द्वारा चीनी मिल स्वामी द्वारा गन्ना उत्पादकों को और गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था के सदस्यों के मामले में उस संस्था द्वारा अपेक्षा पर्चियों और पहचानपत्र जारी किए बिना नहीं किया जा सकता ।

क्योंकि अपेक्षा पर्चियां अहस्तांतरणीय होती हैं और उनको गन्ने की अपेक्षा के अनुसार सहकारी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए किसी आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्र से गन्ने का क्रय उनके निबंधनों के अनुसार नियंत्रित होता है । पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और 1953 के अधिनियम और इस अधिनियम के अंतर्गत विरचित 1954 के नियम के अंतर्गत समाविष्ट उपबंधों के अनुसार गन्ने की आपूर्ति और क्रय को विनियमित किए जाने के प्रयोजनार्थ स्कीम पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्तिगत गन्ना उत्पादक को यह अधिकार नहीं होगा कि वह चीनी मिलों के आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्रों को चुनौती दे और यदि उसको इस बाबत कोई शिकायत है, तो वह उस शिकायत के संबंध में प्रश्नगत क्षेत्र की गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है । पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो स्थिति हमारे समक्ष उत्पन्न होती है, वह यह है कि 1953 के अधिनियम और 1954 के नियम उपबंधों के निबंधनों के अंतर्गत गन्ना उत्पादकों के क्षेत्र में गन्ने की आपूर्ति और क्रय को विनियमित किए जाने के प्रयोजनार्थ चीनी मिलों के गन्ना क्षेत्रों को आरक्षित और समनुदेशित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक विस्तृत तंत्र उपबंधित किया गया है । वे कारक, जिन पर विचार किया जाता है, में क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के विचार अभिनिश्चित किया जाना भी सम्मिलित है । इसलिए, वैयक्तिक गन्ना उत्पादकों को किसी विशिष्ट चीनी मिल के पक्ष में गन्ना क्षेत्रों के आरक्षण या समनुदेशन को कोई चुनौती देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और इस संबंध में शिकायत केवल गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के माध्यम से उठाया जा सकता है, जो क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करती हैं । जहां तक याची के दावे का संबंध है कि उसके द्वारा सहारनपुर के जिला गन्ना अधिकारी के समक्ष फाइल की गई शिकायत के संबंध में तारीख 5 नवंबर, 2019 का प्रत्यावेदन विनिश्चित किया जाए, इस तथ्य का उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि समान शिकायतें उठाने वाले पूर्ववर्ती प्रत्यावेदनों पर विचार किया जा चुका है और उसको सहारनपुर के उप गन्ना आयुक्त

द्वारा पारित तारीख 12 अप्रैल, 2019 के विस्तृत आदेश द्वारा विनिश्चित किया जा चुका है, जो तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किए जाने और विभिन्न गन्ना केंद्रों पर गन्ने की आपूर्ति के संबंध में सुसंगत कानूनी उपबंधों के अंतर्गत उपबंधित योजना पर विचारोपरांत विनिश्चित किया गया । (पैरा 6, 7, 8, 9, 10, 11,15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29 और 30)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 12 ए. डी. जे. 417 (खंड न्यायपीठ) : **अकरम खां और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ;	28
[2014]	2014 की सिविल रिट सं. 2075 तारीख 15 जनवरी, 2014 को विनिश्चित : **सतनाम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ;	26
[2013]	2013 की लोक हित याचिका सं. 1081 तारीख 9 जनवरी, 2013 को विनिश्चित : **धर्मवीर सिंह और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ।	27

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2020 की सिविल रिट याचिका सं. 23288.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री चेतन चटर्जी

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री रवीन्द्र सिंह (सी. एस. सी.)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (डा.) योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने दिया ।

न्या. (डा.) श्रीवास्तव – वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना करते हुए फाइल की गई है :–

"(क) प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा पारित तारीख 12 अप्रैल, 2019 के

आदेश (जो इस रिट याचिका का संलग्नक 8 है) को अभिखंडित किए जाने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए ।

(ख) याची द्वारा 1954 के उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति और कर आदेश के नियम 5(5) के अनुसार प्रस्तुत किए गए तारीख 5 नवंबर, 2019 के प्रत्यावेदन के विनिश्चित किए जाने के लिए प्रत्यर्थी सं. 2 को निर्देशित किए जाने के प्रयोजनार्थ परमादेश की प्रकृति में रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए ।

(ग) याची का गन्ना एकत्रण केंद्र समनुदेशित किए जाने, जैसाकि वह जिला सहारनपुर के सहारनपुर गन्ना परिक्षेत्र में 3/चपरचिडी के बजाए वर्ष 2018-19 के पहले 4/इस्लाम नगर-3 में स्थित था, के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी सं. 2 को निर्देशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए ।

(घ) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जैसाकि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जारी करना उचित प्रतीत करे ।"

2. याची ने यह दावा करते हुए कि वह जिला सहारनपुर के ग्राम अम्बेहता पीर का निवासी है और गन्ने की खेती करता है और उसकी कृषि भूमि ग्राम मनकपुर में स्थित है, ने वर्तमान रिट याचिका मुख्यत: अपनी शिकायत चपरचिडी के गन्ना क्रय केंद्र के क्षेत्र के साथ संबद्ध किए जाने के संबंध में प्रस्तुत की है । याची का इस संबंध में दावा है कि उसने सहारनपुर के जिला गन्ना अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन तारीख 5 नवंबर, 2019 को प्रस्तुत किया था । उसने सहारनपुर के गन्ना उपायुक्त द्वारा पारित तारीख 12 अप्रैल, 2019 के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके अनुसार याची द्वारा प्रस्तुत किया गया पूर्ववर्ती अभ्यावेदन और समान शिकायत के संबंध में कुछ अन्य गन्ना उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों को विनिश्चित कर दिया गया है ।

3. याची के विद्वान् काउंसेल की दलील यह है कि ग्राम मनकपुर के गन्ना उत्पादक अपना गन्ना पूर्ववर्ती वर्षों में इस्लाम नगर स्थित

गन्ना क्रय केंद्र जिसका केंद्र कोड सं. 4/इस्लाम नगर-3 है, को कर रहे थे और वर्ष 2018-19 के पिराई वर्ष के दौरान उन्होंने उनको जिला सहारनपुर के गन्ना क्रय केंद्र सं. 3/चपरचिडी स्थानांतरित कर दिया गया है । उन्होंने निवेदन किया कि चपरचिडी स्थित गन्ना क्रय केंद्र इस्लाम नगर स्थित गन्ना क्रय केंद्र से अत्यधिक दूरी पर स्थित है, जिसके कारण ग्राम मनकपुर के गन्ना उत्पादकों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । उन्होंने 1954 के उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति और क्रय आदेश के खंड 5(5) का अवलंब लेते हुए यह दलील दी है कि गन्ने के क्रय का यह विवाद गन्ना आयुक्त को तय किए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए कि क्या क्रय के संबंध में अंगीकृत कोई विनिर्दिष्ट प्रणाली साम्यापूर्ण है या नहीं यदि है तो उसी के अनुसार याची द्वारा प्रस्तुत किए गए तारीख 5 नवंबर, 2019 के प्रत्यावेदन को उसके निबंधनों के अनुसार विनिश्चित किया जाए ।

4. राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री मनोज कुमार कुशवाहा और प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री रवीन्द्र सिंह ने एक व्यक्तिगत गन्ना उत्पादक की ओर से रिट याचिका की पोषणीयता के विरुद्ध आक्षेप उठाए हैं और उन्होंने निवेदन किया कि इस संबंध में कोई भी शिकायत प्रश्नगत क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के माध्यम से उठाई जा सकती है । उन्होंने निवेदन किया कि याची, जो स्वयं को क्षेत्र का गन्ना उत्पादक होने का दावा करता है, द्वारा फाइल की गई रिट याचिका भ्रामक है और खारिज किए जाने योग्य है ।

5. पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

6. उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की आपूर्ति और क्रय का विनियमन 1953 के उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और क्रय का विनियमन) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अर्थात् 1954 के उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और क्रय का विनियमन) नियम के अंतर्गत समाविष्ट उपबंधों के निबंधनों के अनुसार शासित होता है ।

7. 1953 का ऊपर वर्णित अधिनियम और 1954 के नियम में गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ने की आपूर्ति, चीनी मिलों द्वारा उसके क्रय और उसके मूल्य के संदाय के संबंध में विस्तारपूर्वक और विस्तृत उपबंध समाविष्ट है । 1953 के अधिनियम की योजना के निबंधनों के अनुसार गन्ने की पिराई वर्ष के दौरान चीनी मिलों को गन्ने की अपेक्षित निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने के लिए तंत्र उपबंधित किया गया है । गन्ना उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों, चीनी मिलों और क्षेत्र में कार्यरत चीनी मिलों के भी समान हितों को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की आपूर्ति, जो किसी विशिष्ट पिराई वर्ष में चीनी के उत्पादन के लिए उनके द्वारा अपेक्षित हो, 1953 के अधिनियम के उपबंधों द्वारा विनियमित होती है ।

8. 1953 के अधिनियम की धारा 12 के अधीन गन्ना आयुक्त पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया कि वह प्रत्येक चीनी मिल स्वामी से यह अपेक्षा करे की वह उस आदेश, जो उसको जारी किया जाए, में विनिर्दिष्ट रीति में और तारीख तक उस गन्ने की अनुमानित मात्रा को प्रस्तुत करे, जो उस पिराई वर्ष या वर्षों के दौरान चीनी मिल द्वारा अपेक्षित होगी, जैसाकि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए । गन्ना आयुक्त ऐसी प्रत्येक अनुमानित मात्रा का परीक्षण करने और उसको प्रकाशित करने और साथ ही उसमें किए गए उपांतरणों, यदि कोई हो, जो वह करता है, के लिए बाध्य है ।

9. अनुमानित खर्च का प्रकाशन समस्त चीनी मिलों को इस बात की सार्वजनिक रूप से जानकारी किए जाने के प्रयोजनार्थ किया गया है कि उनके द्वारा किसी विशिष्ट पिराई वर्ष या वर्षों के लिए तैयार किया गया चीनी की अपेक्षित मात्रा के आकलन को गन्ना आयुक्त द्वारा उपांतरणों सहित या बिना किसी उपांतरण को स्वीकार कर लिया गया है । 1953 की अधिनियम की धारा 13 चीनी मिल के स्वामी पर समस्त गन्ना उत्पादकों और गन्ना उत्पादकों के सहकारी संस्था या संस्थाओं पर रजिस्टर बनाने के लिए दायित्व अधिरोपित करती है ताकि वे चीनी मिल को गन्ने का विक्रय कर सकें । राज्य सरकार धारा 14 के निबंधनों के अनुसार उस क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए उपबंधित कर सकता है जिसको

किसी चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति के लिए आरक्षित या समनुदेशित किया जाना प्रस्तावित है और धारा 15 के निबंधनों के अनुसार गन्ना आयुक्त को किसी चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति के प्रयोजनार्थ किसी क्षेत्र को आरक्षित और समनुदेशित करने के लिए आदेश जारी करने के लिए सशक्त करती है ।

10. धारा 15 के अधीन आरक्षित और समनुदेशित क्षेत्र की घोषणा गन्ना आयुक्त द्वारा चीनी मिल और गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था से परामर्श के पश्चात् उस रीति में, जो विहित की जाए, की जाती है ।

11. आरक्षित क्षेत्र और समनुदेशित क्षेत्र की घोषणा, जिसके द्वारा गन्ने की आपूर्ति की ईप्सा की जाती है का उद्देश्य चीनी मिलों के दावों में होने वाले टकराव को न्यूनतम करना है और ऐसा न होने पर चीनी मिलों और साथ ही क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

12. वे मार्गदर्शक सिद्धांत, जिनका अनुसरण किसी चीनी मिल को आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्र घोषित किए जाने और उस गन्ने की मात्रा के विनिर्धारण, जिसको क्षेत्र से चीनी मिल द्वारा क्रय किया जाना है, में किया जाना अपेक्षित है, को 1954 के नियम 22 के अधीन उपबंधित किया गया ।

13. आरक्षित और समनुदेशित क्षेत्रों के विनिर्धारण के संबंध में उपबंध, जैसाकि 1953 के अधिनियम की धारा 15 के अधीन समाविष्ट है, को नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है :–

> "15. **आरक्षित क्षेत्र और निर्दिष्ट क्षेत्र की घोषणा** – (1) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन गन्ना आयुक्त द्वारा किए गए किसी भी आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना गन्ना आयुक्त, कारखाना और गन्ना उत्पादक सहकारी समिति से परामर्श करने के पश्चात् विहित रीति में –
>
> (क) किसी भी क्षेत्र को आरक्षित करे (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आरक्षित क्षेत्र" कहा गया है) ; और

(ख) किसी भी क्षेत्र को समनुदेशित करे (जिसे इसमें इसके पश्चात् "समनुदेशित क्षेत्र" कहा गया है)

धारा 16 के उपबंधों के अनुसार कारखाने को गन्ने की आपूर्ति के प्रयोजन के लिए एक या एक से अधिक पेराई मौसम के दौरान निर्दिष्ट किया जा सकता है और इसी तरह ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है या इस प्रकार आरक्षित या निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं को बदल सकता है ।

2. जहां किसी क्षेत्र को किसी कारखाने के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया हो, ऐसे कारखाने का अधिभोगी यदि गन्ना आयुक्त द्वारा निदेशित किया जाता है तो उस क्षेत्र में उगाए गए सभी गन्ने खरीदेगा जिसे कारखाने को बिक्री के लिए दिया जाता है ।

3. जहां किसी क्षेत्र को किसी कारखाने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया है, ऐसे कारखाने का अधिभोगी उस क्षेत्र में उगाए गए गन्ने की मात्रा खरीदेगा और कारखाने को बिक्री के लिए उस रीति में पेश किया जाएगा जैसे गन्ना आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

4. उपधारा (1) के अधीन पारित गन्ना आयुक्त के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील की जा सकेगी ।

14. किसी क्षेत्र को आरक्षित किए जाने या समनुदेशित किए जाने के पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 1954 के नियम 22 के अधीन उपबंधित हैं, जिनको नीचे उद्धृत किया गया है :–

"22. धारा 15 के अधीन किसी कारखाने के लिए एक क्षेत्र आरक्षित करने या समनुदेशित करने या एक कारखाने द्वारा एक क्षेत्र से खरीदे जाने वाले गन्ने की मात्रा निर्धारित करने में गन्ना आयुक्त निम्न बिन्दुओं पर विचार कर सकता है –

(क) कारखाने से क्षेत्र की दूरी,

(ख) क्षेत्र से गन्ना के परिवहन के लिए सुविधाएं,

(ग) पिछले वर्ष में क्षेत्र से कारखाने के लिए आपूर्ति की गई गन्ने की मात्रा,

(घ) पिछला आरक्षण और समनुदेशन आदेश,

(ङ) कारखाने में पेराई जाने वाली गन्ने की मात्रा,

(च) उपकर, गन्ना मूल्य और कमीशन के भुगतान के लिए कारखाने द्वारा पिछले वर्षों में की गई व्यवस्था,

(छ) क्षेत्र के गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के विचार,

(ज) कारखाने द्वारा आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्र के विकसित करने के लिए किए गए प्रयास,

(झ) वेबसाइट, एसएमएस, आईवीआरएस, एचएचसी, जीपीएस, इलेक्ट्रोनिक वे-ब्रिज आदि के माध्यम से सर्वेक्षण, टिकट आपूर्ति, भारोत्तोलन और भुगतान आदि से संबंधित कृषकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए कारखाने द्वारा किए गए प्रयास ।"

15. किसी चीनी मिल के संबंध में आरक्षित क्षेत्र और समनुदेशित क्षेत्र की घोषणा को समाविष्ट करने वाली धारा 15 के अधीन पारित आदेश राज्य सरकार के समक्ष 1953 के अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के निबंधनों के अनुसार अपील किए जाने योग्य होते हैं ।

16. पूर्वोक्त रीति में यह देखा गया है कि 1953 के अधिनियम और 1954 के नियम के अधीन उपबंधित योजना के निबंधनों के अनुसार चीनी मिलों को चीनी की आपूर्ति और क्रय को विनियमित किए जाने के लिए विस्तारपूर्वक तंत्र उपबंधित किया गया है ताकि चीनी मिलों, गन्ना उत्पादकों और क्षेत्र में कार्यरत सहकारी संस्थाओं के भी हितों को सुरक्षित रखा जा सके । चीनी मिलों से परामर्श के पश्चात् गन्ना आयुक्त द्वारा सुरक्षित क्षेत्र और समनुदेशित क्षेत्र की घोषणा के लिए उपबंध गन्ने की आपूर्ति और क्रय को विनियमित किए जाने, क्षेत्र में चीनी मिलों के दावों में टकराव को न्यूनतम किए जाने और गन्ना उत्पादकों और गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं के हितों को संरक्षित किए जाने के पूर्वोक्त प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं ।

17. नियम 1954 के नियम 22 के अधीन उपबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत किसी विशिष्ट चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र और समनुदेशित क्षेत्र की घोषणा किए जाने के पूर्व समस्त सुसंगत कारकों पर विचार किए जाने के लिए उपबंधित करते हैं । वे कारक जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है, में क्षेत्र की गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था, जो क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करती है, के विचारों को भी अभिनिश्चित किया जाना सम्मिलित है ।

18. जहां तक याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा 1954 के उत्तर प्रदेश चीनी आपूर्ति और क्रय आदेश के खंड 5(5) पर आधारित दलील का संबंध है, इस बात का उल्लेख किया जाता है कि 1954 के ऊपर वर्णित आदेश को राज्य सरकार द्वारा 1953 के अधिनियम की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है । आरक्षित और समनुदेशित क्षेत्रों में गन्ने के क्रय के संबंध में सुसंगत उपबंध, जैसाकि 1954 के आदेश के खंड 3, 4 और 5 में समाविष्ट है, को नीचे उद्धृत किया गया है :–

> '3. **आरक्षित क्षेत्र में गन्ने की खरीद** – (1) कारखाने के अधिभोगी द्वारा गन्ना आयुक्त को किए जाने वाले आवेदन पर कारखाने का अधिभोगी अक्तूबर के 31वें दिन या पेराई सत्र में ऐसी बाद की तारीख तक प्राक्कलन करेगा या करवाएगा, गन्ना आयुक्त द्वारा, उत्पादक रजिस्टर में नामांकित प्रत्येक उत्पादक के साथ गन्ने की मात्रा तय की जाएगी और मांग किए जाने पर प्राक्कलन गन्ना आयुक्त और कलक्टर को प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा ।
>
> (2) गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति कारखाने के लिए क्षेत्र आरक्षित करने के आदेश के जारी होने के 14 दिनों के भीतर आरक्षित क्षेत्र में उगाए गए गन्ने की आपूर्ति के लिए परिशिष्ट के फॉर्म 'क' में कारखाने के मालिक को प्रस्ताव दे सकती है ।
>
> (3) उस कारखाने का अधिभोगी जिसके लिए क्षेत्र आरक्षित किया गया है, परिशिष्ट के फॉर्म 'ख' और फॉर्म 'ग' के अनुसार

प्रस्ताव की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर प्रस्तावित गन्ने के संबंध में गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति, जैसा भी मामला हो, के साथ करार निष्पादित करेगा ।

(4) गन्ना आयुक्त लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के आधार पर आरक्षित क्षेत्र के संबंध में प्रस्ताव की तारीख बढ़ा सकता है ।

4. **समनुदेशित क्षेत्र में गन्ने की खरीद** – उस कारखाने का अधिभोगी, जिसके लिए क्षेत्र समनुदेशित किया गया है, उस क्षेत्र के समनुदेशन के आदेश की तारीख के 14 दिनों के भीतर परिशिष्ट के फॉर्म 'ख' या फॉर्म 'ग' के रूप में गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के साथ गन्ने की उस मात्रा को लेकर जो गन्ना आयुक्त द्वारा नियत की गई है, समनुदेशित क्षेत्र से क्रय करने हेतु करार निष्पादित करेगी :

परंतु यह तब जबकि विहित करार के निष्पादन के पूर्व गन्ने की कोई भी खरीद ऐसे करार के अनुसरण में की गई समझी जाएगी ।

5. **गन्ने की खरीद के संबंध में सामान्य उपबंध** – (1) किसी कारखाने के आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्र में उगाए गए गन्ने को, गन्ना आयुक्त की अनुमति के सिवाय, कारखाने के अधिभोगी द्वारा अध्यपेक्षा पर्ची और पहचानपत्र पूर्व में जारी किए बिना, किसी भी व्यक्ति द्वारा सुविधाजनक केन्द्रों पर नहीं खरीदा जाएगा ।

(2) उपखंड (1) में किसी बात के होते हुए गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के सदस्यों को मांग पर्ची और पहचानपत्र ऐसी सोसाइटी के अलावा जारी नहीं किए जाएंगे ।

(3) किसी कारखाने का अधिभोगी या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति जारी किए गए पहचानपत्रों को सूचीबद्ध कर अभिलेख तैयार करेगा और उत्पादकों को जारी की गई और उनसे प्राप्त की गई अध्यपेक्षा पर्चियों का दैनिक अभिलेख भी तैयार करेगा ।

(4) गन्ने की खरीद पूरे पेराई मौसम में एक समान तरीके से की जाएगी और गन्ने की किस्म और परिपक्वता पर उचित ध्यान दिया जाएगा :

परंतु यह तब जबकि यह प्रतिषेध वहां लागू नहीं होगा जहां पेराई के मौसम में गन्ना उत्पादक से खरीदे गए गन्ने की मात्रा एक बुग्गी (कार्ट) से अधिक न हो ।

(5) गन्ने की खरीद के लिए अपनाई गई कोई विशेष प्रणाली साम्यापूर्ण है या नहीं, इस विवाद को गन्ना आयुक्त को भेजा जा सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

(6) गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के सिवाय कोई भी व्यक्ति कारखाने के अधिभोगी को गन्ना नहीं बेचेगा ।

(7) कोई भी व्यक्ति गन्ना उत्पादक की अध्यपेक्षा पर्ची को इस आशय से किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा और न ही ऐसे हस्तांतरण के लिए उकसाएगा कि कारखाने को वह गन्ना बेच दिया जाए जिसके लिए अध्यपेक्षा पर्ची जारी नहीं की गई है ।

19. 1954 के आदेश का खंड 3 आरक्षित क्षेत्र में गन्ने के क्रय के लिए और खंड 4 समनुदेशित क्षेत्रों में गन्ने की खरीद के लिए उपबंधित करता है । खंड 5 में गन्ने के क्रय के संबंध में सामान्य उपबंध समाविष्ट हैं । खंड 5(1) के निबंधनों के अनुसार यह उपबंधित किया गया है कि आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्र में उत्पादित गन्ने को किसी भी व्यक्ति द्वारा गन्ना आयुक्त की अनुज्ञा के बिना और चीनी मिल के स्वामी द्वारा गन्ना उत्पादकों को अपेक्षा पर्ची और पहचानपत्र जारी किए बिना क्रय नहीं किया जाएगा । खंड 5 के उपखंड (2) और (3) अधिकथित करते हैं कि किसी गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था के सदस्यों को अपेक्षा पर्चियां और पहचानपत्र संस्था के अलावा किसी अन्य द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे और अपेक्षा पर्चियां और पहचानपत्रों को जारी किए जाने के अभिलेखों को चीनी मिल के स्वामी और साथ ही

गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था द्वारा भी अनुरक्षित रखा जाएगा । खंड 5(4) की आज्ञा है कि गन्ने का क्रय संपूर्ण पिराई सत्र में बराबर की मात्रा में परिव्याप्त कर दिया जाएगा और खंड 5(7) अधिकथित करता है कि किसी अपेक्षा पर्ची को किसी गन्ना उत्पादक के गन्ने को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा या अंतरण के लिए प्रेरित नहीं करेगा । इस बाबत कोई विवाद कि क्या गन्ने की क्रय के लिए अंगीकृत कोई विशिष्ट प्रणाली साम्यापूर्ण है या नहीं, को खंड 5(5) के अधीन गन्ना आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

20. याची और क्षेत्र के कतिपय अन्य गन्ना उत्पादकों द्वारा 1954 के आदेश के खंड 5(5) को निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत किए गए प्रत्यावेदन पर उप-गन्ना आयुक्त द्वारा पारित तारीख 12 अप्रैल, 2019 के आदेश पर तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख करते हुए विचार किया गया है कि प्रश्नगत गन्ना उत्पादक ग्राम अम्बेहता पीर के निवासी हैं किंतु चूंकि उनके गन्ना उत्पादन वाले क्षेत्र ग्राम मनकपुर में स्थित हैं, इसलिए उनके द्वारा ग्राम मनकपुर में उत्पादित गन्ने की आपूर्ति इस्लाम नगर केंद्र को किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था जबकि ग्राम अम्बेहता पीर में उत्पादित गन्नों की आपूर्ति चपरचिडी स्थित गन्ना क्रय केंद्र में किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था ।

21. उप-गन्ना आयुक्त ने 1965 के उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 81 का अवलंब लेते हुए अपने आदेश में अभिकथित किया है कि गन्ना उत्पादक ग्राम अम्बेहता पीर के निवासी होने के कारण उक्त ग्राम की सहकारी संस्था के सदस्य होने के हकदार हैं और 2018-19 के पिराई सत्र के लिए गन्ना आयुक्त द्वारा अधिसूचित गन्ने का बंधक और आपूर्ति नीति के पैरा 5(v) के निबंधनों के अनुसार उनके करार उसी ग्राम की सहकारी संस्था से चालू रहेंगे, जहां की सहकारी संस्था के वे सदस्य हैं । तथापि, उनकी कठिनाइयों पर विचार करते हुए यह साम्यापूर्ण प्रतीत किया गया कि उनको मनकपुर ग्राम में उत्पादित गन्ने की आपूर्ति इस्लाम नगर स्थित गन्ना क्रय केंद्र को किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाए और ग्राम अम्बेहता पीर में उत्पादित गन्ने की आपूर्ति चपरचिडी स्थित गन्ना क्रय केंद्र को किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाए ।

22. 1954 का आदेश, जिसे राज्य सरकार द्वारा 1953 के अधिनियम की धारा 16 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, उस प्रक्रिया को उपबंधित करता है, जिसके अधीन आरक्षित क्षेत्रों और समनुदेशित क्षेत्रों में गन्ने के क्रय को विनियमित किया जाता है । इस आदेश के अंतर्गत आरक्षित और समनुदेशित क्षेत्रों में गन्ने के क्रय के संबंध में सामान्य उपबंधों को भी अभिकथित किया गया है ।

23. 1954 के आदेश के खंड 5 को दृष्टि में रखते हुए आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्र में उत्पादित गन्ने का क्रय किसी व्यक्ति द्वारा चीनी मिल स्वामी द्वारा गन्ना उत्पादकों को और गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था के सदस्यों के मामले में उस संस्था द्वारा अपेक्षा पर्चियों और पहचानपत्र जारी किए बिना नहीं किया जा सकता । क्योंकि अपेक्षा पर्चियां अहस्तांतरणीय होती हैं और उनको गन्ने की अपेक्षा के अनुसार सहकारी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए किसी आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्र से गन्ने का क्रय उनके निबंधनों के अनुसार नियंत्रित होता है ।

24. इस मामले के याची का यह दावा है कि वह क्षेत्र का गन्ना उत्पादक है और वह अपने ग्राम के चपरचिडी गन्ना क्रय केंद्र के स्थान पर इस्लाम नगर गन्ना क्रय केंद्र से संबद्ध किए जाने के निदेश की ईप्सा कर रहा है । वास्तव में याची ने उन आदेशों के विरुद्ध शिकायत की है, जिनके अंतर्गत गन्ना क्षेत्र, जिसमें ग्राम मनकपुर सम्मिलित है, को 1953 के अधिनियम और इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित नियम के अंतर्गत कानूनी उपबंधों के निबंधनों के अनुसार आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ।

25. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और 1953 के अधिनियम और इस अधिनियम के अंतर्गत विरचित 1954 के नियम के अंतर्गत समाविष्ट उपबंधों के अनुसार गन्ने की आपूर्ति और क्रय को विनियमित किए जाने के प्रयोजनार्थ स्कीम पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्तिगत गन्ना उत्पादक को यह अधिकार नहीं होगा कि वह चीनी मिलों के आरक्षित या समनुदेशित क्षेत्रों को चुनौती दे

और यदि उसको इस बाबत कोई शिकायत है, तो वह उस शिकायत के संबंध में प्रश्नगत क्षेत्र की गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है ।

26. हम इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा **सतनाम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट करते हैं, जिसमें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के आरक्षण के संबंध में व्यक्तिगत गन्ना उत्पादकों द्वारा समान आधारों पर चुनौती दी गई थी और जिनको अस्वीकार कर दिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "हमारा विचार है कि यदि याची ग्राम उंद्रा में कुछ अधिक किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो भी उसको प्रस्तुत रिट याचिका फाइल करने का अधिकार नहीं है, चूंकि गन्ना आयुक्त या राज्य सरकार सभी किसानों को उनके विचार स्पष्ट किए जाने हेतु सूचना जारी करने के लिए बाध्य नहीं है । गन्ना आयुक्त को गन्ना केंद्रों को स्थापित किए जाने के लिए आदेश पारित किए जाने के प्रयोजनार्थ संबद्ध गन्ना सहकारी संस्थाओं के बहुसंख्य गन्ना उत्पादकों के हितों पर विचार करना होता है और यह गन्ना सहकारी संस्थाएं ही हैं, जिनको व्यथित पक्ष माना जा सकता है, चूंकि वे गन्ना आयुक्त, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के समक्ष अपने सदस्य गन्ना उत्पादकों की शिकायतों के निवारण हेतु उन सहकारी संस्थाओं द्वारा स्थापित क्रय केंद्रों से संबद्ध गन्ना उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करती हैं ।"

27. इस न्यायालय ने **धर्मवीर सिंह और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में पारित निर्णय में समान विचार व्यक्त करते हुए अभिनिर्धारित किया कि गन्ना आयुक्त द्वारा 1954 के नियम 22 के अधीन गन्ना क्षेत्र के आरक्षण का आदेश पारित करते हुए उस क्षेत्र की गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था के विचार अभिनिश्चित करना अपेक्षित है और व्यक्तिगत किसानों को सूचना जारी किया जाना या

---

[1] 2014 की सिविल रिट सं. 2075 तारीख 15 जनवरी, 2014 को विनिश्चित ।

[2] 2013 की लोक हित याचिका सं. 1081 तारीख 9 जनवरी, 2013 को विनिश्चित ।

उनके विचार अभिनिश्चित किया जाना अपेक्षित नहीं है । इस निर्णय में व्यक्त किए गए विचार निम्नलिखित हैं :–

> "हम इस दावे में कोई गुणागुण नहीं पाते क्योंकि 1954 के उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और क्रय के विनियम) नियम के नियम 22 के सुसंगत नियम 22 के अधीन गन्ना आयुक्त से यह अपेक्षित है कि वह गन्ना क्षेत्र के आरक्षण के लिए आरंभिक आदेश पारित करते हुए क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था के विचार अभिनिश्चित करें । इस प्रक्रम पर यह अपेक्षित नहीं है कि व्यक्तिगत किसानों को सूचनाएं जारी की जाएं या उनके विचार अभिनिश्चित किए जाएं इसलिए राज्य सरकार अधिनियम की धारा 15(4) के अधीन अपील की सुनवाई करते हुए याची जैसे व्यक्तिगत किसानों को सूचना जारी करने के किसी भी उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है ।"

28. पूर्वोक्त विधिक स्थिति को **अकरम खान और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए नवीनतम निर्णय में दोहराया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यक्तिगत गन्ना उत्पादकों की तरफ से फाइल की गई रिट याचिका, जिसके द्वारा गन्ना क्षेत्रों के आरक्षण या समनुदेशन के संबंध में शिकायतें उठाना ईप्सित है, पोषणीय नहीं होगी और उनकी शिकायतों को केवल गन्ना उत्पादकों की सहकारी संस्था द्वारा ही उठाया जा सकता है ।

29. पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो स्थिति हमारे समक्ष उत्पन्न होती है, वह यह है कि 1953 के अधिनियम और 1954 के नियम उपबंधों के निबंधनों के अंतर्गत गन्ना उत्पादकों के क्षेत्र में गन्ने की आपूर्ति और क्रय को विनियमित किए जाने के प्रयोजनार्थ चीनी मिलों के गन्ना क्षेत्रों को आरक्षित और समनुदेशित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक विस्तृत तंत्र उपबंधित किया गया है । वे कारक, जिन पर विचार किया जाता है, में क्षेत्र के गन्ना

---

[1] (2019) 12 ए. डी. जे. 417 (खंड न्यायपीठ).

उत्पादकों की सहकारी समिति के विचार अभिनिश्चित किया जाना भी सम्मिलित है । इसलिए, वैयक्तिक गन्ना उत्पादकों को किसी विशिष्ट चीनी मिल के पक्ष में गन्ना क्षेत्रों के आरक्षण या समनुदेशन को कोई चुनौती देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और इस संबंध में शिकायत केवल गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के माध्यम से उठाया जा सकता है, जो क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करती हैं ।

30. जहां तक याची के दावे का संबंध है कि उसके द्वारा सहारनपुर के जिला गन्ना अधिकारी के समक्ष फाइल की गई शिकायत के संबंध में तारीख 5 नवंबर, 2019 का प्रत्यावेदन विनिश्चित किया जाए, इस तथ्य का उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि समान शिकायतें उठाने वाले पूर्ववर्ती प्रत्यावेदनों पर विचार किया जा चुका है और उसको सहारनपुर के उप गन्ना आयुक्त द्वारा पारित तारीख 12 अप्रैल, 2019 के विस्तृत आदेश द्वारा विनिश्चित किया जा चुका है, जो तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किए जाने और विभिन्न गन्ना केंद्रों पर गन्ने की आपूर्ति के संबंध में सुसंगत कानूनी उपबंधों के अंतर्गत उपबंधित योजना पर विचारोपरांत विनिश्चित किया गया ।

31. पूर्वोक्त आदेश में याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा कोई तात्विक त्रुटि या अवैधता, जिसके बाबत मध्यक्षेप अपेक्षित हो, नहीं बताई गई ।

32. हम पूर्वोक्त समस्त कारणोवश वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने के लिए आनत नहीं है और तद्नुसार यह खारिज की जाती है ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

अस./शु.

मौसमी सरकार

बनाम

सुभेन्दू सरकार

(2016 की एफ. एम. ए. टी. सं. 624)

तारीख 19 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति अरिन्दम सिन्हा और न्यायमूर्ति सुव्रा घोष

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) – धारा 9 – दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु पति द्वारा वाद फाइल किया जाना – पति के पक्ष में डिक्री पारित किया जाना – पत्नी द्वारा डिक्री के विरुद्ध अपील – पति द्वारा पत्नी पर किए गए अभिकथित अत्याचार से संबंधित पत्नी द्वारा इत्तिला रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराना – अत्याचार का साबित न होना – अपीलार्थी/पत्नी ने यह दावा किया है कि उसे तारीख 9 अप्रैल, 2017 को उसके वैवाहिक गृह से निकाल दिया गया था फिर भी उसने तारीख 18 अप्रैल, 2017 को 9 दिन के विलंब से शिकायत दर्ज कराई और इस विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, साथ ही यह भी अविश्वसनीय है कि 24 मार्च, 2017 तक पत्नी से किसी भी धन की मांग नहीं की गई किन्तु दूसरे अवसर पर जब वह अपनी ससुराल आती है तो उसकी सास उससे अचानक धन की मांग कर लेती है जिसके संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराना मात्र एक कागजी कार्रवाई प्रतीत होती है, अत: ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/पत्नी का कथन विरोधाभासी प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप निचले न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

अपीलार्थी (पत्नी) और पति (प्रत्यर्थी) इस मामले में पक्षकार हैं जिनका विवाह तारीख 23 नवंबर, 2012 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था जिसके उपरांत पत्नी अपने पति के घर चली गई । विवाह के कुछ दिनों के बाद अपीलार्थी-पत्नी ने प्रत्यर्थी-पति पर यह

दबाव डाला कि वह घर-जमाई बनकर उसके साथ रहे और पत्नी अपने माता-पिता के यहां प्राय: आने-जाने लगी । वह अपनी ससुराल जाने के लिए सदैव अनिच्छा प्रकट करती थी । अंत में, तारीख 27 दिसंबर, 2013 को अपीलार्थी-पत्नी अपने माता-पिता के यहां अपने सामान के साथ स्थायी रूप से रहने के लिए रवाना हो गई । पत्नी ने यह व्यक्त किया कि वह अपने पति के साथ पत्नी के रूप में नहीं रह सकती । अत: प्रत्यर्थी-पति दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अधीन आवेदन विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष फाइल करने के लिए विवश हो गया । अपीलार्थी-पत्नी ने लिखित कथन फाइल करके इस वाद का प्रतिवाद किया जिसमें उसने अपने पति द्वारा लगाए गए सारभूत अभिकथनों से इनकार किया और यह दलील दी कि उसके पिता ने विवाह के समय दोनों दाम्पत्तियों को आभूषण, फर्नीचर और 50,000/- रुपए की नकदी भेंट की थीं । वैवाहिक गृह में पर्याप्त आवास न होने के कारण अपीलार्थी पत्नी के पिता ने उन्हें तारीख 2 जनवरी, 2013 को रजिस्ट्रीकृत विलेख के माध्यम से एक भूखंड भी दान किया और उसमें उनके लिए एक मंजिला मकान भी बनवाया । अपीलार्थी-पत्नी ने यह भी प्रतिवाद किया है कि उसने तारीख 2 फरवरी, 2014 को एक पुत्री को जन्म दिया जिसके पश्चात् प्रत्यर्थी-पति और उसके माता-पिता ने छोटे-मोटे मुद्दों को लेकर अपीलार्थी-पत्नी के साथ शारीरिक और मानसिक यातनापूर्ण व्यवहार किया । उन्होंने उसके पिता से 1,00,000/- रुपए की भी मांग की और उसके मना करने पर उन्होंने अपीलार्थी-पत्नी के साथ यातनापूर्ण व्यवहार करना और उसका अपमान करना जारी रखा और अंत में उन्होंने तारीख 10 अगस्त, 2014 को अपीलार्थी को उसकी पुत्री के साथ घर से बाहर निकाल दिया । पक्षकारों के बीच समझौता कराने के कई प्रयास किए गए जो विफल रहे और इसी कारण अपीलार्थी-पत्नी मजबूर होकर अपने मायके में रहती है । अपीलार्थी-पत्नी ने इस वाद के खारिज किए जाने की प्रार्थना की है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने

के लिए अपीलार्थी ने यह दलील दी है कि न्यायालय के आदेश के अनुसरण में पक्षकारों और उनके माता-पिता के बीच पारस्परिक समझौता किया गया था और अपीलार्थी तारीख 9 मार्च, 2017 को अपनी पुत्री के साथ अपने मायके चली गई थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके पति ने उस पर और उसकी 3 वर्ष की पुत्री के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया है और उसे विवश होकर टीन-शेड के नीचे रहना पड़ा जहां वह और उसकी पुत्री गंभीर रोगग्रस्त हो गए । चूंकि प्रत्यर्थी बच्चे को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना नहीं चाहता था, इसलिए वह तारीख 23 अप्रैल, 2017 को अपनी पुत्री के साथ अपने मायके आ गई और उसने बाल रोग विशेषज्ञ से अपनी पुत्री का चिकित्सा उपचार कराया और 2-3 दिन बाद वह अपने मायके वापस चली गई । अपीलार्थी ने यह भी अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी ने मुकदमेबाजी पर आए खर्च को लेकर उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की थी और तारीख 9 अप्रैल, 2017 को उसे पुन: घर से बाहर निकाल दिया गया । अपीलार्थी-पत्नी ने उपचार-पर्ची और पुलिस थाना पंसकुरा के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत की नकल प्रस्तुत की है । अपीलार्थी-पत्नी की पुत्री ओइन्द्रीला सरकार की तारीख 24 मार्च, 2017 की उपचार-पर्ची से यह दर्शित होता है कि उसकी पुत्री को कब्ज की शिकायत थी जिसका उपचार किया जा रहा था । शिकायत से यह भी पता चलता है कि अपीलार्थी की पुत्री अपने नाना के घर के वातावरण के अनुकूल नहीं हो सकी थी और टीन-शेड, जहां वह रहती थी, की गर्मी के कारण वह बीमार पड़ गई । प्रत्यर्थी या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध पुत्री को लेकर कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है । तत्कालीन चिकित्सीय दस्तावेज से कब्ज की शिकायत के सिवाय अन्य किसी भी बीमारी का पता नहीं चलता है । अपीलार्थी-पत्नी ने अपने आवेदन में यह कथन किया है कि वह तारीख 9 मार्च, 2017 को अपने मायके गई थी जबकि शिकायत में 12 मार्च, 2017 लिखा पाया गया है । यद्यपि अपीलार्थी-पत्नी ने यह दावा किया है कि उसे तारीख 9 अप्रैल, 2017 को उसके वैवाहिक गृह से निकाल दिया गया था, फिर भी उसने तारीख 18 अप्रैल, 2017 को शिकायत दर्ज कराई, यह विलंब स्पष्ट नहीं किया गया है । अपीलार्थी-पत्नी का

पक्षकथन कई जगह विरोधाभासी प्रतीत होता है । एक जगह तो पत्नी ने प्रत्यर्थी पति के साथ दाम्पत्य जीवन का पुनारंभ करने का आशय प्रकट किया है तो दूसरी जगह उसने यह शर्त रखी है कि वह प्रत्यर्थी के साथ तभी रहेगी जब वह उसके पिता द्वारा दान की गई संपत्ति में रहेगा । यह भी अविश्वसनीय है कि 24 मार्च, 2017 तक वैवाहिक गृह में रहने के दौरान अपीलार्थी-पत्नी से किसी भी धन की मांग नहीं की गई थी और जब दूसरे अवसर पर अपीलार्थी-पत्नी अपने वैवाहिक गृह पर आती है तो उससे अचानक उसकी सास ऐसी मांग कर लेती है कि उसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी-पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है । यह असंभावी नहीं है कि पुलिस के समक्ष जो शिकायत दर्ज कराई गई थी वह केवल कतिपय तथ्यों को लेकर कागजी कार्यवाही के लिए की गई थी ताकि अपीलार्थी-पत्नी के मौखिक साक्ष्य को प्रबलित किया जा सके । न्यायालय की दृष्टि में यह दस्तावेज विश्वासोत्पादक नहीं है । न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलार्थी के पक्षकथन से ऐसा कुछ भी उपदर्शित नहीं होता है कि वह प्रत्यर्थी-पति को छोड़ने के लिए मजबूर थी या उसे पति के घर से निकाल दिया गया था या यह कि अपीलार्थी-पत्नी ने युक्तियुक्त कारण के बिना पति का घर नहीं छोड़ा था । (पैरा 14, 15 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 16 एस. सी. सी. 596 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6524 : **वेनंगोत अनुराधा समीर** बनाम **वेनंगोत मोहनदास समीर** ;	5, 12
[2010]	(2010) 4 एस. सी. सी. 476 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. (सप्ली.) 544 : **रवि कुमार** बनाम **जुलमी देवी** ।	5

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2016 की एफ.एम.ए.टी. सं. 624.

2015 के वैवाहिक वाद सं. 04 में विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, तमलुक, पूरवा, मेदिनीपुर द्वारा तारीख 30 मार्च, 2016 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री देवदत्त बसु, पम्पाडे (धबल) और सुश्री संगीता बनर्जी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री तपन दत्त गुप्ता, परवेज अनाम और संदीप डिण्डा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरिन्दम सिन्हा ने दिया ।

न्या. सिन्हा – यह अपील 2015 के वैवाहिक वाद सं. 04 में विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), तमलुक, पूरवा, मेदिनीपुर द्वारा तारीख 30 मार्च, 2016 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. अपीलार्थी (पत्नी) और पति (प्रत्यर्थी) इस मामले में पक्षकार हैं जिनका विवाह तारीख 23 नवंबर, 2012 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था जिसके उपरांत पत्नी अपने पति के घर चली गई । विवाह के कुछ दिनों के बाद अपीलार्थी-पत्नी ने प्रत्यर्थी-पति पर यह दबाव डाला कि वह घर-जमाई बनकर उसके साथ रहे और पत्नी अपने माता-पिता के यहां प्राय: आने-जाने लगी । वह अपनी ससुराल जाने के लिए सदैव अनिच्छा प्रकट करती थी । अंत में, तारीख 27 दिसंबर, 2013 को अपीलार्थी-पत्नी अपने माता-पिता के यहां अपने सामान के साथ स्थायी रूप से रहने के लिए रवाना हो गई । पत्नी ने यह व्यक्त किया कि वह अपने पति के साथ पत्नी के रूप में नहीं रह सकती । अत: प्रत्यर्थी-पति दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अधीन आवेदन विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष फाइल करने के लिए विवश हो गया ।

3. अपीलार्थी-पत्नी ने लिखित कथन फाइल करके इस वाद का प्रतिवाद किया जिसमें उसने अपने पति द्वारा लगाए गए सारभूत

अभिकथनों से इनकार किया और यह दलील दी कि उसके पिता ने विवाह के समय दोनों दाम्पत्तियों को आभूषण, फर्नीचर और 50,000/- रुपए की नकदी भेंट की थीं । वैवाहिक गृह में पर्याप्त आवास न होने के कारण अपीलार्थी पत्नी के पिता ने उन्हें तारीख 2 जनवरी, 2013 को रजिस्ट्रीकृत विलेख के माध्यम से एक भूखंड भी दान किया और उसमें उनके लिए एक मंजिला मकान भी बनवाया । अपीलार्थी-पत्नी ने यह भी प्रतिवाद किया है कि उसने तारीख 2 फरवरी, 2014 को एक पुत्री को जन्म दिया जिसके पश्चात् प्रत्यर्थी-पति और उसके माता-पिता ने छोटे-मोटे मुद्दों को लेकर अपीलार्थी-पत्नी के साथ शारीरिक और मानसिक यातनापूर्ण व्यवहार किया । उन्होंने उसके पिता से 1,00,000/- रुपए की भी मांग की और उसके मना करने पर उन्होंने अपीलार्थी-पत्नी के साथ यातनापूर्ण व्यवहार करना और उसका अपमान करना जारी रखा और अंत में उन्होंने तारीख 10 अगस्त, 2014 को अपीलार्थी को उसकी पुत्री के साथ घर से बाहर निकाल दिया । पक्षकारों के बीच समझौता कराने के कई प्रयास किए गए जो विफल रहे और इसी कारण अपीलार्थी-पत्नी मजबूर होकर अपने मायके में रहती है । अपीलार्थी-पत्नी ने इस वाद के खारिज किए जाने की प्रार्थना की है ।

4. पक्षकारों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी-पति के पक्ष में वाद डिक्रीत कर दिया । उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी-पत्नी ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष वाद खारिज किए जाने हेतु प्रार्थना करते हुए वर्तमान अपील प्रस्तुत की है ।

5. अपीलार्थी-पत्नी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि दोनों पक्षकारों के अपने-अपने मकान एक ही मोहल्ले में हैं, इसलिए प्रत्यर्थी का घर-जमाई के रूप में अपीलार्थी के मायके में विवश होकर रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है । अपीलार्थी-पत्नी के पिता की मात्र यह इच्छा थी कि दोनों पक्षकार उसके द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए मकान में रहें कि ताकि वे

अपने-अपने माता-पिता के साथ अच्छे संबंध रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें । अपीलार्थी को प्रत्यर्थी-पति द्वारा वैवाहिक गृह से बाहर निकाला गया और वह अपनी इच्छा से अपने पति का घर छोड़कर नहीं आई । प्रत्यर्थी-पति द्वारा अपीलार्थी-पत्नी के साथ वैवाहिक गृह में शारीरिक और मानसिक क्रूरता कारित की गई और दाम्पत्य जीवन पुनारंभ करने का कोई भी युक्तियुक्त कारण नहीं है । अपनी दलील के समर्थन में विद्वान् काउंसेल ने **रवि कुमार** बनाम **जुलमी देवी**[1] और **वेनंगोत अनुराधा समीर** बनाम **वेनंगोत मोहनदास समीर**[2] वाले मामलों का अवलंब लिया है ।

6. प्रत्यर्थी-पति के विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और यह दलील दी है कि अपीलार्थी-पत्नी ने स्वेच्छया पुत्री के साथ वैवाहिक गृह छोड़ा है जिसका कोई भी न्यायोचित कारण नहीं है और वह अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन का पुनारंभ कर सकता है ।

7. सबसे पहले अनाशयित त्रुटि निर्दिष्ट करना आवश्यक है जो आक्षेपित निर्णय के पृष्ठ 8 पर दिखाई देती है । निर्णय का प्रभावी भाग इस प्रकार है :–

> "हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अधीन वैवाहिक वाद फाइल किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी-पत्नी के विरुद्ध डिक्री की गई है और खर्चों के लिए कोई आदेश नहीं किया गया ।"

अर्जीदार अर्थात् सुभेन्दू सरकार ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री प्राप्त की है । प्रत्यर्थी मौसमी सरकार को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश की तारीख से एक मास के भीतर अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन का पुनारंभ करे ।

---

[1] (2010) 4 एस. सी. सी. 476 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. (सप्ली.) 544.

[2] (2015) 16 एस. सी. सी. 596 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6524.

8. इसी पृष्ठ पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

> "अत: सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मैं यह न्यायोचित नहीं समझता हूं कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का आदेश से कोई सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा या सदैव के लिए वाद-विवाद समाप्त करने के लिए कोई अनुतोष साबित होगा । अत: दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री पारित करना तर्कसम्मत और युक्तियुक्त नहीं होगा ।"

9. न्यायालय का यह संप्रेक्षण प्रदान की गई डिक्री के प्रतिकूल है । तथापि, साक्ष्य के मूल्यांकन और निष्कर्ष के विश्लेषण सहित संपूर्ण निर्णय मंजूर की गई डिक्री के अनुसरण में है । अत: निर्णय के पृष्ठ सं. 8 के पूर्ववर्ती भाग में व्यक्त किए गए न्यायालय के संप्रेक्षण को अनाशयित त्रुटि माना जा सकता है जिसके द्वारा न्यायालय ने नकारात्मक संप्रेक्षण व्यक्त करके गलती की है जो निर्णय और डिक्री के प्रतिकूल है और इसे अनदेखा किया जा सकता है ।

10. मामले की गुणता पर विचार करते हुए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए की गई प्रार्थना पर प्रत्यर्थी के इस दावे को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी-पत्नी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के पति की संगति से दूर हुई है । अपीलार्थी-पत्नी का यह पक्षकथन है कि उसके साथ उसके वैवाहिक गृह में यातनापूर्ण व्यवहार किया जाता था और उसे तारीख 10 अगस्त, 2014 को उसकी पुत्री के साथ घर से बाहर कर दिया गया । इसके प्रतिकूल प्रत्यर्थी-पति ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी-पत्नी ने तारीख 27 दिसंबर, 2013 को पति की संगति से स्वेच्छया प्रत्याहरण करके अपने मायके चली गई थी ।

11. स्वीकृतत: अपीलार्थी के अनुसार उसके पिता ने पक्षकारों को एक भूखंड भेंट किया था और उस पर एक मंजिला मकान भी बनवाया था ताकि वे वहां जाकर रहने लगे क्योंकि वैवाहिक गृह में रहने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं थी । विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए

अपने साक्ष्य में अपीलार्थी के पिता श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दान-विलेख में ऐसा कोई प्रकथन नहीं है कि प्रत्यर्थी के मकान में रहने की जगह कम है । अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दान इस इच्छा और आशय से किया गया था कि पक्षकार उस मकान में रह सकें जो स्वीकृत रूप से अपीलार्थी के मायके के निकट है और प्रत्यर्थी-पति के घर से दूर है । वास्तव में, अपीलार्थी-पत्नी ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि वह अपने पति के साथ इस शर्त पर रहेगी कि वह उसके पिता द्वारा दान में दिए गए मकान में रहे । इससे अपीलार्थी का आशय पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है ।

12. अपीलार्थी ने न्यायलय के समक्ष यह साबित करने का प्रयास किया है कि उसके साथ उसके वैवाहिक गृह में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था और उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया था । आश्चर्य की बात है कि अपीलार्थी-पत्नी ने किसी भी प्राधिकारी के समक्ष इस प्रकार की घटना के संबंध में पति के साथ विवाद निपटाने हेतु कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और न ही किसी प्रकार के भरण-पोषण का दावा किया और वह तब तक शांत बैठी रही जब तक कि प्रत्यर्थी द्वारा वाद फाइल न कर दिया गया । अपीलार्थी-पत्नी के दावे के समर्थन में किसी भी तर्कसम्मत और संपोषक साक्ष्य के अभाव में यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अपीलार्थी-पत्नी ने बिना किसी न्यायोचित कारण के पति को छोड़ा है । **वेनंगोत अनुराधा समीर** (उपरोक्त) वाला मामला पत्नी को पति द्वारा सम्मान दिए जाने, देखरेख किए जाने तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखे जाने के बारे में है । **रवि कुमार** (उपरोक्त) वाला मामला अधित्यजन और क्रूरता के बारे में है । इस मामले में विधि की प्रतिपादना को लेकर विवाद नहीं है । किन्तु अपीलार्थी-पत्नी को इस प्रतिपादना से कोई सहायता नहीं मिल सकती क्योंकि क्रूरता से संबंधित उसका अभिकथन पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया है ।

13. एक अन्य पश्चात्वर्ती तथ्य इस मामले में सुसंगत है । वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय की समन्वित न्यायपीठ ने सुलह कराने की सलाह दी थी । इस संबंध में अपीलार्थी ने

तारीख 24 मार्च, 2017 को जारी किए गए अपनी पुत्री के चिकित्सा दस्तावेज और तारीख 18 अप्रैल, 2017 को पुलिस के समक्ष उसकी पुत्री द्वारा की गई शिकायत अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत करने की ईप्सा की । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की इस प्रार्थना पर कोई आक्षेप नहीं किया है । प्रश्नगत दस्तावेज उस समय विद्यमान नहीं थे जब अपीलाधीन डिक्री पारित की गई थी और हमारी सुविचारित राय में निर्णय देने के लिए इन दस्तावेजों को उद्धृत करना अपेक्षित है ।

14. इस न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अपीलार्थी ने यह दलील दी है कि न्यायालय के आदेश के अनुसरण में पक्षकारों और उनके माता-पिता के बीच पारस्परिक समझौता किया गया था और अपीलार्थी तारीख 9 मार्च, 2017 को अपनी पुत्री के साथ अपने मायके चली गई थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके पति ने उस पर और उसकी 3 वर्ष की पुत्री के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया है और उसे विवश होकर टीन-शेड के नीचे रहना पड़ा जहां वह और उसकी पुत्री गंभीर रोगग्रस्त हो गए । चूंकि प्रत्यर्थी बच्चे को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना नहीं चाहता था, इसलिए वह तारीख 23 अप्रैल, 2017 को अपनी पुत्री के साथ अपने मायके आ गई और उसने बाल रोग विशेषज्ञ से अपनी पुत्री का चिकित्सा उपचार कराया और 2-3 दिन बाद वह अपने मायके वापस चली गई । अपीलार्थी ने यह भी अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी ने मुकदमेबाजी पर आए खर्च को लेकर उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की थी और तारीख 9 अप्रैल, 2017 को उसे पुन: घर से बाहर निकाल दिया गया । अपीलार्थी-पत्नी ने उपचार-पर्ची और पुलिस थाना पंसकुरा के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत की नकल प्रस्तुत की है । अपीलार्थी-पत्नी की पुत्री ओइन्द्रीला सरकार की तारीख 24 मार्च, 2017 की उपचार-पर्ची से यह दर्शित होता है कि उसकी पुत्री को कब्ज की शिकायत थी जिसका उपचार किया जा रहा था । शिकायत से यह भी पता चलता है कि अपीलार्थी की पुत्री अपने नाना के घर के वातावरण के अनुकूल नहीं हो सकी थी और टीन-शेड, जहां वह रहती थी, की गर्मी के कारण वह बीमार पड़ गई । प्रत्यर्थी या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध पुत्री को लेकर कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है ।

तत्कालीन चिकित्सीय दस्तावेज से कब्ज की शिकायत के सिवाय अन्य किसी भी बीमारी का पता नहीं चलता है ।

15. अपीलार्थी-पत्नी ने अपने आवेदन में यह कथन किया है कि वह तारीख 9 मार्च, 2017 को अपने मायके गई थी जबकि शिकायत में 12 मार्च, 2017 लिखा पाया गया है । यद्यपि अपीलार्थी-पत्नी ने यह दावा किया है कि उसे तारीख 9 अप्रैल, 2017 को उसके वैवाहिक गृह से निकाल दिया गया था, फिर भी उसने तारीख 18 अप्रैल, 2017 को शिकायत दर्ज कराई, यह विलंब स्पष्ट नहीं किया गया है । अपीलार्थी-पत्नी का पक्षकथन कई जगह विरोधाभासी प्रतीत होता है । एक जगह तो पत्नी ने प्रत्यर्थी पति के साथ दाम्पत्य जीवन का पुनारंभ करने का आशय प्रकट किया है तो दूसरी जगह उसने यह शर्त रखी है कि वह प्रत्यर्थी के साथ तभी रहेगी जब वह उसके पिता द्वारा दान की गई संपत्ति में रहेगा । यह भी अविश्वसनीय है कि 24 मार्च, 2017 तक वैवाहिक गृह में रहने के दौरान अपीलार्थी-पत्नी से किसी भी धन की मांग नहीं की गई थी और जब दूसरे अवसर पर अपीलार्थी-पत्नी अपने वैवाहिक गृह पर आती है तो उससे अचानक उसकी सास ऐसी मांग कर लेती है कि उसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी-पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है । यह असंभावी नहीं है कि पुलिस के समक्ष जो शिकायत दर्ज कराई गई थी वह केवल कतिपय तथ्यों को लेकर कागजी कार्यवाही के लिए की गई थी ताकि अपीलार्थी-पत्नी के मौखिक साक्ष्य को प्रबलित किया जा सके । न्यायालय की दृष्टि में यह दस्तावेज विश्वासोत्पादक नहीं है ।

16. हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के पश्चात् हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलार्थी के पक्षकथन से ऐसा कुछ भी उपदर्शित नहीं होता है कि वह प्रत्यर्थी-पति को छोड़ने के लिए मजबूर थी या उसे पति के घर से निकाल दिया गया था या यह कि अपीलार्थी-पत्नी ने युक्तियुक्त कारण के बिना पति का घर नहीं छोड़ा था । इस अपील में सार नहीं है और खारिज की जाती है ।

17. अभिलेख का निपटारा करने के पूर्व यह अभिलिखित करना महत्वपूर्ण होगा कि इस न्यायालय की समन्वित न्यायपीठ ने वर्तमान

अपील में प्रत्यर्थी-पति को तारीख 10 जुलाई, 2018 के आदेश के अन्तर्गत यह निदेश दिया है कि वह अपीलार्थी-पत्नी को 2,000/- रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण की बकाया का भुगतान करेगा और 1,500/- रुपए प्रतिमाह अपीलार्थी-पत्नी की पुत्री को तारीख 10 अगस्त, 2018 तक बनने वाली रकम का संदाय करेगा और साथ ही आवेदन के खर्च के रूप में 5,000/- रुपए का भी संदाय करेगा ।

18. हमें आशा है और यह विश्वास है कि प्रत्यर्थी-पति द्वारा इस आदेश का अनुपालन तत्काल किया जाएगा ताकि यदि अभी तक निष्पादन/अवमानना की कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है तो ऐसी कार्यवाही से बचा जा सके ।

19. 2016 की एफ.एम.ए.टी. सं. 624 खारिज की जाती है ।

20. इस अपील के साथ संबद्ध 2016 का आवेदन सं. सी.ए.एन.1(2016 का पूर्ववर्ती सी.ए.एन. 5241), 2017 का सी.ए.एन.3 (2017 का पूर्ववर्ती सी.ए.एन. 5293), 2019 का सी.ए.एन.5 (2019 का पूर्ववर्ती सी.ए.एन. 8696) और 2021 का सी.एन.एन.6 का भी निपटारा किया जाता है ।

21. अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, तमलुक, पुरबा मेदिनीपुर (प्रथम न्यायालय), द्वारा तारीख 30 मार्च, 2016 को 2015 के वैवाहिक वाद सं. 4 में पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

22. तथापि, खर्चों के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

23. इस निर्णय की एक प्रति सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु विद्वान् विचारण न्यायालय को भेजी जाए ।

24. इस निर्णय की तत्काल प्रमाणित वेबसाइट प्रतियां, यदि आवेदित हैं, पक्षकारों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर तत्काल दी जाएं ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

———————

अजहर अली

बनाम

असम राज्य

(2020 की सिविल रिट याचिका सं. 2029)

तारीख 27 जनवरी, 2021

न्यायमूर्ति माइकल जोथनकुमा

असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1935 (1935 का 9) – धारा 3 [सपठित असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1935 का नियम 5] – मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुज्ञप्ति – अधिकार क्षेत्र की व्यापकता और सीमांकन – प्रत्यर्थी को याची के अधिकार क्षेत्र की अनुज्ञप्ति जारी किया जाना – प्रत्यर्थी को इस आधार पर अनुज्ञप्ति दी गई थी कि प्रश्नगत क्षेत्र में कोई भी मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार का कार्यालय नहीं है जबकि वहां याची कार्यरत है और उसकी अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है, अत: रजिस्ट्रार के रूप में प्रत्यर्थी की नियुक्ति हेतु असम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कायम नहीं रह सकती ।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1935 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "अधिनियम, 1935" कहा गया है) की धारा 3 के अधीन मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रीकरण करने की अनुज्ञप्ति राजस्व विभाग, असम सरकार द्वारा तारीख 2 जुलाई, 1997 को जारी अधिसूचना के अधीन दी गई थी । 2 जुलाई 1997 को जारी की गई अनुज्ञप्ति में यह उल्लिखित है कि याचिकाकर्ता का अधिकार क्षेत्र पूरा दक्षिण सलमारा पुलिस थाना जिला ढूबरी के अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा । याचिकाकर्ता असम सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना तारीख 6 जनवरी, 2020 से व्यथित है जिसमें प्रत्यर्थी सं. 5 को हत्सिंगिमारी, दक्षिणी सलमारा, जिला मनकाचर के अधिकार क्षेत्र में मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रीकरण करने की अनुज्ञप्ति दी गई है । याची का

मामला इस प्रकार है कि शिया पंथ या सुन्नी पंथ से संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर केवल एक मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार की ही नियुक्ति की जा सकती है । तथापि, एक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत एक ही पंथ के दो मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार बनाए गए हैं जो दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में हैं । प्रत्यर्थी सं. 5 (सुन्नी पंथ) को, मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति उस क्षेत्र में दी गई है जो पहले से याची को दिया गया था अर्थात् तारीख 6 जनवरी, 2020 को दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जारी आक्षेपित उक्त अधिसूचना अपास्त की जानी चाहिए । इस अधिसूचना से व्यथित होकर याची ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका फाइल की । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विनिश्चय किए जाने हेतु यह प्रश्न है कि क्या हत्सिंगिमारी उस अधिकारिता क्षेत्र के भीतर आता है जिस अधिकारिता क्षेत्र के भीतर याची को मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है और क्या राज्य के प्रत्यर्थियों द्वारा नए सिरे से अधिकारिता का सीमांकन किया गया है जिसके अधीन याची मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर सके । जैसाकि नियम 1935 के नियम 5 के अनुसार देखा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार को भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उस जिले की सीमा के अधीन कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकती है या ऐसे पुलिस थानों की अधिकारिता के भीतर या थानों या उसके कुछ हिस्सों जिसका सरकार समय-समय पर निदेश देती है । तारीख 2 जुलाई, 1997 की याची की अनुज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया है कि उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर संपूर्ण दक्षिण सलमारा पुलिस थाना आता है और प्राधिकारियों द्वारा आज तक संशोधित या रद्द नहीं की गई है इसलिए याची को मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने की अधिकारिता पूरे दक्षिण सलमारा पुलिस थाने की सीमा के भीतर होगी । यह तथ्य का निर्विवादित प्रश्न है कि हत्सिंगिमारी खरूआबंदा पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आता है जो स्वयं दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है । इस दृष्टि से हत्सिंगिमारी को दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के अधीन मानना होगा । प्रत्यर्थियों द्वारा अवलंब लिए

गए उपरोक्त पत्रों से यह दर्शित नहीं होता है कि हत्सिंगिमारी क्षेत्र दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है । प्रत्यर्थी सं. 5 के विद्वान् काउंसेल द्वारा जिन पत्रों का अवलंब लिया गया था वे केवल इस बात से संबंधित है कि क्या हत्सिंगिमारी में जिला दक्षिण सलमारा के अधीन नया मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय खोलना आवश्यक है क्योंकि हत्सिंगिमारी हाजिरहाट में स्थित पूर्ववर्ती मुस्लिम विवाह कार्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर है । पत्रों से ये पता चलता है कि हत्सिंगिमारी में एक मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने का प्रस्ताव इस आधार पर दिया गया था कि दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र में कोई मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं था । तारीख 1 मार्च, 2019 को अनुमंडल पदाधिकारी, मनकाचर राजस्व मंडल तथा उपायुक्त दक्षिण सलमारा जिला मनकाचर को संबोधित पत्रों से स्पष्ट हो जाता है । इसके अलावा यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र में कोई मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं हैं । इसलिए यदि आपकी कृपा हो तो हत्सिंगिमारी में एक नए एम.एम.आर. कार्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता हैं । सर्किल अधिकारी, मनकाचर राजस्व सर्किल द्वारा जारी उपरोक्त पत्र तारीख 1 मार्च, 2019 का अंतिम पैरा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति इस आधार पर की गई थी कि दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर कोई मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं था । इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति गलत तथ्यों के आधार पर एवं 1935 नियमावली के नियम 5 का उल्लंघन करते हुए की गई हैं । ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हए यह न्यायालय प्रत्यर्थियों द्वारा जारी अधिसूचना तारीख 6 जनवरी, 2020 जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को दक्षिण सलमारा जिला मनकाचर के मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञप्ति दी गई थी जो वहीं तक अवैध है और न टिकने योग्य है जहां तक याची के अधिकारिता क्षेत्र के अतिव्यापी है यानी पूरे दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर क्योंकि यह अधिनियम, 1935 की धारा 3 का अतिक्रमण करता है (जिसे नियमावली 1935 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाए) । तद्नुसार,

प्रत्यर्थी संख्या 5 को इस हद तक अपास्त किया जाता है कि उक्त अनुज्ञप्ति दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को शामिल करता है । (पैरा 14, 15, 16, 18 और 20)

सिविल रिट अधिकारिता : 2020 की सिविल रिट याचिका सं. 2029.

राजस्व विभाग, असम सरकार द्वारा तारीख 6 जनवरी, 2020 को जारी अधिसूचना के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री एम. बर्मन, यू. के. नायर (ज्येष्ठ अधिवक्ता) और एम. इस्लाम

प्रत्यर्थियों की ओर से सरकारी अधिवक्ता

आदेश

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री यू. के. नायर को सुना गया है और उसमें श्री एम. इस्लाम ने उनकी सहायता की तथा प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3, और 4 की ओर से विद्वान् काउंसेल जे. हांडिक और प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से विद्वान् काउंसेल आर. मजूमदार को सुना गया है ।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1935 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "अधिनियम, 1935" कहा गया है) की धारा 3 के अधीन मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रीकरण करने की अनुज्ञप्ति राजस्व विभाग, असम सरकार द्वारा तारीख 2 जुलाई, 1997 को जारी अधिसूचना के अधीन दी गई थी । 2 जुलाई, 1997 को जारी की गई अनुज्ञप्ति में यह उल्लिखित है कि याचिकाकर्ता का अधिकार क्षेत्र पूरा दक्षिण सलमारा पुलिस थाना जिला ढूबरी के अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा । असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1935 की धारा 3 इस प्रकार है :–

> "3. राज्य सरकार रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान कर सकती है – जब कभी भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाए तो राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को जो मुस्लिम हो, ऐसे विवाह और तलाक के रजिस्ट्रीकरण का प्राधिकार दे सकती है जो कतिपय

विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर प्रभावी हुई है और ऐसी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या विलंबन भी कर सकती है । परन्तु यह तब जबकि एक ही सीमा के भीतर उक्त कार्य के लिए दो से अधिक व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी और यह कि यदि दो व्यक्तियों को एक ही सीमा के भीतर कार्य करने की अनुज्ञप्ति दी जाती है तो उसमें से एक सुन्नी पंथ का सदस्य होगा और दूसरा शिया पंथ का सदंस्य होगा ।"

3. याचिकाकर्ता असम सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना तारीख 6 जनवरी, 2020 से व्यथित है जिसमें प्रत्यर्थी सं. 5 को हत्सिंगिमारी, दक्षिणी सलमारा, जिला मनकाचर के अधिकार क्षेत्र में मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रीकरण करने की अनुज्ञप्ति दी गई है । याची का मामला इस प्रकार है कि शिया पंथ या सुन्नी पंथ से संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर केवल एक मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार की ही नियुक्ति की जा सकती है । तथापि, एक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत एक ही पंथ के दो मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार बनाए गए हैं जो दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में है । प्रत्यर्थी सं. 5 (सुन्नी पंथ) को, मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति उस क्षेत्र में दी गई है जो पहले से याची को दिया गया था अर्थात् तारीख 6 जनवरी, 2020 को दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जारी आक्षेपित उक्त अधिसूचना अपास्त की जानी चाहिए ।

4. याची के काउंसेल ने यह प्रस्तुत किया कि याची को तारीख 2 जुलाई, 1997 को दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसरण में याची मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रार के रूप में 29 वर्षों से कार्य कर रहा था जो दक्षिण सलमारा पुलिस थाना, मुख्यालय हजीरात के अधिकारिता क्षेत्र में आता है । हालांकि याची का कार्यालय बाढ़ में नष्ट हो गया था, इसके उपरान्त याची ने अपने कार्यालय को हाजिरहाट से हत्सिंगिमारी स्थानांतरित करने का अनुरोध किया जिसे राज्य प्रत्यर्थी ने अपने आदेश तारीख 2 मई, 2019 द्वारा मंजूर कर दिया था इसके पश्चात् प्रत्यर्थियों ने तारीख 27 जून, 2019 को विज्ञापन जारी किया जिसमें हत्सिंगिमारी में मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के पद को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे । हालांकि उक्त विज्ञापन को याची द्वारा सिविल रिट याचिका सं.

9125/2019 में इस आधार पर चुनौती दी गई कि वैधानिक उपबन्धों के अधीन दो मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार को एक ही अधिकार क्षेत्र में नियुक्त नहीं किए जा सकते परन्तु न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 9125/2019 के परिणामस्वरूप किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई थी । इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 5 को मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में तारीख 6 जनवरी, 2020 की अधिसूचना के अधीन नियुक्त किया गया जो हत्सिंगिमारी, दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले के अधिकारिता क्षेत्र में आता है ।

5. याची के काउंसेल ने यह दलील दी है कि याची को जब मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में दक्षिण सलमारा पुलिस स्टेशन, उपखण्ड दक्षिण सलमारा के अधीन अधिकारिता क्षेत्र में कार्य करने के लिए 1997 में लाइसेंस दिया गया जो ढूबरी जिले के अधीन आता है तो उस समय वहां दो पुलिस थाने क्रमश: मनकाचर पुलिस थाना और दक्षिण सलमारा पुलिस थाना थे ।

6. याची के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि दक्षिण सलमारा पुलिस स्टेशन के अधीन चार पुलिस चौकियां आती हैं जिनके नाम सुकचार, फकीरगंज, जरूआ-बांधीहाना और खारूआबंदा हैं ।

इसके बाद सुकचार और फकीरगंज पुलिस चौकी को पूर्ण रूप से 2019 में पुलिस थाने के रूप में विकसित कर दिया गया और जरूआ-बांधीहाना पुलिस थाने को फकीरंगज पुलिस स्टेशन के साथ संलग्न कर दिया गया हालांकि खरूआबंदा पुलिस चौकी जिसके अधिकार क्षेत्र में सम्पूर्ण हत्सिंगिमारी का इलाका आता है उसे दक्षिण सलमारा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अधीन ही रहने दिया गया ।

7. याची के काउंसेल ने यह दलील दी है कि मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार का पूर्ववर्ती कार्यालय जो हाजीरात में था और जो बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था वह अब सुकचार पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र के अधीन है ।

8. याची के काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि ढूबरी जिले को 2016 में दो जिलों में क्रमश: 'ढूबरी जिला' और 'दक्षिण सलमारा मनकाचर जिला' दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले में विभाजित किया

गया । याची के काउंसेल ने यह भी प्रस्तुत किया कि हत्सिंगिमारी जो दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले का मुख्यालय है वह अभी भी खरूआबंदा पुलिस चौकी के अधिकारिता क्षेत्र के अधीन है जो स्वयं दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में है ।

9. याची के काउंसेल ने प्रस्तुत किया कि जब तक याची की अनुज्ञप्ति जो तारीख 2 जुलाई, 1997 को जारी की गई थी, रद्द या संशोधित नहीं कर दी जाती है तब तक प्रत्यर्थी हत्सिंगिमारी क्षेत्र में प्रत्यर्थी संख्या 5 को मुस्लिम विवाह और तलाक के रिजस्ट्रार के रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति नहीं दे सकता है क्योंकि यह याची को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधिकार क्षेत्र से अतिव्याप्ति है ।

10. दूसरी ओर राजस्व विभाग की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री जे. हांडिक ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 को हत्सिंगिमारी क्षेत्र के मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करने से पहले याची को संसूचित कर दिया गया था कि वह मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में हत्सिंगिमारी क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता । श्री जे. हांडिक विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रस्तुत किया कि याची और प्रत्यर्थी की नियुक्ति अलग-अलग अधिकार क्षेत्र में की गई हैं ।

11. प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आर. मजूमदार ने प्रस्तुत किया कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1935 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "नियम, 1935" कहा गया है) के नियम 5 की शर्तों के अनुसार अधिकारिता क्षेत्र जिसमें मुस्लिम रजिस्ट्रार को कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है उसका सीमांकन नए सिरे से किया जा सकता है और इसी कारण से वहां नए सिरे से सीमांकन किया गया जिसके भीतर प्रत्यर्थी संख्या 5 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर सकता है और याची हत्सिंगिमारी क्षेत्र में रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर नहीं कर सकता ।

इस संबंध में प्रत्यर्थी सं. 5 के विद्वान् काउंसेल ने तारीख 6 जनवरी, 2018 को असम रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, तारीख 19 जनवरी, 2019 को सर्किल अधिकारी, दक्षिण सलमारा राजस्व मंडल, तारीख 19

जनवरी, 2019 को, उपायुक्त, दक्षिण सलमारा जिला मनकाचर तारीख 1 मार्च, 2019 को, अनुमंडल पदाधिकारी, मनकाचर राजस्व मंडल और तारीख 31 मई, 2019 को प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा जारी पत्र जिसे शपथपत्र के साथ उपाबद्ध किया गया है, का अवलंब लिया है ।

12. प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान् काउंसेल ने यह प्रस्तुत किया कि उस क्षेत्र का नया सीमांकन हुआ था जिसमें याची कार्य कर सकता था और राज्य के प्रत्यर्थी सं. 5 के द्वारा हत्सिंगिमारी क्षेत्र में मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति देने में कोई शैथिल्यता नहीं है ।

13. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना ।

14. विनिश्चय किए जाने हेतु यह प्रश्न है कि क्या हत्सिंगिमारी उस अधिकारिता क्षेत्र के भीतर आता है जिस अधिकारिता क्षेत्र के भीतर याची को मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है और क्या राज्य के प्रत्यर्थियों द्वारा नए सिरे से अधिकारिता का सीमांकन किया गया है जिसके अधीन याची मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर सके ।

15. असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1935 का नियम 5 इस प्रकार है :–

> "5. **अधिकारिता** – जिस परिसीमा के भीतर एक मुस्लिम रजिस्ट्रार को कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है वह भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन एक उस जिले से या ऐसे पुलिस थानों की अधिकारिता से या थानों या उसके कुछ हिस्से से जिसका सरकार समय-समय पर निदेश देती है के समरूप होगा । मुख्यालय उस सीमा के भीतर किसी सुविधाजनक स्थान पर होगा ।"

जैसाकि नियम, 1935 के नियम 5 के अनुसार देखा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार को भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उस जिले की सीमा के अधीन कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकती है या ऐसे पुलिस थानों की अधिकारिता के भीतर या थानों या उसके कुछ हिस्सों जिसका सरकार समय-समय पर निदेश देती है । तारीख 2 जुलाई, 1997 की याची की अनुज्ञप्ति में यह उल्लेख किया

गया है कि उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर संपूर्ण दक्षिण सलमारा पुलिस थाना आता है और प्राधिकारियों द्वारा आज तक संशोधित या रद्द नहीं की गई है इसलिए याची को मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने की अधिकारिता पूरे दक्षिण सलमारा पुलिस थाने की सीमा के भीतर होगी ।

16. यह तथ्य का निर्विवादित प्रश्न है कि हत्सिंगिमारी खरूआबंदा पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आता है जो स्वयं दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है । इस दृष्टि से हत्सिंगिमारी को दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के अधीन मानना होगा ।

17. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह मामला बनाने का प्रयास किया कि क्षेत्र का नए रूप से सीमांकन किया गया जिसमें हत्सिंगिमारी को दक्षिण सलमाना पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कर दिया गया जिसके लिए तारीख 6 जनवरी, 2018 को जारी असम रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, तारीख 19 जनवरी, 2019 अंचल अधिकारी, दक्षिण सलमारा राजस्व मंडल, तारीख 19 जनवरी, 2019 को उपायुक्त दक्षिण सलमारा जिला मनकाचर राजस्व मंडल और तारीख 31 मई, 2019 को प्रत्यर्थी संख्या 3 (जो शपथपत्र के उपाबंध में प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा फाइल किया गया है) द्वारा जारी पत्रों का अवलंब लिया गया है ।

18. प्रत्यर्थियों द्वारा अवलंब लिए गए उपरोक्त पत्रों से यह दर्शित नहीं होता है कि हत्सिंगिमारी क्षेत्र दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है । प्रत्यर्थी सं. 5 के विद्वान् काउंसेल द्वारा जिन पत्रों का अवलंब लिया गया था वे केवल इस बात से संबंधित हैं कि क्या हत्सिंगिमारी में जिला दक्षिण सलमारा के अधीन नया मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय खोलना आवश्यक है क्योंकि हत्सिंगिमारी हाजिरहाट में स्थित पूर्ववर्ती मुस्लिम विवाह कार्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर है । पत्रों से ये पता चलता है कि हत्सिंगिमारी में एक मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने का प्रस्ताव इस आधार पर दिया गया था कि दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र में कोई मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं था । तारीख 1 मार्च, 2019 को अनुमंडल पदाधिकारी, मनकाचर राजस्व मंडल तथा उपायुक्त

दक्षिण सलमारा जिला मनकाचर को संबोधित पत्रों से स्पष्ट हो जाता है जो निम्न प्रकार है :–

"विषय : हत्सिंगिमारी में नया एम. एम. आर. कार्यालय खोलने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

संदर्भ – तारीख 16 फरवरी 2018 का आपका पत्र संख्या डी.सी.3/पी. ए. 2017/116.

महोदय,

ऊपर उल्लिखित विषय के संदर्भ में एल. आर. स्टाफ की रिपोर्ट के अनुसार हत्सिंगिमारी में नया एम.एम.आर. कार्यालय खोलने के संबंध में आपके द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी ।

1. यह देखा गया कि दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले के अन्तर्गत हत्सिंगिमारी मे एक नया एम.एम.आर. कार्यालय खोलना आवश्यक प्रतीत होता है ।

2. 2011 की जनगणना के अनुसार प्रस्तावित एम.एम.आर. कार्यालय में मुस्लिम आबादी 71,500 है ।

3. पिछले तीन वर्षों के दौरान 1433 मुस्लिम शादियां निकटतम मुस्लिम रजिस्ट्रार (मनकाचर) द्वारा की गई हैं । (सूची संलग्न)

4. एम.एम.आर. कार्यालय के अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले गांवों के नाम संलग्न हैं ।

5. मनकाचर एम.एम.आर. कार्यालय से प्रस्तावित एम.एम.आर. कार्यालय की दूरी करीब 22 किलोमीटर है ।

6. मनकाचर राजस्व मंडल के अंतर्गत केवल एक मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय है ।

इसके अलावा यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र में कोई मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं हैं । इसलिए यदि आपकी कृपा हो तो

हत्सिंगिमारी में एक नए एम.एम.आर. कार्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता है ।

सर्किल अधिकारी, मनकाचर राजस्व सर्किल द्वारा जारी उपरोक्त पत्र तारीख 1 मार्च, 2019 का अंतिम पैरा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति इस आधार पर की गई थी कि दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर कोई मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं था । इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति गलत तथ्यों के आधार पर एवं 1935 नियमावली के नियम 5 का उल्लंघन करते हुए की गई है ।

19. हत्सिंगिमारी में मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जिला रजिस्ट्रार को जारी किए गए पत्र तारीख 31 मई, 2019 के आधार पर मंजूर की गई थी जिसे पुन: प्रस्तुत किया गया है –

विषय : हत्सिंगिमारी के नए एम.एम.आर. कार्यालय प्रारंभ करने और हाजिरहाट में एम.एम.आर. कार्यालय को स्थानांतरित करने के संबंध में ।

संदर्भ – आपका पत्र संख्या एच.ए.ए.- 8/2016/70 तारीख 1 मार्च, 2019.

महोदय,

ऊपर उल्लिखित विषय और पत्र संख्या के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करना है कि स्थायी समिति ने तारीख 4 मार्च, 2019 को हुई अपनी बैठक में हाजिरहाट से एम.एम.आर. कार्यालय को हत्सिंगिमारी में स्थानांतरित करने के अपने पहले निर्णय का पुनर्विलोकन किया और संकल्प किया है कि हाजिरहाट एम.एम.आर. कार्यालय कटाव वाले असुरिक्षत स्थान से पास के स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि एम.एम.आर. हाजिरहाट कार्यालय हाजिरहाट क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में सक्षम हो सके ।

स्थायी समिति ने हत्सिंगिमारी में एक नया एम.एम.आर. कार्यालय

खोलने के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट के मामले पर चर्चा की और इसकी सिफारिश की ।

अत: आप से अनुरोध है कि तारीख 9 मार्च, 2019 को हुई स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त के संकल्प सं. 3 के अनुसार हत्सिंगिमारी में मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार चयन के लिए स्थायी विज्ञापन के माध्यम से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करें ।

(प्रतिलिपि संलग्न)

"पत्र तारीख 31 मई, 2019 उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्र का कोई नया सीमांकन नहीं किया गया था । जिससे हत्सिंगिमारी को दक्षिण सलमाना पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर ले जाया गया हो तथा उपरोक्त पत्र पूरे दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र में मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए याची की अनुज्ञप्ति के अधिकारिता क्षेत्र को संशोधित या रद्द नहीं करता है ।

20. ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय प्रत्यर्थियों द्वारा जारी अधिसूचना तारीख 6 जनवरी, 2020 जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को दक्षिण सलमारा जिला मनकाचर के मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञप्ति दी गई थी जो वहीं तक अवैध है और न टिकने योग्य है जहां तक याची के अधिकारिता क्षेत्र के अतिव्यापी है यानी पूरे दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर क्योंकि यह अधिनियम, 1935 की धारा 3 का अतिक्रमण करता है (जिसे नियमावली 1935 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाए) । तद्नुसार, प्रत्यर्थी संख्या 5 को इस हद तक अपास्त किया जाता है कि उक्त अनुज्ञप्ति दक्षिण सलमारा पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को शामिल करता है ।

21. तद्नुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है

याचिका मंजूर की गई ।

अम./अस.

बी. ए. एस. देवी प्रसाद

बनाम

तेलंगाना सहकारी अधिकरण, हैदराबाद और अन्य

(2019 की रिट याचिका संख्या 28629)

तारीख 6 जुलाई, 2020

न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – आदेश 1, नियम 10 [सपठित तेलंगाना सहकारी समिति अधिनियम, 1964 की धारा 76 और 21-कक] – न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्ष का संयोजन – सहकारी संस्था की प्रबंध समिति के सदस्यों को संस्था के मामलों में कुप्रबंधन और दुर्विनियोजन के आरोपों के आधार पर निर्वाचन का सामना करने से दो वर्षों की निरंतर अवधि के लिए निरर्हित किया जाना, जिसके विरुद्ध सहकारिता अधिकरण के समक्ष अपील फाइल किया जाना – संस्था में 450 सदस्य हैं किंतु मात्र याची द्वारा अपील में पक्ष के रूप में संयोजित किए जाने की ईप्सा किया जाना – याची संस्था का सदस्य होने के नाते अपनी वैयक्तिकता को खो देता है और उसको संस्था की तरफ से या व्यक्तिगत हैसियत में अपील का प्रतिवाद करने का स्वतंत्र रूप से कोई अधिकार नहीं है – याची अपील में आवश्यक पक्ष या उचित पक्ष नहीं माना जा सकता – उसको अपील में पक्षकार बनाए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती ।

संक्षेप में, मामले के तथ्य ये हैं कि इस मामले के प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 ने 1964 के तेलंगाना सहकारी समिति अधिनियम की धारा 76 सपठित 1994 के तेलंगाना सहकारी अधिकरण (प्रक्रिया) नियम के नियम 7 के अधीन वर्तमान अपील 2019 की सहकारी अधिकरण अपील संख्या 2 फाइल की जिसके द्वारा इस मामले के प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 2018 को जारी किए गए वसूली प्रमाणपत्र की कार्यवाही को चुनौती दी गई है । उक्त कार्यवाही के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 को अधिनियम की धारा 21-कक(1) के अधीन निर्वाचन

का सामना करने या सहयोजन से दो निरंतर अवधियों के लिए निरर्हित कर दिया गया था । प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 ने विभिन्न आधारों पर सहकारी अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 2018 के वसूली प्रमाणपत्र में उक्त कार्यवाही को अपास्त किए जाने की ईप्सा की । उक्त अपील प्रथम प्रत्यर्थी अधिकरण के समक्ष लंबित थी । याची, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 संस्था का सदस्य है, ने उक्त अपील के लंबन के दौरान 2019 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 178 फाइल किया और उसको अपील में तृतीय प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किए जाने की ईप्सा की । यह रिट प्रथम प्रत्यर्थी तेलंगाना सहकारी अधिकरण द्वारा 2019 की सहकारी अधिकरण अपील संख्या 2 में 2019 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 178 में तारीख 16 दिसंबर, 2019 को पारित आदेश से संबंधित अभिलेख को तलब किए जाने और उसको अपास्त किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल की गई है । प्रथम प्रत्यर्थी अधिकरण ने पूर्वोक्त आदेश द्वारा याची द्वारा फाइल की गई 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2, जिसमें इस अपील के प्रत्यर्थी संख्या 3 को पक्ष बनाए जाने की ईप्सा की गई थी, में 2019 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 178 को खारिज कर दिया था । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – याची वर्तमान मामले में भी यह दावा कर रहा है कि वह 1/3 प्रत्यर्थी संस्था का सदस्य है इसलिए, यदि एक बार वह तृतीय प्रत्यर्थी संस्था की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, तो वह अपनी वैयक्तिकता को खो देता है और उसके कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं रह जाते सिवाय अधिनियम और तृतीय प्रत्यर्थी संस्था के उप नियमों के अंतर्गत उसको प्रदान किए गए अधिकारों के अलावा । उसको तृतीय प्रत्यर्थी संस्था के माध्यम से कार्य करना चाहिए और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए । वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 76 के अधीन फाइल की गई अपील में यदि याची अंतत: अधिकरण की सहायता करने का प्रयास करना चाहता है, तो उसको ऐसा तृतीय प्रत्यर्थी संस्था से आग्रह करते हुए उसी संस्था, जिसका वह सदस्य है, के माध्यम से करना चाहिए । यहां पर यह उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि आवश्यक पक्ष वह व्यक्ति होता है, जिसकी अनुपस्थिति में

कोई भी आदेश, प्रभावी ढंग से पारित नहीं किया जा सकता । उचित पक्ष वह पक्ष होता है जिसकी अनुपस्थिति में कोई प्रभावी आदेश पारित तो किया जा सकता है किंतु पूर्ण और अंतिम विनिश्चय के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है । सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 1, नियम 10 स्थापित किए जाने का विधान-मंडल का आशय यह है कि जहां कोई पक्ष किसी आवश्यक और उचित पक्ष को उपेक्षापूर्वक या किसी अन्य कारणवश कार्यवाही का पक्ष बनाने में विफल रहता है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उक्त उपबंध के अंतर्गत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे, ताकि वाद के सभी पक्षों के साथ इस बाबत कुछ भी अभिव्यक्त किए बिना पूर्ण रूप से न्याय किया जा सके कि पक्षों या विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा ऐसा क्यों किया गया है । यह उपबंध किसी भी व्यक्ति को कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर पक्षकार बनाए जाने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाता है । यदि न्यायालय के समक्ष वाद में अंतर्वलित समस्त प्रश्नों का प्रभावी रूप से न्यायनिर्णयन किए जाने और उनको स्थिरीकृत किए जाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय को समर्थ बनाए जाने के लिए उस व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है । कार्यवाहियों की गुणजता से बचना भी उक्त उपबंध का उद्देश्य है । जैसीकि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान अपील अधिनियम की धारा 76 के अधीन फाइल की गई अपील है, जिसको अभिलेख और अभिवचनों के परिशीलन के पश्चात् निर्णीत किया जाएगा । इसलिए, याची न तो प्रथम प्रत्यर्थी अभिकरण के समक्ष लंबित 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 में न तो आवश्यक पक्ष है और न ही उचित पक्ष । इस न्यायालय के अनुसार याची उपरोक्त प्राधिकृत सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए उपरोक्त अपील अर्थात् 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ आवश्यक पक्ष नहीं है । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के अधीन उसको संयोजित किया जाना आवश्यक नहीं है । इसके अतिरिक्त यह अपील पक्षों द्वारा उत्तर की दलीलें दिए जाने के प्रयोजनार्थ सूचीबद्ध की गई है जिसका अर्थ यह है कि यह अपील लगभग निस्तारण के प्रक्रम पर लंबित है । अधिकरण ने याची द्वारा फाइल की गई याचिका, जिसमें पक्षों को संयोजित किया गया, को न्यायत: खारिज किया । याची इस तथ्य को दृष्टि में रखते

हुए अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में मध्यक्षेप करने के किसी भी आधार या परिस्थिति को स्थापित कर पाने में विफल रहा है । अत: रिट याचिका असफल होती है और खारिज किए जाने योग्य है । (पैरा 18, 19 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 490 = 2018 (2) इलाहाबाद 82 एस. सी. : **पंकजभाई रमेशभाई जालावाडिया** बनाम **जेठाभाई कालाभाई जालावाडिया (मृतक) द्वारा विधिक उत्तराधिकारी** ; 20

[1985] ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 973 : **दमन सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** ; 6

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2019 की रिट याचिका संख्या 28629.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री बी. एन. प्रशांथ और एस. किरनमाई

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री वेंकट दिवाकर और मानथा राजेन्द्र, सरकारी प्लीडर

आदेश

यह रिट प्रथम प्रत्यर्थी तेलंगाना सहकारी अधिकरण (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा 2019 की सहकारी अधिकरण अपील संख्या 2 में 2019 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 178 में तारीख 16 दिसंबर, 2019 को पारित आदेश से संबंधित अभिलेख को तलब किए जाने और उसको अपास्त किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल की गई है ।

2. प्रथम प्रत्यर्थी अधिकरण ने पूर्वोक्त आदेश द्वारा याची द्वारा फाइल की गई 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2, जिसमें इस अपील के प्रत्यर्थी संख्या 3 को पक्ष बनाए जाने की ईप्सा की गई

थी, में 2019 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 178 को खारिज कर दिया ।

3. श्रीमती एस. किरनमाई का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल श्री बी. एन. प्रशांथ, याची की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल, द्वितीय प्रत्यर्थी सहकारिता विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान् सरकारी प्लीडर, तृतीय प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री एम. वेंकट दिवाकर और प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री मानथा राजेन्द्र को सुना ।

4. वे तथ्य जिनके आधार पर वर्तमान रिट याचिका फाइल की गई इस प्रकार हैं :–

> "इस मामले के प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 ने 1964 के तेलंगाना सहकारी समिति अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 76 सपठित 1994 के तेलंगाना सहकारी अधिकरण (प्रक्रिया) नियम (संक्षेप में 'नियम') के नियम 7 के अधीन वर्तमान 2019 की सहकारी अधिकरण अपील संख्या 2 फाइल की जिसके द्वारा इस मामले के प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाणपत्र संख्या 894/2012-आवास में तारीख 10 दिसंबर, 2018 की कार्यवाही को चुनौती दी गई है । उक्त कार्यवाहियों के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 को अधिनियम की धारा 21-कक(1) के अधीन निर्वाचन का सामना करने या सहयोजन से दो निरंतर अवधियों के लिए निरर्हित कर दिए गए थे । प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 ने उपरोक्त अपील विभिन्न आधारों पर फाइल की और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 2018 की आर.सी. संख्या 894/2012 में उक्त कार्यवाहियों को अपास्त किए जाने की ईप्सा की । उक्त अपील प्रथम प्रत्यर्थी अधिकरण के समक्ष लंबित थी । याची, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 संस्था का सदस्य है, ने उक्त अपील के लंबन के दौरान 2019 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 178 फाइल किया और उसको अपील में तृतीय प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किए जाने की ईप्सा की ।"

5. याची की दलील यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7, जो 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 में अपीलार्थी हैं, के पक्षकथन

में कोई गुणागुण नहीं है और उन्होंने उक्त अपील कार्यवाहियों को दीर्घकाल तक चलाए रखने के प्रयोजनार्थ फाइल की है । उन्होंने आगे दलील दी कि वह तृतीय प्रत्यर्थी संस्था का सदस्य और संस्था के कल्याण में हितबद्ध है । प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 अपील में बिना किसी साक्ष्य के भ्रमपूर्ण और असत्य कथन कर रहे हैं और इसलिए वह 2019 के सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 में आवश्यक और उचित पक्ष है, जो मामले के वास्तविक तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । याची ने उपरोक्त दलीलों के साथ 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 में 2019 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 178 फाइल किया ।

6. तृतीय प्रत्यर्थी संस्था ने वर्तमान रिट याचिका में ईप्सित अनुतोष का विरोध करते हुए खंडन यह दलील देते हुए फाइल किया कि तृतीय प्रत्यर्थी संस्था में 450 सदस्य हैं और केवल याची ने अपील में पक्ष बनाए जाने की ईप्सा करते हुए आवेदन फाइल किया है । याची को संस्था का सदस्य होने के नाते अपील में पक्ष बनने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधिकरण अधिनियम की धारा 76 के अधीन फाइल की गई वर्तमान अपील में आक्षेपित कार्यवाहियों की वैधता पर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर विचार करेगा । याची प्रभावित पक्ष नहीं है । तृतीय प्रत्यर्थी द्वारा उस सिद्धांत का अवलंब लिया गया जिसे **दमन सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया । उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति एक बार किसी सहकारी संस्था का सदस्य बन जाता है, तो वह संस्था का सदस्य होने के नाते अपनी वैयक्तिकता खो देता है और उसके स्वतंत्र अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उसको मात्र वे अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कानून द्वारा और संस्था के उप नियमों के अंतर्गत प्रदत्त होते हैं । वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी संख्या 3 संस्था अभिलेख पर उपस्थित है और अभिलेख प्रस्तुत करने के द्वारा अपील में अपनी प्रतिरक्षा कर रही है ।

7. प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 ने भी लगभग उन्हीं दलीलों के आधार

---

[1] ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 973.

पर अपना खंडन फाइल किया है, जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उठाया गया । प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में अभिनिर्धारित सिद्धांत का अवलंब लिया है ।

8. प्रथम प्रत्यर्थी अधिकरण ने तारीख 16 दिसंबर, 2019 के आदेश द्वारा 2019 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 178 को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि याची यह साबित कर पाने में विफल रहा है कि वह किस प्रकार से तारीख 10 दिसंबर, 2018 की आक्षेपित कार्यवाही द्वारा व्यथित है और अधिनियम की धारा 21-क(1) के अधीन जारी की गई आक्षेपित कार्यवाही को अधिकरण द्वारा पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णीत किया जाएगा । याची को पक्ष के रूप में संयोजित किए बिना भी अपील का न्यायनिर्णयन प्रभावपूर्ण और संपूर्ण रूप से किया जा सकता है । अधिकरण ने उक्त निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए अंतर्वर्ती आवेदन को खारिज कर दिया । उक्त आदेश को आक्षेपित करते हुए वर्तमान रिट याचिका फाइल की गई है ।

9. श्रीमती एस. किरनमाई का प्रतिनिधित्व करने वाले याची की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री बी. एन. प्रशांथ ने निवेदन किया कि याची 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 के उचित न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ आवश्यक पक्ष है । उन्होंने आगे निवेदन किया कि 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 में 2019 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 16 में तारीख 23 जनवरी, 2019 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 2018 की आक्षेपित कार्यवाही को निलंबित कर दिया गया था । न तो द्वितीय प्रत्यर्थी ने और न ही तृतीय प्रत्यर्थी ने 2019 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 16 में कोई खंडन फाइल किया है और वे अधिकरण की उचित रूप से सहायता नहीं कर रहे हैं । अधिनियम की धारा 52 के अधीन जांच संचालित की गई थी और रिपोर्ट यह अभिनिर्धारित करते हुए प्रस्तुत की गई थी कि प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 ने अनेक अनियमितताएं कारित की थीं । उक्त रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ सूचना जारी करते हुए द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 2018 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 को दो

निरंतर अवधियों के लिए निर्वाचन का सामना करने से निरर्हित कर दिया गया था । तारीख 23 जनवरी, 2019 का उक्त अंतरिम आदेश इस कारणवश पारित किया गया था चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 ने अपील में कोई खंडन फाइल नहीं किया था और उन्होंने इस अपील का प्रतिवाद भी नहीं किया था । प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 तारीख 23 जनवरी, 2019 के उपरोक्त अंतरिम आदेश को दृष्टि में रखते हुए तृतीय प्रत्यर्थी संस्था की प्रबंध समिति के सदस्य बने हुए हैं । इसलिए, अपील के न्यायनिर्णय के प्रयोजनार्थ याची की उपस्थिति आवश्यक है चूंकि याची तृतीय प्रत्यर्थी संस्था का सदस्य होने के नाते अपील के प्रभावी ढंग से निस्तारण में अधिकरण की सहायता करेगा ।

10. याची के विद्वान् काउंसेल ने आगे दलील दी कि यदि अपील में याची को तृतीय प्रत्यर्थी के रूप में पक्ष बनाया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसके विपरीत याची के हितों पर तृतीय प्रत्यर्थी संस्था का सदस्य होने के नाते कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 ने तृतीय प्रत्यर्थी संस्था के सदस्य होने के नाते अनेक अनियमितताएं कारित की हैं, जिनको अधिनियम की धारा 22 के अधीन जांच के दौरान साबित भी किया गया था । वे अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश का आश्रय लेकर तृतीय प्रत्यर्थी संस्था की प्रबंध समिति के सदस्य बने हुए हैं ।

11. हमारे समक्ष वर्तमान रिट याचिका में परस्पर विरोधी दलीलों को दृष्टि में रखते हुए जो बिंदु विचारार्थ उद्भूत हुआ, यह है कि 'क्या याची 2019 की सहकारी अधिकरण अपील संख्या 2 में तृतीय प्रत्यर्थी के रूप में पक्ष बनाए जाने का हकदार है ?'

12. अभिवचनों के परिशीलन पर निम्नलिखित विवादित तथ्य उद्भूत होते हैं, जो निम्नलिखित हैं :–

> "हमारे समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका के प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 तृतीय प्रत्यर्थी संस्था की प्रबंध समिति के सदस्य हैं । चूंकि इस संस्था की कार्यकारिणी समिति पर संस्था के मामलों में दुरुपयोग और कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 52 के अधीन जांच के आदेश पारित किए गए थे और इस

जांच की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी । तत्पश्चात्, द्वितीय प्रत्यर्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 को निर्वाचन का सामना करने से निरर्हित किए जाने और उनको दो निरंतर अवधियों के लिए मनोनीत किए जाने के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 21-कक के अधीन तारीख 10 दिसंबर, 2018 के वसूली प्रमाणपत्र संख्या 894/2012-एच.एस.जी. के द्वारा कार्यवाही की । प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 ने अनेक आधारों का आश्रय लेते हुए अधिनियम की धारा 76 के अधीन 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 फाइल की । उन्होंने 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 में 2019 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 16 भी द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए तारीख 10 दिसंबर, 2018 के आदेश को निलंबित किए जाने की ईप्सा करते हुए फाइल किया, जिसके द्वारा उनको दो निरंतर अवधियों के लिए निर्वाचन का सामना करने से निरर्हित कर दिया गया था । प्रथम प्रत्यर्थी अधिकरण ने तारीख 23 जनवरी, 2019 के आदेश द्वारा 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 में उक्त 2019 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 16 को मंजूर कर लिया और कार्यवाहियों के लंबन के दौरान तारीख 10 दिसंबर, 2018 की कार्यवाही को स्थगित कर दिया । इस अपील पर दलीलों के प्रयोजनार्थ सुनवाई की तारीख निर्धारित की जा चुकी है ।"

13. तृतीय प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल के अनुसार यह अपील दोनों पक्षों द्वारा दलीलें दिए जाने के प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई थी और अधिकरण कोविड-19 के प्रसारण के कारण इस मामले की सुनवाई कर पाने में असमर्थ है । यदि एक बार अधिकरण नियमित रूप से कार्यवाही आरंभ कर देता है, तो मुख्य अपील का गुणागुण पर निर्णय कर दिया जाएगा ।

14. अधिनियम की धारा 76 अपीलों पर विचार करती है । कोई भी व्यक्ति या संस्था, जो अधिनियम की धारा 21-कक के अधीन पारित निर्णय या आदेश द्वारा व्यथित है, अधिनियम की धारा 76 के अधीन अपील फाइल कर सकता है । स्वीकृतत:, तारीख 10 दिसंबर, 2018 के वसूली प्रमाणपत्र संख्या 894/2012-एच.एस.जी. वाले मामले में आदेश प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अधिनियम की धारा 21-कक के अधीन फाइल

किए गए हैं, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 को दो निरंतर अवधियों के लिए निर्वाचन का सामना करने से निरर्हित कर दिया गया है । 2019 की उक्त अपील उक्त सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 प्रथमत: प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 द्वारा अधिनियम की धारा 76 के अधीन प्रथम प्रत्यर्थी के समक्ष फाइल की गई थी । अपीलों को फाइल किए जाने, उनको संख्यांकित किए जाने और उन पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रक्रिया को नियमों के अंतर्गत अधिकथित किया गया है । उक्त प्रक्रिया के अनुसार अधिकरण अभिलेख के परिशीलन के पश्चात् अपील में आक्षेपित कार्यवाही और उस अपील के पक्षों द्वारा दी गई दलीलों की वैधता पर विचार करेगा । स्वीकृतत: द्वितीय प्रत्यर्थी अर्थात् सिकंदराबाद खंड के सहकारी संस्थाओं के उप रजिस्ट्रार, जिन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 को निरर्हित करते हुए तारीख 10 दिसंबर, 2018 का आदेश पारित किया था, अपील में पक्षकार हैं । उनका प्रतिनिधित्व प्रस्तुतीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो भी समान रैंक का अधिकारी है । संस्था अर्थात् मोतीनगर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड भी अपील में तृतीय प्रत्यर्थी है । उक्त अपील में इस मामले के प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 द्वारा अनेक आधारों का आश्रय लिया गया था । इसलिए प्रथम प्रत्यर्थी पक्षों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करेगा और उसके समक्ष अभिलेख को प्रस्तुत किए जाने पर उसका सत्यापन करेगा और नियम के नियम 20 के विरुद्ध आदेश पारित करेगा ।

15. तारीख 10 दिसंबर, 2018 की कार्यवाही, जिसके द्वारा इस मामले के प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 को दो निरंतर अवधियों के लिए निर्वाचन का सामना करने से निरर्हित कर दिया गया, द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा पारित किया गया आदेश है, जो अधिनियम की धारा 52 के अधीन जांच में निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित हैं । उक्त कार्यवाही 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 में अधिकरण के समक्ष लंबित है । अधिकरण तारीख 10 दिसंबर, 2018 की कार्यवाही की वैधता का परीक्षण करेगा । तृतीय प्रत्यर्थी संस्था के याची को सम्मिलित करते हुए किसी भी सदस्य की उक्त अपील के न्यायनिर्णयन में कोई भूमिका नहीं होगी । स्वीकृतत:, याची की तरफ से अधिनियम की धारा 52 के अधीन न तो कोई जांच और न ही कोई आक्षेपित कार्यवाही । वह उक्त कार्यवाही में पक्ष नहीं है । तथापि, तृतीय प्रत्यर्थी वर्तमान अपील में

पहले ही उपस्थित हो चुका और वह अपील का प्रतिवाद कर रहा है । स्वीकृतत: तृतीय प्रत्यर्थी संस्था में 450 सदस्य हैं । सिवाय याची के किसी भी अन्य सदस्य ने पक्ष बनाए जाने के प्रयोजनार्थ कोई आवेदन फाइल नहीं किया है । याची तृतीय प्रत्यर्थी संस्था का सदस्य होने के नाते अपनी वैयक्तिता को खो चुका है और उसके कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होंगे । उसको तृतीय प्रत्यर्थी, जिसका वह एक सदस्य है, के साथ मिलकर प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 द्वारा फाइल की गई उक्त अपील में प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ पैरवी करनी होगी । उसको संस्था की तरफ से या अपनी वैयक्तिक क्षमता में इस अपील का प्रतिवाद करने का कोई स्वतंत्र अधिकार प्राप्त नहीं है । उक्त सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा **दमन सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है ।

16. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 1, नियम 10 कार्यवाही में पक्षों को पक्ष बनाए जाने पर विचार करता है । सामान्यत:, यदि कोई पक्ष किसी कार्यवाही में हितबद्ध होने का दावा करता है, तो उसको उक्त कार्यवाही में पक्ष के रूप में संयोजित किया जाएगा । उक्त उपबंध मूल कार्यवाही में "उदार अर्थान्वयन का सिद्धांत" पर आधारित है ।

17. जबकि, वर्तमान मामला अधिनियम की धारा 76 के अधीन फाइल की गई अपील है जिसमें आक्षेपित कार्यवाही की वैधता का न्यायनिर्णयन अभिवचनों और अभिलेख के आधार पर किया जाएगा । किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह स्वयं को उक्त अपील में पक्ष के रूप में संयोजित किए जाने की ईप्सा करे । माननीय उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने **दमन सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में पंजाब सहकारी समिति अधिनियम की धारा 1, 13(8) और 30 पर विचार करते हुए और विशिष्ट रूप से सहकारी समितियों के आमेलन के प्रश्न पर विचार करते हुए **दमन सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया कि यदि एक बार कोई व्यक्ति किसी सहकारी समिति का सदस्य बन जाता है, तो वह संस्था के सदस्य के रूप में अपनी वैयक्तिता को खो देता है और उसके कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होंगे सिवाय उन अधिकारों के जो कानून और उप नियमों द्वारा उसको संस्था के सदस्य के रूप में प्रदान किए गए हैं । उसको संस्था के सदस्य के रूप में ही कार्य करना चाहिए और विचार

व्यक्त करने चाहिए अन्यथा संस्था एक निकाय के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्वयं ही उसकी तरफ से कार्य कर सकती है या विचार व्यक्त कर सकती है । इसलिए यदि कोई कानून, जो किसी सहकारी समिति के अनिवार्य रूप से आमेलन के लिए प्राधिकृत करता है, संबद्ध संस्थाओं को सूचना प्रदान किए जाने के लिए उपबंधित करता है, ताकि नैसर्गिक न्याय की अपेक्षा का पूर्ण रूप से पालन हो जाए । संस्था को दी जाने वाली सूचना को सभी सदस्यों को दी जाने वाली सूचना माना जाएगा । यही कारण है कि धारा 13(9)(क) संस्था को सूचना दिए जाने के लिए उपबंधित करती है और न कि सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दिए जाने के लिए । तथापि, धारा 13(9)(ख) उपबंधित करती है कि संस्था के सदस्यों को भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए, यदि वे सुने जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं । किसी सहकारी संस्था के व्यक्तिगत सदस्यों को सूचना एक निगमित निकाय के रूप में किसी सहकारी संस्था की आत्यंतिक हैसियत के विपरीत होती है और इसलिए अनावश्यक होती है ।

18. याची वर्तमान मामले में भी यह दावा कर रहा है कि वह 1/3 प्रत्यर्थी संस्था का सदस्य है इसलिए, यदि एक बार वह तृतीय प्रत्यर्थी संस्था की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, तो वह अपनी वैयक्तिक्ता को खो देता है और उसके कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं रह जाते सिवाय अधिनियम और तृतीय प्रत्यर्थी संस्था के उप नियमों के अंतर्गत उसको प्रदान किए गए अधिकारों के अलावा । उसको तृतीय प्रत्यर्थी संस्था के माध्यम से कार्य करना चाहिए और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए । वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 76 के अधीन फाइल की गई अपील में यदि याची अंतत: अधिकरण की सहायता करने का प्रयास करना चाहता है, तो उसको ऐसा तृतीय प्रत्यर्थी संस्था से आग्रह करते हुए उसी संस्था, जिसका वह सदस्य है, के माध्यम से करना चाहिए ।

19. यहां पर यह उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि आवश्यक पक्ष वह व्यक्ति होता है, जिसकी अनुपस्थिति में कोई भी आदेश प्रभावी ढंग से पारित नहीं किया जा सकता । उचित पक्ष वह पक्ष होता है जिसकी अनुपस्थिति में कोई प्रभावी आदेश पारित तो किया जा सकता है किंतु पूर्ण और अंतिम विनिश्चय के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है । सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 1, नियम 10 स्थापित किए

जाने का विधान-मंडल का आशय यह है कि जहां कोई पक्ष किसी आवश्यक और उचित पक्ष को उपेक्षापूर्वक या किसी अन्य कारणवश कार्यवाही का पक्ष बनाने में विफल रहता है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उक्त उपबंध के अंतर्गत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे, ताकि वाद के सभी पक्षों के साथ इस बाबत कुछ भी अभिव्यक्त किए बिना पूर्ण रूप से न्याय किया जा सके कि पक्षों या विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा ऐसा क्यों किया गया है । यह उपबंध किसी भी व्यक्ति को कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर पक्ष बनाए जाने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाता है । यदि न्यायालय के समक्ष वाद में अंतर्वलित समस्त प्रश्नों का प्रभावी रूप से न्यायनिर्णयन किए जाने और उनको स्थिरीकृत किए जाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय को समर्थ बनाए जाने के लिए उस व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है । कार्यवाहियों की गुणजता से बचना भी उक्त उपबंध का उद्देश्य है ।

20. यह उल्लेख करना घिसापिटा होगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के अधीन उपबंध वाद/कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर किसी पक्ष को संयोजित किए जाने या हटाए जाने के न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार के बारे में चर्चा करते हैं । न्यायालय किसी भी ऐसे पक्ष को वाद से हटा सकता है जिसको अनुचित रूप से मुकदमे का पक्ष बना दिया गया है, वह किसी भी व्यक्ति को पक्ष के रूप में मुकदमे में संयोजित भी कर सकता है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह व्यक्ति मामले का आवश्यक या उचित पक्ष है । न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10(2) के अधीन निश्चित रूप से समुचित कारणोवश कार्रवाई करेगा और न कि सनक या मनमानेपन के आधार पर । **पंकजभाई रमेशभाई जालावाडिया** बनाम **जेठाभाई कालाभाई जालावाडिया (मृतक) द्वारा विधिक उत्तराधिकारी**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) में प्रयुक्त "अंतर्वलित समस्त प्रश्नों को स्थिरीकृत किए जाने के प्रयोजनार्थ" अभिव्यक्ति उदार और व्यापक निर्वचन के अध्यधीन है, ताकि उस मामले की विषयवस्तु से संबंधित समस्त प्रश्नों का न्यायनिर्णयन किया जा सके । संसद् ने

[1] ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 490 = 2018 (2) इलाहाबाद 82 एस. सी.

अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जब इस नियम को विरचित किया तो उन्होंने निश्चित रूप से इस बात पर विचार किया होगा कि समस्त तात्विक प्रश्न, जो वाद के समस्त पक्षों और तृतीय पक्षों के मध्य सामान्य रूप से अंतर्वलित हैं, पर एक साथ अंतिम रूप से विचार किया जाना चाहिए । न्यायालय को तृतीय पक्षों को सम्मिलित करते हुए पक्षों को संयोजित किए जाने के न्यायिक विवेकाधिकार के साथ पूर्वोक्त परिणाम को सुनिश्चित करने की शक्ति प्राप्त है ।

21. जैसीकि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान अपील अधिनियम की धारा 76 के अधीन फाइल की गई अपील है, जिसको अभिलेख और अभिवचनों के परिशीलन के पश्चात् निर्णीत किया जाएगा । इसलिए, याची न तो प्रथम प्रत्यर्थी अभिकरण के समक्ष लंबित 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 में न तो आवश्यक पक्ष है और न ही उचित पक्ष । इस न्यायालय के अनुसार याची उपरोक्त प्राधिकृत सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए उपरोक्त अपील अर्थात् 2019 की सहकारिता अधिकरण अपील संख्या 2 के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ आवश्यक पक्ष नहीं है । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के अधीन उसको संयोजित किया जाना आवश्यक नहीं है । इसके अतिरिक्त यह अपील पक्षों द्वारा उत्तर की दलीलें दिए जाने के प्रयोजनार्थ सूचीबद्ध की गई है जिसका अर्थ यह है कि यह अपील लगभग निस्तारण के प्रक्रम पर लंबित है । अधिकरण ने याची द्वारा फाइल की गई याचिका, जिसमें पक्षों को संयोजित किया गया, को न्यायत: खारिज किया । याची इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में मध्यक्षेप करने के किसी भी आधार या परिस्थिति को स्थापित कर पाने में विफल रहा है । अत: रिट याचिका असफल होती है और खारिज किए जाने योग्य है ।

22. तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है । लागत के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता । इस क्रम में यदि कोई प्रकीर्ण याचिका लंबित हो, तो वह भी बंद हो जाएगी ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

हरीश पूनमचन्द मशरुवाला

बनाम

मोहनभाई गोविन्दभाई बानी

(2020 का अंतरिम आवेदन सं. 4586)

तारीख 6 जनवरी, 2021

न्यायमूर्ति बी. पी. कोलाबावाला

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – धारा 51, आदेश 39, नियम 1 – कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति – यथापूर्व स्थिति आदेश का अतिक्रमण किए जाने का अभिकथन – यथापूर्व स्थिति के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वादी पक्ष तथा प्रतिवादी पक्ष दोनों ही अपने-अपने भूखंडों की यथापूर्व स्थिति को बनाए रखेंगे न कि उन पर बने कारखाने के उपकरणों की स्थिति को, अत: मशीनरी से संबंधित पट्टा करार निष्पादित किए जाने से यथापूर्व स्थिति के आदेश का अतिक्रमण नहीं होता है ।

अंतरिम आवेदन आवेदकों/प्रतिवादी सं. 1 से 4 के द्वारा निम्नलिखित ईप्सित अनुतोष की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है – (क) यह कि माननीय न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39, नियम 2-4 के अधीन इस माननीय न्यायालय के कोर्ट रिसीवर को भूखंड सं. 250/1 और 250/2 स्थित रोड सं. 2, जीआईडीसी सचिन, सूरत, 394-230 का कब्जा प्राप्त करने के लिए रिसीवर के रूप में नियुक्त करने की कृपा करें, (ख) यह कि माननीय न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39, नियम 2-4 के अधीन भूखंड सं. 250/1 और 250/2, स्थित रोड सं. 2, जीआईडीसी सचिन, सूरत, 394-230 सहित वादियों की सभी संपत्तियों को कुर्क करने की कृपा करें, (ग) यह कि माननीय न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39, नियम 11 के अधीन वर्तमान वाद को खारिज करने की कृपा करें, (घ) यह कि माननीय न्यायालय वादी को सिविल कारागार में, जिसकी अवधि

3 माह से अधिक न हो तक के लिए निरुद्ध करने का आदेश देने की कृपा करें । प्रतिवादी सं. 1 से 4 के अनुसार इस आवेदन में ईप्सित अनुतोष इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए कि वादियों ने तारीख 4 सितंबर, 2014 को इस न्यायालय द्वारा प्रस्ताव-सूचना सं. 303/2011 में पारित यथापूर्व स्थिति के आदेश का अतिक्रमण किया है । प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल डा. चंद्रचूड़ ने यह दलील दी कि भूखंड सं. 250/1 और 250/2 जिन पर कारखाना बना हुआ है और जो रोड सं. 2, सचिन जीआईडीसी, सचिन, सूरत, 394-230 पर स्थित हैं वादी सं. 3 और 4 के कब्जे में हैं । उन्होंने दलील दी कि उक्त भूखंडों और उस पर बने कारखाने के संबंध में आदेश-2014 पारित होने की तारीख को उनके संबंध में किसी भी तृतीय पक्षकार का अधिकार नहीं था । इसके बाद प्रतिवादी सं. 1 से 4 के संज्ञान में आया कि वादी सं. 3 और 4 ने एक तृतीय पक्षकार को सम्मिलित किया है, जिसका नाम पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स को (ऊपर नामित प्रत्यर्थी का एक सांपत्तिक समुत्थान है) उक्त संपत्ति में एक पट्टेदार के रूप में तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार के द्वारा प्रवेश करा लिया । यह 2014 के आदेश का प्रत्यक्ष अतिक्रमण है जो एक ओर वादी सं. 1 से 4 को और दूसरी ओर प्रतिवादी सं. 1 से 4 को निदेश देता है कि अपने भूखंडों के संबंध में अर्थात् वादी सं. 1 के स्वामित्व वाले भूखंड सं. 250/1 और प्रतिवादी सं. 1 के एच. यू. एफ. के स्वामित्व वाले भूखंड सं. 250/2 में यथापूर्व स्थिति बनाए रखें । उन्होंने दलील दी कि इस परिस्थिति में प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने अन्य बातों के साथ उपरोक्त वाद को सुनवाई और निपटान लंबित रहने तक पूर्वोक्त दो भूखंडों का कब्जा लेने और वादी सं. 3 और 4 की सभी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है । आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुना और अंतरिम आवेदन के साथ-साथ उपरोक्त वाद की कार्यवाही तथा दस्तावेजों का परिशीलन किया है । इस मुख्य दलील पर मुझे विचार करना है कि क्या तारीख 23 नवंबर, 2019 को

टीडीपीडब्ल्यू और पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स के बीच किया गया करार इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 4 सितंबर, 2014 के यथापूर्व स्थिति के आदेश के अनुरूप है । विनिश्चित किए जाने हेतु द्वितीय प्रश्न यह है कि यदि आदेश-2014 का अतिक्रमण किया गया है तो क्या उक्त अतिक्रमण जानबूझकर साशय किया गया है । यह समझने और अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या यथापूर्व स्थिति के आदेश-2014 का अतिक्रमण हुआ है या नहीं, इस बात को मामले के तथ्यों और उस न्यायालय के समक्ष रखे गए विवाद्यकों के संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए जिसने यथापूर्व स्थिति का आदेश पारित किया था । इस संबंध में वादपत्र से कुछ दलीलों को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा । वादपत्र में वादियों का पक्षकथन यह है कि वे और प्रतिवादी संयुक्त रूप से विनिर्माण और/या विक्रय और/या विपणन कमीशन अभिकर्ता के रूप में अनेक कला रेशमी वस्त्र का कारबार पृथक्-पृथक् रूप से भागीदार और/या सांपत्तिक समुत्थान के माध्यम से सूरत और मुंबई में कर रहे थे । सूरत और मुंबई में स्थापित सांपत्तिक और भागीदार फर्मों का विवरण वादपत्र के प्रदर्श "क" और "ख" में दिया गया है । वादियों का मामला यह है कि मार्च, 2008 में मशरुवाला परिवार के सदस्यों (वादी सं. 1 से 6 और प्रतिवादी सं. 1 से 11) के द्वारा कौटुंबिक समझौता मौखिक रूप से निष्पादित किया गया था । इस कौटुंबिक समझौते में वादी का मामला यह है कि वादी सं. 1 और उसके गुट को अन्य बातों के साथ-साथ भूखंड सं. 250/2 प्राप्त करना था जो प्रतिवादी सं. 1/एन. यू. एफ. (जो उसका गुट हैं) के नाम पर था । इस प्रयोजन के लिए प्रतिवादी सं. 1 और उसके गुट को भूखंड सं. 250/2 के स्वामित्व को वादी सं. 1 के गुट को अंतरित करना था । उपरोक्त कौटुंबिक समझौते से बहुत पूर्व तारीख 20 जनवरी, 2004 को एक पट्टा विलेख (i) वादी सं. 1 द्वारा टीडीपीडब्ल्यू के पक्ष में भूखंड सं. 250/1 के संबंध में और (ii) प्रतिवादी सं. 1 और टीडीपीडब्ल्यू में भूखंड सं. 250/2 को 99 वर्षों के लिए अपने संबंधित भूखंडों के लिए निष्पादित किया गया था । इस पट्टे के अनुसरण में उक्त दो भूखंडों पर कारखाने का निर्माण टीडीपीडब्ल्यू द्वारा किया गया था । जब कोई टीडीपीडब्ल्यू और पद्मावती टेक्सटाइल

के बीच तारीख 23 नवंबर, 2019 को निष्पादित करार जिसे पट्टा करार के रूप में अभिनामित किया गया है, का परिशीलन करता है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि करार एक ओर टीडीपीडब्ल्यू और दूसरी ओर पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स के स्वत्वधारी के बीच हुआ है । यह करार औद्योगिक प्रयोजन के लिए तारीख 15 दिसंबर, 2019 से तारीख 14 दिसंबर, 2024 तक 60 माह की अवधि के लिए किया गया था । उक्त करार की विषयवस्तु वह संपत्ति है जिसका वर्णन उसकी अनुसूची में किया गया है । हालांकि करार गुजराती भाषा में है, लेकिन मेरे समक्ष उक्त करार का प्राधिकृत अनुवाद प्रस्तुत किया गया है और यह अनुवाद मुख्य अनुवादक और निर्वाचक, मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है । करार से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि उपरोक्त करार को पट्टा करार कहा जाता है, तो भी भूखंड सं. 250/1 और भूखंड सं. 250/2 का पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स के पक्ष में कोई पट्टा नहीं किया गया है । पट्टा यदि था भी तो वह कारखाना भवन, बॉयलर हाउस, ईटीपी संयंत्र, सभी मशीनरी, कारखाना भवन के अन्दर स्थित समस्त उपकरण, पाइप लाइनें, जल मृदुकरण संयंत्र, भूमिगत, जलाशय, जनरेटर, विद्युत घर और कार्यालय भवन के संबंध में है । जहां तक 2004 के पट्टे का संबंध हैं, (जो टीडीपीडब्ल्यू के पक्ष में उक्त भूखंडों के संबंध में वादी सं. 1 और प्रतिवादी सं. 2 द्वारा निष्पादित किया गया था), उसमें कोई विवाद नहीं है । प्रथमदृष्ट्या वादी सं. 1 और प्रतिवादी सं. 1 द्वारा टीडीपीडब्ल्यू के पक्ष में किए गए पट्टे के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं था जो कि भूखंड सं. 250/1 और भूखंड 250/2 के संबंध में था । इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि उक्त भूखंड टीडीपीडब्ल्यू एक के कब्जे में है और उसने उस पर बने कारखाने का निर्माण किया है और तब से उसका उस भूखंड पर विधिपूर्ण कब्जा है । दूसरे शब्दों में, टीडीपीडब्ल्यू द्वारा उक्त भूखंडों के कब्जे और उस पर कारखाने के कब्जे और उपयोग किए जाने के तथ्य के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं था । प्रथमदृष्ट्या पक्षकारों के बीच उक्त भूखंडों जो टीडीपीडब्ल्यू के कब्जे में थे, के स्वामित्व/हक के संबंध में यह विवाद था कि क्या वादी भूखंड सं. 250/2 के स्वामित्व के हकदार हैं या नहीं

जैसाकि उनके द्वारा मौखिक कौटुंबिक समझौते में अभिकथित किया गया था । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच विवाद भूखंड सं. 250/1 और 250/2 के स्वामित्व के संदर्भ में था । मेरी प्रथमदृष्ट्या राय है कि यह स्पष्ट है कि टीडीपीडब्ल्यू के द्वारा पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स के साथ किया गया करार यथापूर्व स्थिति के आदेश के अनुरूप है और/यथापूर्व स्थिति के आदेश का अतिक्रमण नहीं करता है । यह स्पष्ट है क्योंकि यथापूर्व स्थिति के आदेश में ही यह अभिलिखित किया गया है कि "वादी सं. 1 से 4 एक ओर और प्रतिवादी सं. 1 से 4 दूसरी ओर अपने-अपने भूखंडों के संबंध में यथापूर्व स्थिति के आदेश को बनाए रखेंगे अर्थात् भूखंड सं. 250/1 वादी सं. 1 के स्वामित्वों और भूखंड सं. 250/2 प्रतिवादी सं. 1 के एच.यू.एफ. के स्वामित्व में ....." यदि कोई यथापूर्व स्थिति के आदेश को इस संदर्भ में पढ़े और चूंकि स्वीकृत रूप से पूर्वोक्त भूखंडों के संबंध में तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार में किसी भी अधिकार, हक या हित का सृजन नहीं किया गया था तो मेरे विचार से डा. चंद्रचूड़ की यह दलील ठीक नहीं है कि उक्त करार यथापूर्व स्थिति के आदेश अतिक्रमण हैं । इस तथ्य के अलावा टीडीपीडब्ल्यू वर्तमान वाद में पक्षकार भी नहीं है । यह सत्य है कि वादी सं. 3 और 4 टीडीपीडब्ल्यू के भागीदार हैं । हालांकि मेरे विचार से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा । यथापूर्व स्थिति के आदेश द्वारा भागीदार फर्म को बाध्य करने के लिए उसे वाद का पक्षकार होना होगा और जिसके विरुद्ध यथापूर्व स्थिति का आदेश पारित करना होगा । प्रतिवादी सं. 1 से 4 का भी मामला यह नहीं है कि यथापूर्व स्थिति का आदेश टीडीपीडब्ल्यू के विरुद्ध पारित किया गया था । ऐसा मामला होने के नाते मुझे नहीं लगता कि वादी द्वारा तारीख 4 सितंबर, 2014 को इस न्यायालय द्वारा पारित यथापूर्व स्थिति के आदेश को किसी रूप से भंग किया गया है । अन्यथा भी, वर्तमान मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए, डा. चंद्रचूड़ की दलीलों को ठीक मानने पर भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आदेश-2014 का अभिकथित भंग या तो जानबूझकर या साशय किया गया है । यथापूर्व स्थिति के आदेश पर वादी द्वारा किया गया निर्वचन निश्चित

रूप से एक युक्तियुक्त निर्वचन है अर्थात् यथापूर्व स्थिति का आदेश केवल भूखंडों से संबंधित है न कि उस पर बने कारखाने के भवन से । एक बार जब ऐसा युक्तियुक्त निर्वचन किया गया है तो वहां अतिक्रमण किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है चाहे अतिक्रमण जानबूझकर किया गया हो या साशय । ऐसी स्थिति होने के कारण मेरा यह निष्कर्ष है कि आवेदन/प्रतिवादी सं. 1 से 4 उपरोक्त अंतरिम आवेदन में मांगे गए अंतरिम अनुतोष के हकदार नहीं है । न्यायालय को यह निश्चित रूप से उल्लिखित करना चाहिए कि डा. चंद्रचूड़ ने मेरे द्वारा पूर्व में निर्धारित कई निर्णयों का अवलंब लिया है, विशेषकर यथापूर्व स्थिति के आदेश के विस्तार और सीमा के संबंध में । हांलाकि, किसी को भी यह अनदेखा नहीं करना चाहिए कि यथापूर्व स्थिति के आदेश को उस संदर्भ में समझना होगा जिस संदर्भ में इसे पारित किया गया था । निस्संदेह, अभिव्यक्ति "यथापूर्व स्थिति" अस्पष्टता दर्शाती है और कई बार यह संदेह और कठिनाई को जन्म देती है । मेरे विचार से, जब न्यायालय "यथापूर्व स्थिति" बनाए रखने का आदेश देता है तो इसका अर्थ है कि आदेश पारित करते समय जो स्थिति विद्यमान थी, उसे परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, इसके पश्चात्, यह प्रश्न सामने आता है कि क्या पक्षकार अवमानना का दोषी है और जानबूझकर उसने न्यायालय के यथापूर्व स्थिति के आदेश की उपेक्षा की है और इस प्रश्न पर विचार उस संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें आदेश पारित किया गया था । इसके अतिरिक्त यथापूर्व स्थिति के आदेश का विस्तार वह अर्थ लगाने और वह लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो आदेश में विनिर्दिष्ट रूप से कथित नहीं है । जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय द्वारा पारित यथापूर्व स्थिति का आदेश वादी सं. 1 के स्वामित्व वाले भूखंड सं. 250/1 और एच. यू. एफ. के प्रतिवादी सं. 1 के स्वामित्व वाले भूखंड सं. 250/2 के संबंध में था । टीडीपीडब्ल्यू और पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स द्वारा तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार के निष्पादन में मुझे नहीं लगता है कि पूर्वोक्त दो भूखंडों के संदर्भ में यथापूर्व की स्थिति के आदेश में किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया गया है । यह तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार से ही

पूरी तरह से स्पष्ट है कि भागीदार फर्म की भूमि अर्थात् टीडीपीडब्ल्यू की भूमि और जो पट्टे पर भूखंड सं. 250/1 और भूखंड सं. 250/2 के रूप में दी गई थी, का उल्लेख अनुसूची में नहीं है । ऐसी तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण मेरा यह निष्कर्ष है कि डा. चंद्रचूड़ द्वारा उद्धृत निर्णयों का अवलंब वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से उनकी सहायता नहीं कर सकता । जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है । प्रतिवादियों द्वारा उक्त आदेश का जो निर्वचन किया गया है वह किसी भी स्थिति में निश्चित रूप से एक युक्तियुक्त निर्वचन ही है । जब एक बार यह अभिनिर्धारित कर दिया गया है कि यह एक युक्तियुक्त निर्वचन है तो यह उपधारित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि वादियों ने 4 सितंबर, 2014 के इस न्यायालय के द्वारा पारित यथापूर्व स्थिति के आदेश का जानबूझकर अतिक्रमण किया है । (पैरा 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	ए. आई. आर. 2006 जम्मू-कश्मीर 91 : **गुलाम अहमद दार और अन्य** बनाम **मुश्ताक अहमद शाह और अन्य** ;	7
[2004]	ए. आई. आर. 2004 मुम्बई 126 : **शमसुल हुदा और अन्य** बनाम **खैबर प्रोपर्टीज एंड इनवेस्टमेंट प्रा. लिमिटेड और अन्य** ;	13
[2004]	(2004) 3 गुवाहाटी ला रिपोर्ट्स 312 : **सूरज राय** बनाम **लीला नाथ और अन्य** ;	12
[2003]	(2003) एस. सी. सी. ऑनलाइन उड़ीसा 176 : **मदन मोहन साहू** बनाम **विजय कुमार साहू** ;	12
[2001]	ए. आई. आर. 2001 कर्नाटक 395 : **एन. रमैया** बनाम **नागराज एस. और अन्य** ;	12
[2000]	(2000) एस. सी. सी. ऑनलाइन आन्ध्र प्रदेश 314 : **इमेज डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड** बनाम **एन. सुभाष** ;	12

[1988] (1988) 1 जे. एल. जे. 357 :
नर्मदा माई खदान कामगार कारीगर सहकारी समिति और अन्य बनाम **लक्ष्मीनारायण और अन्य** ; 7

[1987] (1987) (सप्ली.) एस. सी. सी. 284 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 127 :
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम **बिहार राज्य और अन्य** । 7, 12

मूल (सिविल) अधिकारिता : 2020 का अंतरिम आवेदन सं. 4586.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 के अधीन अंतरिम आवेदन ।

आवेदकों की ओर से श्री डा. अभिनव चंद्रचूड़ (ललित जैन की ओर से)

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री चेतन कपाड़िया, विनोद मिस्त्री और दीपक शुक्ला (विनोद मिस्त्री और कंपनी की ओर से)

आदेश

उपर्युक्त अंतरिम आवेदन आवेदकों/प्रतिवादी सं. 1 से 4 के द्वारा निम्नलिखित ईप्सित अनुतोष की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है :–

"(क) यह कि माननीय न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39, नियम 2-4 के अधीन इस माननीय न्यायालय के कोर्ट रिसीवर को भूखंड सं. 250/1 और 250/2 स्थित रोड सं. 2, जीआईडीसी सचिन, सूरत, 394-230 का कब्जा प्राप्त करने के लिए रिसीवर के रूप में नियुक्त करने की कृपा करें ।

(ख) यह कि माननीय न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39, नियम 2-4 के अधीन भूखंड सं. 250/1 और

250/2, स्थित रोड सं. 2, जीआईडीसी सचिन, सूरत, 394-230 सहित वादियों की सभी संपत्तियों को कुर्क करने की कृपा करें ।

(ग) यह कि माननीय न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39, नियम 11 के अधीन वर्तमान वाद को खारिज करने की कृपा करें ।

(घ) यह कि माननीय न्यायालय वादी को सिविल कारागार में, जिसकी अवधि 3 माह से अधिक न हो तक के लिए निरुद्ध करने का आदेश देने की कृपा करें ।"

2. प्रतिवादी सं. 1 से 4 के अनुसार इस आवेदन में ईप्सित अनुतोष इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए कि वादियों ने तारीख 4 सितंबर, 2014 को इस न्यायालय द्वारा प्रस्ताव-सूचना सं. 303/2011 में पारित यथापूर्व स्थिति के आदेश (संक्षेप में "आदेश-2014" कहा गया है) का अतिक्रमण किया है । सुविधा की दृष्टि से आदेश-2014 इस प्रकार है :–

"दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुना । कुछ देर तक मामले की सुनवाई के पश्चात्, पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों के बीच यह सहमति हुई है कि दोनों पक्ष अर्थात् एक ओर वादी सं. 1 से 4 और दूसरी ओर प्रतिवादी सं. 1 से 4 अपने-अपने <u>भूखंडों के संबंध में अर्थात वादी सं. 1/1 के स्वामित्व वाले भूखंड सं. 250/1 और प्रतिवादी सं. 1 के एच. यू. एफ. वाले भूखंड सं. 250/2 जो रोड सं. 2 सचिन जीआईडीसी, सचिन, सूरत पर स्थित है, के संबंध में सुनवाई के लंबित रहने और अंतिम रूप से वाद के निपटान तक यथापूर्व स्थिति बनाए रखेंगे</u> । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यह करार 2010 के संक्षिप्त वाद सं. 193 में पक्षकारों के अधिकारों और दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा । तद्नुसार प्रस्ताव-सूचना का निपटारा किया जाता है । खर्च के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

3. प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्

काउंसेल डा. चंद्रचूड़ ने यह दलील दी कि भूखंड सं. 250/1 और 250/2 जिन पर कारखाना बना हुआ है और जो रोड सं. 2, सचिन जीआईडीसी, सचिन, सूरत, 394-230 पर स्थित हैं वादी सं. 3 और 4 के कब्जे में हैं । उन्होंने दलील दी कि उक्त भूखंडों और उस पर बने कारखाने के संबंध में आदेश-2014 पारित होने की तारीख को उनके संबंध में किसी भी तृतीय पक्षकार का अधिकार नहीं था । इसके बाद प्रतिवादी सं. 1 से 4 के संज्ञान में आया कि वादी सं. 3 और 4 ने एक तृतीय पक्षकार को सम्मिलित किया है, जिसका नाम पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स को (ऊपर नामित प्रत्यर्थी का एक सांपत्तिक समुत्थान है) उक्त संपत्ति में एक पट्टेदार के रूप में तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार के द्वारा प्रवेश करा लिया । यह 2014 के आदेश का प्रत्यक्ष अतिक्रमण है जो एक ओर वादी सं. 1 से 4 को और दूसरी ओर प्रतिवादी सं. 1 से 4 को निदेश देता है कि अपने भूखंडों के संबंध में अर्थात् वादी सं. 1 के स्वामित्व वाले भूखंड सं. 250/1 और प्रतिवादी सं. 1 के एच. यू. एफ. के स्वामित्व वाले भूखंड सं. 250/2 में यथापूर्व स्थिति बनाए रखें । उन्होंने दलील दी कि इस परिस्थिति में प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने अन्य बातों के साथ उपरोक्त वाद को सुनवाई और निपटान लंबित रहने तक पूर्वोक्त दो भूखंडों का कब्जा लेने और वादी सं. 3 और 4 की सभी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

4. डा. चंद्रचूड़ ने दलील दी कि वादी सं. 3 और 4 ने मुख्य रूप से दो आधारों पर आदेश-2014 का अतिक्रमण किया है :–

(क) यह कि पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स के साथ तारीख 23 नवंबर, 2019 को किया गया करार व्यवसाय संचालित करने का करार नहीं अपितु एक पट्टा करार था । इससे स्पष्ट रूप से इस न्यायालय द्वारा तारीख 4 सितंबर, 2014 को पारित यथापूर्व स्थिति के आदेश का अतिक्रमण होगा, और

(ख) यहां तक कि यह उपधारित करने पर भी कि तारीख 23 नवंबर, 2019 को किया गया पूर्वोक्त करार व्यवसाय को संचालित करने का करार था, उससे पूर्वोक्त करार तारीख 9 सितंबर, 2014

के आदेश का अतिक्रमण होता है, जो पक्षकारों को जैसाकि ऊपर बताया गया है यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने का निदेश देता है ।

5. डा. चंद्रचूड़ ने अपनी प्रथम दलील में यह कहा है कि तारीख 23 नवंबर, 2019 को किया गया करार एक पट्टा करार है, न कि व्यवसाय संचालित करने का करार है । डा. चंद्रचूड़ ने उल्लेख किया है कि उक्त करार को एक ओर तेजोदय डाइंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स (जिसे संक्षेप में टीडीपीडब्ल्यू कहा गया है) नामक एक भागीदार फर्म और दूसरी ओर पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स के मध्य निष्पादित किया गया था । उन्होंने यह दलील दी है कि स्वीकृत रूप से वादी सं. 3 और 4 उक्त टीडीपीडब्ल्यू के भागीदार हैं । तथ्य यह है कि तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार में प्रयुक्त भाषा और शब्दावली से यह स्पष्ट है कि यह एक पट्टा करार है । उन्होंने दलील दी कि प्रथमत: करार के शीर्षक से पता चलता है कि यह एक पट्टा करार है और करार के नियम और शर्तों में भी इसे पट्टा-करार निर्दिष्ट किया गया है । डा. चंद्रचूड़ ने बताया कि करार के पक्षकारों को पट्टाकर्ता और पट्टेदार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और संपत्ति के उपयोग के लिए आवधिक पट्टे की रकम को 'मासिक पट्टा रकम' निर्दिष्ट किया गया है । उन्होंने आगे दलील दी कि खंड 12 में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि पट्टेदार (ऊपर नामित प्रत्यर्थी) को, यदि संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर नहीं दी जाती है, तीन मास तक 'मासिक पट्टा रकम' का संदाय करेगा । करार को पूर्ण रूप से पढ़ने पर, शायद ही कोई मुश्किल से इस बात पर विवाद करे कि यह एक पट्टा करार है न कि कारबार-संचालन-करार । हालांकि अकेले किसी दस्तावेज का शीर्षक और पदनाम उसकी प्रकृति के लिए निश्चायक नहीं हो सकता है । डा. चंद्रचूड़ ने दलील दी कि इसका मजबूत आग्रह बल के रूप में मूल्य होगा । यह दलील दी गई कि उक्त करार को समग्र रूप से पढ़ने पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक पट्टा करार है । डा. चंद्रचूड़ के द्वारा इस तर्क की संयाचना की गई यदि ऐसा है, तो यह 2014 के आदेश का स्पष्ट अतिक्रमण है और इसलिए अंतरिम आवेदन में प्रार्थना के अनुसार अनुतोष देने के लिए यह एक उपयुक्त मामला होगा ।

6. जहां तक डा. चंद्रचूड़ की द्वितीय दलील का संबंध है, यदि यह मान लिया जाए कि पूर्वोक्त करार एक कारबार संचालित करने का करार

है तो उससे भी आदेश-2014 का अतिक्रमण होता है । उन्होंने दलील दी है कि उक्त आदेश के अधीन उनसे संबंधित भूखंडों अर्थात् वादी सं. 1 के स्वामित्व वाले भूखंड सं. 250/1 और प्रतिवादी सं. 1 के एच.यू.एफ. के स्वामित्व वाले भूखंड सं. 250/2 के संबंध में यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने का निदेश दिया गया है । उन्होंने दलील दी है कि 'यथापूर्व स्थिति' शब्द की परिधि बहुत व्यापक है और आदेश की तारीख के पश्चात् परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन या संपत्ति के अधिकारों और हित में किसी भी परिवर्तन या उस पर बनी किसी भी इमारत में किया गया बदलाव समाहित है । वर्तमान मामले में तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार के अनुसार वादियों द्वारा किसी तृतीय पक्ष को सम्मिलित करने से निश्चित रूप से यथापूर्व स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, भले ही कोई यह माने कि उक्त करार तो कारबार-संचालन-करार है । इसलिए थोड़ी देर के लिए यह मान लेने पर भी कि तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार को कारबार-संचालन-करार कहा जा सकता है, तब इससे भी आदेश-2014 का अतिक्रमण होगा, जिसमें पक्षकारों को यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने का निदेश दिया गया था ।

7. अपने इस तर्क को साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने के लिए कि 'यथापूर्व' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है और परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन या संपत्ति के अधिकारों और हित में किसी भी परिवर्तन को समाहित किया जा सकता है, डा. चंद्रचूड़ ने निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया :–

(1) **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] ;

(2) **नर्मदा माई खदान कामगार कारीगर सहकारी समिति और अन्य** बनाम **लक्ष्मीनारायण और अन्य**[2] ;

(3) **गुलाम अहमद दार और अन्य** बनाम **मुश्ताक अहमद शाह और अन्य**[3] ।

---

[1] (1987) सप्ली. एस. सी. सी. 284 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 127.

[2] (1988) 1 जे. एल. जे. 357.

[3] ए. आई. आर. 2006 जम्मू-कश्मीर 91.

8. पूर्वोक्त निर्णय का अवलंब लेते हुए डा. चंद्रचूड़ ने दलील दी कि वर्तमान मामले में वादियों के द्वारा तारीख 4 सितंबर, 2014 (संक्षिप्त में 2014 आदेश) की स्थिति को तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार में प्रवेश करके परिवर्तित कर दिया गया था और उपर्युक्त प्रतिवादी को भूखंड सं. 250/1 और 250/2 पर स्थित कारखाने के परिसर में प्रवेश करवा कर परिवर्तित कर दिया गया था । इसलिए डा. चंद्रचूड़ ने दलील दी कि यह यथापूर्व स्थिति के आदेश का स्पष्ट अतिक्रमण है ।

9. डा. चंद्रचूड़ ने दलील दी कि वादियों के द्वारा उठाया गया तर्क पूर्णतया एक भ्रम है कि टीडीपीडब्ल्यू एक भागीदार फर्म है और उपर्युक्त वाद में पक्षकार न होने के नाते वह 2019 के आदेश से बाध्य नहीं है उन्होंने दलील दी कि पूर्वोक्त तर्क दो कारणों से भ्रांतिकारी है । प्रथमतया उन्होंने दलील दी कि टीडीपीडब्ल्यू एक भागीदार फर्म होने के नाते उसका अपने भागीदारों से स्वतंत्र रहकर कोई अस्तित्व नहीं होगा जो 2014 के आदेश द्वारा आबद्ध हैं । उन्होंने दलील दी कि वादियों को उनकी भागीदार फर्म के माध्यम से कार्य करके आदेश-2014 को उलटने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती । द्वितीयत: डा. चंद्रचूड़ ने यह दलील दी कि वादियों ने (वादी सं. 3 और 4 सहित जो टीडीपीडब्ल्यू के भागीदार हैं) ने स्वयं भूखंड सं. 250/1 और 250/2 और उस पर बने कारखाने का निर्माण किया गया था जो कि वर्तमान वाद की विषयवस्तु है जिसके लिए उक्त परिसर से संबंधित अभिकथित मौखिक करार के विनिर्दिष्ट अनुपालन की ईप्सा की गई थी । अत: उन्होंने यह दलील दी कि यह पूर्णतया भ्रामक है कि केवल इस कारण से कि टीडीपीडब्ल्यू वाद का एक पक्षकार नहीं है, यथापूर्व स्थिति के आदेश का कोई अतिक्रमण नहीं होता है ।

10. डा. चंद्रचूड़ ने दलील दी कि वादी के द्वारा दिया गया यह तर्क कि कारखाने का परिसर, वाद में विवाद्यक नहीं था और इसलिए यथापूर्व स्थिति का आदेश कारखाने के परिसर को आच्छादित नहीं करता है, बल्कि केवल भूखंड सं. 250/1 और 250/2 को आच्छादित करता है

यह भी पूरी तरह से भ्रामक है । उन्होंने यह दलील दी कि यह तर्क भी निम्नलिखित कारणों से पूर्ण रूप से निराधार है । प्रथमतया उन्होंने दलील दी कि वादी के प्रकथनों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि कारखाना परिसर के साथ-साथ उक्त दो भूखंड भी अभिकथित मौखिक समझौते की विषयवस्तु हैं जिसके विनिर्दिष्ट अनुपालन की ईप्सा वादी करना चाहते हैं। द्वितीयत: यदि वादी के तर्क का तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जाए तब इस न्यायालय के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि भूखंड सं. 250/1 और भूखंड सं. 250/2 की बाबत यथापूर्व स्थिति का आदेश पारित किया जाए जिसका सीधा-साधा यह कारण है कि प्रतिवादियों ने, अपने लिखित कथन के पैरा (जी) में, यह प्रकथन किया है कि भूमि विवादों के संबंध में वादी सं. 1 और प्रतिवादी सं. 1 का अपने-अपने भूखंडों के आदान-प्रदान करना चाहते थे किन्तु वादी सं. 1 मुकर गया और संव्यवहार न हो सका । इस प्रकार, चूंकि करार निष्फल हो गया था इसलिए तकनीकी रूप से इस न्यायालय के पास भूखंड सं. 250/1 और 250/2 से संबंधित यथापूर्व स्थिति का आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं था । हालांकि, इस न्यायालय ने अपने आदेश में भूखंड सं. 250/1 और भूखंड सं. 250/2 के संबंध में पक्षकारों को यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने का निदेश देने का निर्णय लिया, जो डा. चंद्रचूड़ के अनुसार केवल भूमि को ही नहीं अपितु उस पर बने कारखाने को भी लागू होता है । इसलिए उन्होंने दलील दी कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए यह स्पष्ट था कि 2014 के आदेश का वादी के द्वारा जानबूझकर अतिक्रमण किया गया था और इसलिए उपरोक्त अंतरिम आवेदन को रिसीवर की नियुक्ति, कुर्की और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIV के नियम 11 के अधीन वाद खारिज करने रूपी अनुतोषों की मांग की गई है और वादियों को सिविल कारागार में एक अवधि के लिए जिसकी अवधि 3 माह से अधिक न हो, निरुद्ध किया जाना चाहिए ।

11. दूसरी ओर वादियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री कपाड़िया ने दलील दी कि यहां 2014 के आदेश का आत्यंतिक रूप से अतिक्रमण नहीं हुआ है । उन्होंने यह दलील दी कि

प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से यह दलील देना गलत है कि निम्नलिखित कारणों से 2014 के आदेश का अतिक्रमण किया गया है :–

(i) पक्षकारों को यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का निदेश देने वाले आदेश को उस न्यायालय के समक्ष यथापूर्व स्थिति का आदेश पारित करने वाले तथ्यों और विवाद्यकों के संदर्भ में पढ़ जाना चाहिए। यथापूर्व स्थिति का उक्त आदेश केवल पक्षकारों को उनसे संबंधित भूखंडों को अंतरित करने और/या उनसे संबंधित भूखंडों में किसी हित का सृजन करने से रोकता है और किसी भी प्रकार से कारखाने के परिसर को लागू नहीं होता है जो उक्त भूखंड सं. 250/1 और 250/2 पर बना हुआ है ।

(ii) स्वीकृततः टीडीपीडब्ल्यू (जिसमें वादी सं. 3 और 4 भागीदार हैं) को भूखंड सं. 250/1 के संबंध में वादी सं. 1 द्वारा और भूखंड सं. 250/2 के संबंध में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वर्ष 2014 से 99 वर्ष के लिए पट्टा दिया गया है । आनुषंगिक रूप से वादी सं. 3 और 4 वादी सं. 1 के पुत्र और प्रतिवादी सं. 1 और 7 के भतीजे हैं । टीडीपीडब्ल्यू 2004 से उक्त भूखंडों का निरंतर और अविरत उपभोग कर रहे हैं और उन्होंने उक्त भूखंडों पर संयंत्र और मशीनरी के साथ एक कारखाने का निर्माण किया है । अंतरिम आवेदन को प्रत्यर्थी अर्थात् पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स के स्वत्वधारी को तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार के अधीन केवल टीडीपीडब्ल्यू (जो वर्तमान वाद में और/या यथापूर्व स्थिति के आदेश में पक्षकार नहीं है) के द्वारा संचालन के आधार पर संयंत्र और मशीनरी के साथ कारखाने का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप यथास्थिति के आदेश का किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है ।

(iii) टीडीपीडब्ल्यू उपरोक्त वाद या 2011 के प्रस्ताव सूचना सं. 303 या आदेश-2014 में पक्षकार नहीं है । इन परिस्थितियों में यह उपधारित करने पर भी कि टीडीपीडब्ल्यू ने कारखाने के परिसर के संबंध में किसी अधिकार का सृजन किया है, इसे यथापूर्व स्थिति

के आदेश का अतिक्रमण नहीं कहा जहा सकता है, जो किसी भी स्थिति में केवल उपरोक्त दो भूखंडों 250/1 और 250/2 से संबंधित है और उस पर बने कारखाने से संबंधित नहीं है ।

12. अपनी दलील के समर्थन में श्री कपाड़िया ने निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया है :–

(1) **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] ;

(2) **एन. रमैया** बनाम **नागराज एस. और अन्य**[2] ;

(3) **सूरज रॉय** बनाम **लीला नाथ और अन्य**[3] ;

(4) **मदन मोहन साहू** बनाम **विजय कुमार साहू**[4] ;

(5) **इमेज डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड** बनाम **एन. सुभाष**[5] ;

13. अंत में श्री कपाड़िया ने दलील दी कि उपरोक्त अंतरिम आवेदन में ईप्सित किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय के आदेश में व्यतिक्रम किए जाने और/या अनुपालन न किए जाने के निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है और यह कि इस प्रकार का व्यतिक्रम या तो जानबूझकर या साशय किया गया है । अतिक्रमण की शिकायत करने वाला पक्षकार अधिकार स्वरूप, विपरीत पक्षकार द्वारा किए गए प्रत्येक अतिक्रमण के लिए, प्रस्तुत मामले में ईप्सित अनुतोषों की मांग नहीं कर सकता । न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर अपने विवेक से उचित निर्णय लेना चाहिए । उन्होंने दलील दी कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित **शमसुल हुदा और अन्य** बनाम **खैबर प्रोपर्टीज एंड इनवेस्टमेंट प्रा. लिमिटेड और अन्य**[6] वाले मामले में यह सुस्थापित रूप से तय किया जा

---

[1] (1987) सप्ली. एस. सी. सी. 284 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 127.

[2] ए. आई. आर. 2001 कर्नाटक 395.

[3] (2004) 3 गुवाहाटी ला रिपोर्ट्स 312.

[4] (2003) एस. सी. सी. ऑनलाइन उड़ीसा 176.

[5] (2000) एस. सी. सी. ऑनलाइन आंध्र प्रदेश 314.

[6] ए. आई. आर. 2004 मुम्बई 126.

चुका है । वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर उन्होंने दलील दी कि यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि यथापूर्व स्थिति के आदेश का किसी न किसी प्रकार से अतिक्रमण किया गया था तो भी इसे कभी भी जानबूझकर या साशय के साथ किया गया नहीं कहा जा सकता । इसलिए इस आधार पर भी श्री कपाड़िया ने दलील दी कि उपरोक्त अंतरिम आवेदन सारहीन है और उसे खर्चों सहित खारिज किया जाना चाहिए ।

14. मैंने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुना और अंतरिम आवेदन के साथ-साथ उपरोक्त वाद की कार्यवाही तथा दस्तावेजों का परिशीलन किया है । इस मुख्य दलील पर मुझे विचार करना है कि क्या तारीख 23 नवंबर, 2019 को टीडीपीडब्ल्यू और पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स के बीच किया गया करार इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 4 सितंबर, 2014 के यथापूर्व स्थिति के आदेश के अनुरूप है । विनिश्चित किए जाने हेतु द्वितीय प्रश्न यह है कि यदि आदेश-2014 का अतिक्रमण किया गया है तो क्या उक्त अतिक्रमण जानबूझकर साशय किया गया है ।

15. यह समझने और अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या यथापूर्व स्थिति के आदेश-2014 का अतिक्रमण हुआ है या नहीं, इस बात को मामले के तथ्यों और उस न्यायालय के समक्ष रखे गए विवाद्यकों के संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए जिसने यथापूर्व स्थिति का आदेश पारित किया था । इस संबंध में वादपत्र से कुछ दलीलों को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा । वादपत्र में वादियों का पक्षकथन यह है कि वे और प्रतिवादी संयुक्त रूप से विनिर्माण और/या विक्रय और/या विपणन कमीशन अभिकर्ता के रूप में अनेक कला रेशमी वस्त्र का कारबार पृथक्-पृथक् रूप से भागीदार और/या सांपत्तिक समुत्थान के माध्यम से सूरत और मुंबई में कर रहे थे । सूरत और मुंबई में स्थापित सांपत्तिक और भागीदार फर्मों का विवरण वादपत्र के प्रदर्श 'क' और 'ख' में दिया गया है । वादियों का मामला यह है कि मार्च, 2008 में मशरुवाला परिवार के सदस्यों (वादी सं. 1 से 6 और प्रतिवादी सं. 1 से

11) के द्वारा कौटुंबिक समझौता मौखिक रूप से निष्पादित किया गया था । इस कौटुंबिक समझौते में वादी का मामला यह है कि वादी सं. 1 और उसके गुट को अन्य बातों के साथ-साथ भूखंड सं. 250/2 प्राप्त करना था जो प्रतिवादी सं. 1/एन. यू. एफ. (जो उसका गुट हैं) के नाम पर था । इस प्रयोजन के लिए प्रतिवादी सं. 1 और उसके गुट को भूखंड सं. 250/2 के स्वामित्व को वादी सं. 1 के गुट को अंतरित करना था ।

16. उपरोक्त कौटुंबिक समझौते से बहुत पूर्व तारीख 20 जनवरी, 2004 को एक पट्टा विलेख (i) वादी सं. 1 द्वारा टीडीपीडब्ल्यू के पक्ष में भूखंड सं. 250/1 के संबंध में और (ii) प्रतिवादी सं. 1 और टीडीपीडब्ल्यू में भूखंड सं. 250/2 को 99 वर्षों के लिए अपने संबंधित भूखंडों के लिए निष्पादित किया गया था । इस पट्टे के अनुसरण में उक्त दो भूखंडों पर कारखाने का निर्माण टीडीपीडब्ल्यू द्वारा किया गया था ।

17. जब कोई टीडीपीडब्ल्यू और पद्मावती टेक्सटाइल के बीच तारीख 23 नवंबर, 2019 को निष्पादित करार जिसे पट्टा करार के रूप में अभिनामित किया गया है, का परिशीलन करता है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि करार एक ओर टीडीपीडब्ल्यू और दूसरी ओर पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स के स्वत्वधारी के बीच हुआ है । यह करार औद्योगिक प्रयोजन के लिए तारीख 15 दिसंबर, 2019 से तारीख 14 दिसंबर, 2024 तक 60 माह की अवधि के लिए किया गया था । उक्त करार की विषयवस्तु वह संपत्ति है जिसका वर्णन उसकी अनुसूची में किया गया है। हालांकि करार गुजराती भाषा में है, लेकिन मेरे समक्ष उक्त करार का प्राधिकृत अनुवाद प्रस्तुत किया गया है और यह अनुवाद मुख्य अनुवादक और निर्वाचक, मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है । उक्त करार की अनुसूची का प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है :–

"अनुसूची –

पट्टा करार में उल्लिखित संपत्ति का विवरण :

संपत्ति में केवल भवनों-संयंत्रों की संरचनाओं के साथ-साथ पूर्णत: विनिर्मित भवन, बॉयलर हाउस, ईटीपी संयंत्र, सभी मशीनरी,

कारखाना भवन के अन्दर स्थित समस्त उपकरण, पाइप लाइनें, जल मृदुकरण संयंत्र, भूमिगत जलाशय, जनरेटर, विद्युत घर और कार्यालय भवन तथा सूरत जिले के चोरयासी तालुका के सचिन क्षेत्र पर सचिन जीआईडीसी में सड़क सं. 2 पर स्थित लगभग 14500 वर्गमीटर माप के भूखंड सं. 250/1 और भूखंड सं. 250/2 की भूमि पर सभी मशीनरी संयंत्र आदि जो वर्तमान में प्रचालन में है या नहीं है किन्तु द्वितीय भाग के पक्षकार को सभी संपत्तियों के पट्टा अधिकारों को सौंपे बिना तेजोडे डाइंग एण्ड प्रिटिंगवर्क्स भागीदार फर्म को छोड़कर, समाविष्ट हैं ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

18. उपरोक्त करार से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि उपरोक्त करार को पट्टा करार कहा जाता है, तो भी भूखंड सं. 250/1 और भूखंड सं. 250/2 का पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स के पक्ष में कोई पट्टा नहीं किया गया है । पट्टा यदि था भी तो वह कारखाना भवन, बॉयलर हाउस, ईटीपी संयंत्र, सभी मशीनरी, कारखाना भवन के अन्दर स्थित समस्त उपकरण पाइप लाइनें, जल मृदुकरण संयंत्र, भूमिगत, जलाशय, जनरेटर, विद्युत घर और कार्यालय भवन के संबंध में है । जहां तक 2004 के पट्टे का संबंध हैं, (जो टीडीपीडब्ल्यू के पक्ष में उक्त भूखंडों के संबंध में वादी सं. 1 और प्रतिवादी सं. 2 द्वारा निष्पादित किया गया था), उसमें कोई विवाद नहीं है । प्रथमदृष्ट्या वादी सं. 1 और प्रतिवादी सं. 1 द्वारा टीडीपीडब्ल्यू के पक्ष में किए गए पट्टे के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं था जो कि भूखंड सं. 250/1 और भूखंड 250/2 के संबंध में था । इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि उक्त भूखंड टीडीपीडब्ल्यू एक के कब्जे में है और उसने उस पर बने कारखाने का निर्माण किया है और तब से उसका उस भूखंड पर विधिपूर्ण कब्जा है । दूसरे शब्दों में, टीडीपीडब्ल्यू द्वारा उक्त भूखंडों के कब्जे और उस पर कारखाने के कब्जे और उपयोग किए जाने के तथ्य के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं था । प्रथमदृष्ट्या पक्षकारों के बीच उक्त भूखंडों जो टीडीपीडब्ल्यू के कब्जे में थे, के स्वामित्व/हक के संबंध में यह विवाद था

कि क्या वादी भूखंड सं. 250/2 के स्वामित्व के हकदार हैं या नहीं जैसाकि उनके द्वारा मौखिक कौटुंबिक समझौते में अभिकथित किया गया था । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच विवाद भूखंड सं. 250/1 और 250/2 के स्वामित्व के संदर्भ में था । मेरी प्रथमदृष्ट्या राय है कि यह स्पष्ट है कि टीडीपीडब्ल्यू के द्वारा पद्मावती टेक्सटाइल मिल्स के साथ किया गया करार यथापूर्व स्थिति के आदेश के अनुरूप है और/यथापूर्व स्थिति के आदेश का अतिक्रमण नहीं करता है । यह स्पष्ट है क्योंकि यथापूर्व स्थिति के आदेश में ही यह अभिलिखित किया गया है कि "वादी सं. 1 से 4 एक ओर और प्रतिवादी सं. 1 से 4 दूसरी ओर अपने-अपने भूखंडों के संबंध में यथापूर्व स्थिति के आदेश को बनाए रखेंगे अर्थात् भूखंड सं. 250/1 वादी सं. 1 के स्वामित्वों और भूखंड सं. 250/2 प्रतिवादी सं. 1 के एच.यू.एफ. के स्वामित्व में ....." यदि कोई यथापूर्व स्थिति के आदेश को इस संदर्भ में पढ़े और चूंकि स्वीकृत रूप से पूर्वोक्त भूखंडों के संबंध में तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार में किसी भी अधिकार, हक या हित का सृजन नहीं किया गया था तो मेरे विचार से डा. चंद्रचूड़ की यह दलील ठीक नहीं है कि उक्त करार यथापूर्व स्थिति के आदेश अतिक्रमण है । इस तथ्य के अलावा टीडीपीडब्ल्यू वर्तमान वाद में पक्षकार भी नहीं है । यह सत्य है कि वादी सं. 3 और 4 टीडीपीडब्ल्यू के भागीदार हैं । हांलाकि मेरे विचार से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा । यथापूर्व स्थिति के आदेश द्वारा भागीदार फर्म को बाध्य करने के लिए उसे वाद का पक्षकार होना होगा और जिसके विरुद्ध यथापूर्व स्थिति का आदेश पारित करना होगा । प्रतिवादी सं. 1 से 4 का भी मामला यह नहीं है कि यथापूर्व स्थिति का आदेश टीडीपीडब्ल्यू के विरुद्ध पारित किया गया था । ऐसा मामला होने के नाते मुझे नहीं लगता कि वादी द्वारा तारीख 4 सितंबर, 2014 को इस न्यायालय द्वारा पारित यथापूर्व स्थिति के आदेश को किसी रूप से भंग किया गया है ।

19. अन्यथा भी, वर्तमान मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए, डा. चंद्रचूड़ की दलीलों को ठीक मानने पर भी यह निश्चित रूप से नहीं

कहा जा सकता है कि आदेश-2014 का अभिकथित भंग या तो जानबूझकर या साशय किया गया है । यथापूर्व स्थिति के आदेश पर वादी द्वारा किया गया निर्वचन निश्चित रूप से एक युक्तियुक्त निर्वचन है अर्थात् यथापूर्व स्थिति का आदेश केवल भूखंडों से संबंधित है न कि उस पर बने कारखाने के भवन से । एक बार जब ऐसा युक्तियुक्त निर्वचन किया गया है तो वहां अतिक्रमण किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है चाहे अतिक्रमण जानबूझकर किया गया हो या साशय । ऐसी स्थिति होने के कारण मेरा यह निष्कर्ष है कि आवेदन/प्रतिवादी सं. 1 से 4 उपरोक्त अंतरिम आवेदन में मांगे गए अंतरिम अनुतोष के हकदार नहीं है ।

20. मुझे यह निश्चित रूप से उल्लिखित करना चाहिए कि डा. चंद्रचूड़ ने मेरे द्वारा पूर्व में निर्धारित कई निर्णयों का अवलंब लिया है, विशेषकर यथापर्वू स्थिति के आदेश के विस्तार और सीमा के संबंध में । हांलाकि, किसी को भी यह अनदेखा नहीं करना चाहिए कि यथापूर्व स्थिति के आदेश को उस संदर्भ में समझना होगा जिस संदर्भ में इसे पारित किया गया था । निस्संदेह, अभिव्यक्ति "यथापूर्व स्थिति" अस्पष्टता दर्शाती है और कई बार यह संदेह और कठिनाई को जन्म देती है । मेरे विचार से, जब न्यायालय "यथापूर्व स्थिति" बनाए रखने का आदेश देता है तो इसका अर्थ है कि आदेश पारित करते समय जो स्थिति विद्यमान थी, उसे परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, इसके पश्चात्, यह प्रश्न सामने आता है कि क्या पक्षकार अवमानना का दोषी है और जानबूझकर उसने न्यायालय के यथापूर्व स्थिति के आदेश की उपेक्षा की है और इस प्रश्न पर विचार उस संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें आदेश पारित किया गया था । इसके अतिरिक्त यथापूर्व स्थिति के आदेश का विस्तार वह अर्थ लगाने और वह लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो आदेश में विनिर्दिष्ट रूप से कथित नहीं है । जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय द्वारा पारित यथापूर्व स्थिति का आदेश वादी सं. 1 के स्वामित्व वाले भूखंड सं. 250/1 और एच. यू. एफ. के प्रतिवादी सं. 1 के स्वामित्व वाले भूखंड सं. 250/2 के संबंध में था । टीडीपीडब्ल्यू और पद्मावती टेक्सटाइल

मिल्स द्वारा तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार के निष्पादन में मुझे नहीं लगता है कि पूर्वोक्त दो भूखंडों के संदर्भ में यथापूर्व की स्थिति के आदेश में किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया गया है । यह तारीख 23 नवंबर, 2019 के करार से ही पूरी तरह से स्पष्ट है कि भागीदार फर्म की भूमि अर्थात् टीडीपीडब्ल्यू की भूमि और जो पट्टे पर भूखंड सं. 250/1 और भूखंड सं. 250/2 के रूप में दी गई थी, का उल्लेख अनुसूची में नहीं है । ऐसी तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण मेरा यह निष्कर्ष है कि डा. चंद्रचूड़ द्वारा उद्धृत निर्णयों का अवलंब वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से उनकी सहायता नहीं कर सकता। जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है । प्रतिवादियों द्वारा उक्त आदेश का जो निर्वचन किया गया है वह किसी भी स्थिति में निश्चित रूप से एक युक्तियुक्त निर्वचन ही है । जब एक बार यह अभिनिर्धारित कर दिया गया है कि यह एक युक्तियुक्त निर्वचन है तो यह उपधारित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि वादियों ने 4 सितंबर, 2014 के इस न्यायालय के द्वारा पारित यथापूर्व स्थिति के आदेश का जानबूझकर अतिक्रमण किया है ।

21. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह निष्कर्ष है कि उपरोक्त अंतरिम आवेदन में कोई सार नहीं है । तद्नुसार यह खारिज किया जाता है । तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

22. यह आदेश इस न्यायालय के निजी सचिव/निजी सहायक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा । सभी संबंधित इस आदेश की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति को फैक्स या ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर कार्रवाई करेंगे ।

आवेदन खारिज किया गया ।

अम.

नागराजन

बनाम

अश्विन और एक अन्य

(2021 की सिविल प्रकीर्ण अपील सं. 748)

तारीख 10 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति टी. राजा और न्यायमूर्ति जी. चन्द्रशेखरन

हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (1956 का 32) – धारा 6 [सपठित संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 8] – हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक – अप्राप्तवयों की अभिरक्षा – अप्राप्तवय बच्चों के नाना द्वारा अभिरक्षा का दावा किया जाना – नाना द्वारा समृद्धि का सबूत न दिया जाना – अप्राप्तवयों के पिता के पास पर्याप्त साधनों का पाया जाना – प्रत्यर्थी-पिता अप्राप्तवय बच्चों का नैसर्गिक संरक्षक है और उसे ईटों के भट्टे से आमदनी होती है तथा उसके पास एक एकड़ भूमि भी है जबकि अपीलार्थी नाना ने अपनी आय साबित करने के लिए कोई भी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है अत: अप्राप्तवय बच्चों को उनके नैसर्गिक पिता की ही अभिरक्षा में दिया जा सकता है और निचले न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

यह विवाद अप्राप्तवय बच्चों के नाना और पिता के बीच है । नाना/अपीलार्थी का यह दावा है कि उसने अपनी पुत्री प्रियादर्शनी का विवाह तारीख 16 मार्च, 2011 को श्री जी. रजी के साथ किया था । इसके पश्चात् कुछ वर्षों तक वे एक साथ रहे और इस विवाह बंधन से दो पुत्रों ने जन्म लिया जिनमें बड़े पुत्र अश्विन का जन्म 5 दिसंबर, 2011 और छोटे पुत्र निशांत का जन्म 19 जुलाई, 2014 को हुआ और इसके पश्चात् तारीख 27 मार्च, 2016 को उसकी पुत्री प्रियादर्शनी ने आत्महत्या कर ली । अपनी पुत्री की मृत्यु के पश्चात् इस मामले में के

अपीलार्थी अपनी नातियों को अपने घर ले आया जिसके परिणामस्वरूप बच्चों के पिता ने अपने बच्चों को अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए कुटुम्ब न्यायालय कुडडालोर के समक्ष संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 8 के अधीन जी. ओ. पी. सं. 385/2018 के तहत अर्जी फाइल की जिसमें यह आधार लिया गया कि हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन नैसर्गिक माता/सगी मां की मृत्यु के पश्चात् बच्चों का पिता ही एकमात्र नैसर्गिक और विधिक संरक्षक रह जाता है और माता-पिता के बीच कोई विवाद होने पर भी उक्त अधिनियम की धारा 6(क) के अनुसार पिता को माता की अपेक्षा अधिक अधिकार है जो बच्चों को अपनी अभिरक्षा में ले सकता है परंतु यह तब हो सकता है जब बच्चों की आयु 5 वर्ष हो गई हो । इस मामले में के याची अर्थात् बच्चों के पिता का यह दावा है कि वह ईटों का एक भट्टा चलाता है जो उसकी आय का स्रोत है और इसके अतिरिक्त उसके पास 3 एकड़ भूमि भी है जिस पर वह अपना जीवन निर्वाह करता है और अंत में यह भी अभिवाक् किया गया है कि उसको अन्य संपत्तियों से भी आय प्राप्त होती है । उपरोक्त दलील का विरोध करते हुए इस मामले में के अपीलार्थी अर्थात् पिछले मामले में के प्रत्यर्थी ने प्रति-शपथपत्र भी फाइल किया है । संपूर्ण विचारण के पश्चात् विद्वान् कुटुंब न्यायालय, कुडडालोर के न्यायाधीश ने तारीख 1 अक्तूबर, 2019 को जीडब्ल्यूपी सं. 385/2018 में उस मामले में के अर्जीदार द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार डिक्री पारित की जिसमें अर्जीदार को बच्चों का नैसर्गिक संरक्षक घोषित किया और प्रत्यर्थी को यह निदेश दिया कि वह बच्चों को अर्जीदार की अभिरक्षा में 60 दिनों के भीतर सौंप दें । इस आदेश से व्यथित होकर वर्तमान सिविल प्रकीर्ण इस मामले में के अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख का मात्र परिशीलन करने से ही हमारे अनुसार बच्चों के पिता के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है । विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय, कुडडालोर के न्यायाधीश ने बच्चों के पिता पिछले मामले में के अर्जीदार के पक्ष में यह अभिनिर्धारित किया था कि वह विधि अनुसार

बच्चों का नैसर्गिक संरक्षक है और यह कि नैसर्गिक पिता को ईटों के भट्टे से आमदनी भी होती है और उसके पास तीन एकड़ भूमि भी है, किंतु यह पता नहीं चल पाया है कि बच्चों के पिता श्री रजी के श्वसुर अर्थात् अपीलार्थी ने कोई भी ऐसी सामग्री प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह दर्शित होता हो कि उसकी आमदनी बच्चों के पिता की आमदनी से अधिक है । वास्तव में इस मामले में के अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों में ऐसा एक भी अभिवाक् नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि उसको किसी स्वतंत्र स्रोत से आय प्राप्त होती थी और उसकी ओर से मात्र यह दावा किया गया है कि वह रीयल इस्टेट का कारबार करता है और इस संबंध में आयकर निर्धारण संबंधी ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वह वास्तव में रीयल इस्टेट का कारबार करता है । अत: हम अप्राप्तवय बच्चों को अपीलार्थी अर्थात् बच्चों के नाना की अभिरक्षा में देना उचित नहीं समझते हैं जिनके पास स्वयं अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई आय नहीं है । धारा 8 के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि कौन-कौन व्यक्ति अप्राप्तवय के संरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के आदेश हेतु आवेदन करने के हकदार हैं । निस्संदेह धारा 8 के अधीन यह उपबंध है कि अप्राप्तवय का संरक्षक बनने हेतु इच्छुक कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है । यहां तक कि गैर-भारतीय व्यक्ति भी किसी ऐसी असहाय बालिका को दत्तक के रूप में ग्रहण करने के लिए आवेदन कर सकता है जिसका कोई भी नैसर्गिक संरक्षक उपलब्ध न हो । हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि बालक या अविवाहित कन्या के मामले में हिन्दू अप्राप्तवय का नैसर्गिक पिता है और उसके पश्चात् उसकी माता है, परन्तु यदि उस अप्राप्तवय व्यक्ति की आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं है तब ऐसी स्थिति में उसकी अभिरक्षा सामान्य रूप से उसकी माता को दी जाएगी । स्वीकृतत:, वर्तमान मामले में अप्राप्तवय प्रत्यर्थियों की माता की मृत्यु 27 मार्च, 2016 को हो गई थी । अत: हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(क) के आधार पर नैसर्गिक पिता का

श्वसुर अर्थात् इस मामले में के अपीलार्थी को नैसर्गिक पिता के विरुद्ध इस मुद्दे को लेकर किसी भी प्रकार से सुने जाने का अधिकार नहीं है कि अपीलार्थी अप्राप्तवय बच्चों का नैसर्गिक संरक्षक है । अतः, हमारा यह निष्कर्ष है कि विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय, कुडडालोर द्वारा जी.ओ.पी. सं. 385/2018 में पारित तारीख 1 अक्तूबर, 2019 के निष्पक्ष और डिक्रीत आदेश में किसी प्रकार की कोई भी कमी या त्रुटि नहीं है, इसलिए हम वर्तमान सिविल प्रकीर्ण अपील की सुनवाई किए जाने के आनत नहीं हैं । (पैरा 7, 9 और 10)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2021 की सिविल प्रकीर्ण अपील सं. 748.

2018 की जी. ओ. पी. सं. 385 में तारीख 1 अक्तूबर, 2019 को विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कुडडालोर द्वारा पारित निष्पक्ष और डिक्रीत आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री डी. भास्कर

प्रत्यर्थी की ओर से कोई नहीं

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति टी. राजा ने दिया ।

न्या. राजा – यह सिविल प्रकीर्ण अपील 2018 की जी. ओ. पी. सं. 385 में तारीख 1 अक्तूबर, 2019 को विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कुडडालोर द्वारा पारित उस निष्पक्ष और डिक्रीत आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा यह घोषणा की गई कि इस मामले में के अप्राप्तवय प्रत्यर्थियों के पिता अर्थात् श्री जी. राजी उक्त अप्राप्तवयों के नैसर्गिक संरक्षक हैं और इस मामले में के अपीलार्थी अर्थात् पूर्ववर्ती मामले में के प्रत्यर्थी को यह निदेश दिया गया था कि वह अप्राप्तवय पौत्रों/पौत्रियों को उनके नैसर्गिक संरक्षक अर्थात् इस मामले में के प्रत्यर्थियों के पिता की अभिरक्षा में सौंप दें ।

2. यह मामला आज सुनवाई हेतु ग्रहण किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया था ।

3. यह विवाद अप्राप्तवय बच्चों के नाना और पिता के बीच है । नाना/अपीलार्थी का यह दावा है कि उसने अपनी पुत्री प्रियादर्शनी का विवाह तारीख 16 मार्च, 2011 को श्री जी. राजी के साथ किया था । इसके पश्चात् कुछ वर्षों तक वे एक साथ रहे और इस विवाह बंधन से दो पुत्रों ने जन्म लिया जिनमें बड़े पुत्र अश्विन का जन्म 5 दिसंबर, 2011 और छोटे पुत्र निशांत का जन्म 19 जुलाई, 2014 को हुआ और इसके पश्चात् तारीख 27 मार्च, 2016 को उसकी पुत्री प्रियादर्शनी ने आत्महत्या कर ली । अपनी पुत्री की मृत्यु के पश्चात् इस मामले में के अपीलार्थी अपनी नातियों को अपने घर ले आया जिसके परिणामस्वरूप बच्चों के पिता ने अपने बच्चों को अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए कुटुम्ब न्यायालय कुडडालोर के समक्ष संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 8 के अधीन जी. ओ. पी. सं. 385/2018 के तहत अर्जी फाइल की जिसमें यह आधार लिया गया कि हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन नैसर्गिक माता/सगी मां की मृत्यु के पश्चात् बच्चों का पिता ही एकमात्र नैसर्गिक और विधिक संरक्षक रह जाता है और माता-पिता के बीच कोई विवाद होने पर भी उक्त अधिनियम की धारा 6(क) के अनुसार पिता को माता की अपेक्षा अधिक अधिकार है जो बच्चों को अपनी अभिरक्षा में ले सकता है परंतु यह तब हो सकता है जब बच्चों की आयु 5 वर्ष हो गई हो । इस मामले में के याची अर्थात् बच्चों के पिता का यह दावा है कि वह ईटों का एक भट्टा चलाता है जो उसकी आय का स्रोत है और इसके अतिरिक्त उसके पास 3 एकड़ भूमि भी है जिस पर वह अपना जीवन निर्वाह करता है और अंत में यह भी अभिवाक् किया गया है कि उसको अन्य संपत्तियों से भी आय प्राप्त होती है ।

4. उपरोक्त दलील का विरोध करते हुए इस मामले में के अपीलार्थी अर्थात् पिछले मामले में के प्रत्यर्थी ने प्रति-शपथपत्र भी फाइल किया है ।

5. संपूर्ण विचारण के पश्चात् विद्वान् कुटुंब न्यायालय, कुडडालोर के न्यायाधीश ने तारीख 1 अक्तूबर, 2019 को जीडब्ल्यूपी सं. 385/2018

में उस मामले में के अर्जीदार द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार डिक्री पारित की जिसमें अर्जीदार को बच्चों का नैसर्गिक संरक्षक घोषित किया और प्रत्यर्थी को यह निदेश दिया कि वह बच्चों को अर्जीदार की अभिरक्षा में 60 दिनों के भीतर सौंप दें । इस आदेश से व्यथित होकर वर्तमान सिविल प्रकीर्ण इस मामले में के अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई है ।

6. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि भू-स्वामी होने के नाते अपीलार्थी की अत्यधिक आमदनी है जिसके आधार पर वह बच्चों को शिक्षा दिला सकेगा और उनका जीवन सुखी बना सकेगा । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है और यह कि बच्चे वर्तमान रूप से अपने नाना अर्थात् इस मामले में के अपीलार्थी के साथ रह रहे हैं, अत: विद्वान् कुटुंब न्यायालय ने इस मामले में के अपीलार्थी के विरुद्ध इस विवाद को विनिश्चित करने में गलती की है जो कि बच्चों की इच्छा के विरुद्ध है । अतः, आक्षेपित डिक्रीत आदेश खारिज किए जाने योग्य है ।

7. अभिलेख का मात्र परिशीलन करने से ही हमारे अनुसार बच्चों के पिता के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बनता है । विद्वान् कुटुंब न्यायालय, कुडडालोर के न्यायाधीश ने बच्चों के पिता पिछले मामले में के अर्जीदार के पक्ष में यह अभिनिर्धारित किया था कि वह विधि अनुसार बच्चों का नैसर्गिक संरक्षक है और यह कि नैसर्गिक पिता को ईटों के भट्टे से आमदनी भी होती है और उसके पास तीन एकड़ भूमि भी है, किंतु यह पता नहीं चल पाया है कि बच्चों के पिता श्री रजी के श्वसुर अर्थात् अपीलार्थी ने कोई भी ऐसी सामग्री प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह दर्शित होता हो कि उसकी आमदनी बच्चों के पिता की आमदनी से अधिक है । वास्तव में इस मामले में के अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों में ऐसा एक भी अभिवाक् नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि उसको किसी स्वतंत्र स्रोत से आय प्राप्त होती थी और उसकी ओर से मात्र यह दावा किया गया है कि वह रीयल इस्टेट

का कारबार करता है और इस संबंध में आयकर निर्धारण संबंधी ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वह वास्तव में रीयल इस्टेट का कारबार करता है । अत: हम अप्राप्तवय बच्चों को अपीलार्थी अर्थात् बच्चों के नाना की अभिरक्षा में देना उचित नहीं समझते हैं जिनके पास स्वयं अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई आय नहीं है ।

8. इस संबंध में हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि बालक या अविवाहित कन्या के मामले में पिता उस अप्राप्तवय का नैसर्गिक पिता होगा । इसका सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :–

> "6. **हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक** – हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्तवय शरीर के बारे में और (अविभक्त कुटुम्ब की संपत्ति में उसके अविभक्त हित को छोड़कर) उसकी सम्पत्ति के बारे में भी, निम्निलिखित है –
>
> (क) किसी लड़के या अविवाहिता लड़की की दशा में – पिता और उसके पश्चात् माता : परंतु जिस अप्राप्तवय में 5 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी ;
>
> (ख) अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहिता लड़की की दशा में – माता और उसके पश्चात् पिता ;
>
> (ग) विवाहिता लड़की की दशा में – पति :
>
> परंतु कोई भी व्यक्ति यदि –
>
> (क) वह हिन्दू नहीं रह गया है ; या
>
> (ख) वह वानप्रस्थ या यति या सन्यासी होकर संसार को पूर्णत: और अंतिम रूप से त्याग चुका है, तो इस धारा के उपबंधों के अधीन अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार न होगा ।
>
> **स्पष्टीकरण** – इस धारा में "पिता" और "माता" पदों के अन्तर्गत सौतेला पिता और सौतेली माता नहीं आते ।"

उपरोक्त धारा का सरसरी तौर पर पठन करने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में पिता नैसर्गिक संरक्षक होगा ।

9. इसी प्रकार संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 8 नीचे उद्धृत की जा रही है :–

"8. **आदेश के लिए आवेदन करने के हकदार व्यक्ति** – अंतिम पूर्वगामी धारा के अधीन कोई आदेश निम्नलिखित के आवेदन पर किए जाने के सिवाय न किया जाएगा –

(क) अप्राप्तवय का संरक्षक बनने के लिए वांछा या होने का दावा करने वाला व्यक्ति, अथवा

(ख) अप्राप्तवय का कोई भी नातेदार या मित्र, अथवा

(ग) उस जिले या अन्य स्थानीय कलक्टर जिसके भीतर अप्राप्तवय मामूली तौर से निवास करता है या जिसमें उसकी संपत्ति है, अथवा

(घ) जिस वर्ग का अप्राप्तवय है, उसके बारे में प्राधिकार रखने वाला कलक्टर ।"

धारा 8 के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि कौन-कौन व्यक्ति अप्राप्तवय के संरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के आदेश हेतु आवेदन करने के हकदार हैं । निस्संदेह धारा 8 के अधीन यह उपबंध है कि अप्राप्तवय का संरक्षक बनने हेतु इच्छुक कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है । यहां तक कि गैर-भारतीय व्यक्ति भी किसी ऐसी असहाय बालिका को दत्तक के रूप में ग्रहण करने के लिए आवेदन कर सकता है जिसका कोई भी नैसर्गिक संरक्षक उपलब्ध न हो । हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि बालक या अविवाहित कन्या के मामले में हिन्दू अप्राप्तवय का नैसर्गिक पिता है और उसके पश्चात् उसकी माता है, परन्तु यदि उस अप्राप्तवय व्यक्ति की आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं है तब ऐसी स्थिति में उसकी अभिरक्षा सामान्य रूप से उसकी माता को दी जाएगी ।

10. स्वीकृतत:, वर्तमान मामले में अप्राप्तवय प्रत्यर्थियों की माता की मृत्यु 27 मार्च, 2016 को हो गई थी । अत: हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(क) के आधार पर नैसर्गिक पिता का श्वसुर अर्थात् इस मामले में के अपीलार्थी को नैसर्गिक पिता के विरुद्ध इस मुद्दे को लेकर किसी भी प्रकार से सुने जाने का अधिकार नहीं है कि अपीलार्थी अप्राप्तवय बच्चों का नैसर्गिक संरक्षक है । अत:, हमारा यह निष्कर्ष है कि विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय, कुडडालोर द्वारा जी. ओ. पी. सं. 385/2018 में पारित तारीख 1 अक्तूबर, 2019 के निष्पक्ष और डिक्रीत आदेश में किसी प्रकार की कोई भी कमी या त्रुटि नहीं है, इसलिए हम वर्तमान सिविल प्रकीर्ण अपील की सुनवाई किए जाने के आनत नहीं हैं ।

11. परिणामत: सिविल प्रकीर्ण अपील निष्फल होती है और यह सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने के प्रक्रम पर ही खारिज की जाती है और जी. ओ. पी. सं. 385/2018 में पारित किए गए विद्वान् कुटुंब न्यायालय, कुडडालोर के तारीख 1 अक्तूबर, 2019 के निष्पक्ष और डिक्रीत आदेश की पुष्टि की जाती है और अपीलार्थी को यह निदेश जारी किया जाता है कि अप्राप्तवय बच्चों अर्थात् प्रत्यर्थियों को उनके पिता अर्थात् नैसर्गिक संरक्षक श्री जी. रजी की अभिरक्षा में आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर सौंपेंगे । खर्चों के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है । परिणामस्वरूप इस अपील से संबंद्ध प्रकीर्ण अर्जी भी बंद की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

अन्नपूर्णी

बनाम

रीतेश

(2021 की सिविल पुनरीक्षण याचिका सं. 106)

तारीख 16 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति वी. भवानी सुब्बारोयन

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) – धारा 12(1)(क) – विवाह का शून्यकरण – पति द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि पत्नी ने विवाहोत्तर संभोग में सहयोग नहीं किया है – पत्नी का पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिन्ड्रोम (अंडाशय-विकार) से ग्रसित पाया जाना – याची-पत्नी के अंडाशय विकार से ग्रसित होने के कारण उसका मासिकधर्म अनियमित रहता है और वह संभोग में सहयोग नहीं कर पाती है और इस संबंध में पत्नी द्वारा खंडन भी नहीं किया गया है और विवाह का अर्थ पुरुष और महिला के बीच बंधन जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है अपितु एक-दूसरे के प्रति जीवनरक्षा के भाव को अगली संतानों तक बनाए रखना है, अत: पत्नी की पुनरीक्षण याचिका मंजूर नहीं की जा सकती ।

वर्तमान सिविल पुनरीक्षण याचिका, उक्त कुटुंब न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी-पति द्वारा फाइल की गई 2019 की मूल अर्जी सं. 4784 के विरुद्ध, पत्नी द्वारा फाइल की गई है । प्रत्यर्थी-पति ने याची-पत्नी के विरुद्ध इस आधार पर कुटुंब न्यायालय के समक्ष मूल अर्जी फाइल की थी कि प्रत्यर्थी-पत्नी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिन्ड्रोम (एक प्रकार का अंडाशय-विकार जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में पी. सी. ओ. एस. कहा गया है) से पीड़ित है और प्रत्यर्थी-पत्नी संभोग करने अथवा द्वारा संतान को जन्म देने के सक्षम नहीं है । इसके अतिरिक्त पति ने पत्नी के विरुद्ध अन्य मुद्दे भी उठाए हैं जिनमें से एक यह भी है कि यह

घोषणा की जाए कि तारीख 1 जुलाई, 2018 को जो विवाह हुआ था और तत्पश्चात् उसका पंजीकरण (2018 की क्रम सं. 95), विवाह रजिस्ट्रार, संयुक्त-II, सैदापेट, चेन्नई-15 के समक्ष किया गया था, अकृत और शून्य है । इस याचिका के फाइल किए जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी-पति ने 2020 का अंतरिम आवेदन सं. 1 भी फाइल किया जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 12(1)(क) और 12(1)(ग) के सम्मिलित किए जाने हेतु संशोधन की ईप्सा की गई । उक्त आवेदन कुटुंब न्यायालय के समक्ष संशोधन हेतु विनिश्चित किए जाने के लिए लंबित है । याची की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री एस. पी. आरती ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी-पति द्वारा कुटुंब न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अर्जी कायम नहीं रखी जा सकती क्योंकि इसमें विधि की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(क) के अधीन कुटुंब न्यायालय के समक्ष जिन तथ्यों का अभिवाक् किया गया है वे चलने योग्य नहीं हैं और वे सीधे ही खारिज किए जाने चाहिएं । उक्त काउंसेल द्वारा दी गई दलील का मुख्य उद्देश्य यह है कि पी. सी. ओ. एस.-विकार अंत:स्रावी तंत्र का विकार है जो महिलाओं की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है और नपुंसकता से पूर्णतया भिन्न है । प्रत्यर्थी-पति ने धारा 12(1)(क) के अधीन अर्जी इस आधार पर फाइल की थी कि अर्जीदार-पत्नी संतानोत्पत्ती के लिए अक्षम है, इसलिए प्रत्यर्थी-पति ने यह भी दावा किया है कि उपरोक्त विकार नपुंसकता ही है और इस आधार पर याची और प्रत्यर्थी के बीच तारीख 1 जुलाई, 2018 को हुआ विवाह शून्य और अकृत घोषित किया जाए । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – कुटुंब न्यायालय, चेन्नई के समक्ष फाइल की गई उक्त अर्जी का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी-पति ने पी. सी. ओ. एस. की बीमारी, जिसे उसने विवाह-विच्छेद का मूल आधार माना है, के अतिरिक्त अनेक तथ्यों का भी वर्णन किया है । यह भी देखा गया है कि प्रत्यर्थी-पति ने स्पष्ट रूप से यह

अभिकथन किया है कि याची-पत्नी पी. एस. ओ. एस. से पीड़ित है जिसके कारण उसका मासिक धर्म 25 दिन से भी अधिक समय तक चलता है और यौवनारंभ के समय से ही इलाज चल रहा है । पी. सी. ओ. एस. का विकार, जो अनेक आदतों, जैसे मानसिक तनाव, प्रदूषित वातावरण और विशिष्ट वैयक्तिक शारीरिक दशा, के कारण आज की महिलाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है । पी. सी. ओ. एस. जैसे विकार को नपुंसकता नहीं कहा जा सकता । अनेक शारीरिक और मानसिक कारणों के आधार पर नपुंसकता और बच्चे को जन्म देने के योग्य न होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं । प्रत्यर्थी-पति द्वारा फाइल की गई अर्जी में किए गए संपूर्ण अभिवाकों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने यह अभिवाक् नहीं किया है कि उसकी पत्नी का बच्चे को जन्म न देना नपुंसकता की कोटि में आता है बल्कि उसने इस आधार पर विवाह को अकृत ठहराने की ईप्सा की है कि उसके और पत्नी के बीच संभोग नहीं हुआ था और पत्नी गर्भवती नहीं हो सकी । वास्तव में उसने यह भी अभिवाक् किया है कि चूंकि उसकी पत्नी लगभग 25 दिनों से मासिक धर्म से गुजर रही थी इसलिए उसने अपने स्वास्थ्य को दृष्टिगत करते हुए सहवास में सहयोग नहीं किया । विवाह का अर्थ पुरुष और महिला के बीच एक बंधन होने के नाते यह केवल जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है अपितु एक-दूसरे के प्रति जीवन रक्षा के भाव को अगली संतानों तक बनाए रखना है । यह बंधन एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से हम शताब्दियों से इस संसार में जीवन-यापन करते चले आ रहे हैं । तथापि, वर्तमान युग में विवाह का अर्थ अत्यंत साधारण रूप में लिया जाता है और तुच्छ मुद्दों को लेकर भी विवाह-विच्छेद हेतु आवेदन फाइल किए जाते हैं और परिणामस्वरूप विवाह-बंधन टूट जाता है । यही कारण है कि कुटुंब न्यायालयों की संख्या ऐसे असहिष्णु दम्पत्तियों की इच्छा पूर्ति हेतु बढ़ रही है जो विवाह का अर्थ समझते ही नहीं हैं और ऐसे छोटे-मोटे कारणों से विवाह-बंधन टूट जाता है जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते । जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, संपूर्ण अभिवाक् का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी-पति ने अपनी

पत्नी के प्रति, जो इस मामले में याची है, एक शब्द भी इस संबंध में नहीं कहा है कि उसकी पत्नी नपुंसक है । किंतु उसने कुटुंब न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से इस आधार पर आवेदन किया है कि उसकी पत्नी अर्थात् इस मामले में की याची दो कारणों से गर्भ धारण नहीं कर सकती जिनमें पहला यह है कि उनके बीच संभोग नहीं हो सका है और दूसरा यह कि उसकी पत्नी पी. सी. ओ. एस. विकार से ग्रसित है जिसके कारण मासिक रजोधर्म अनियमित रहता है । मामले के इस प्रक्रम पर याची-पत्नी ने वर्तमान सिविल रिट याचिका फाइल की है और उसने पति के उक्त अभिकथन के प्रत्युत्तर में कोई भी कथन फाइल नहीं किया है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 का अवलंब लिए जाने के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षीय अधिकारिता दी गई है और बहुत-से मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि जब तुच्छ तथ्यों के आधार पर वाद फाइल किया जाता है और विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तब न्यायालय अपनी शक्तियों का विस्तार कर सकता है और यदि वादपत्र का पठन करने से ही विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है, तब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है । इस न्यायालय की पर्यवेक्षीय अधिकारिता का अवलंब केवल तब लिया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारित की गई त्रुटि पूर्णत: स्पष्ट हो और याची की काउंसेल द्वारा दी गई उक्त दलील इसके अंतर्गत नहीं आती है और अनुच्छेद 227 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जा सकता कि प्रत्यर्थी-पति ने याची की विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील से भिन्न अभिवाक् करते हुए अपनी पत्नी की नपुंसकता के संबंध में कोई भी अभिकथन नहीं किया है । पति की यह धर्मज प्रत्याशा है कि वह अपनी पत्नी के साथ रहे और सहवास करे तथा संतान की उत्पत्ति करे और यदि दोनों में से किसी भी दम्पत्ति में शारीरिक अथवा मानसिक रोग के कारण यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, तब यह न्यायोचित होगा कि दोनों में से कोई भी पक्षकार इन कारणों के आधार पर न्यायालय के समक्ष विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन करे । कुछ ऐसे

मामलों को छोड़कर जिनमें दम्पत्ति एक-दूसरे को भली-भांति समझते हैं और नि:संतान होने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वे दत्तक ग्रहण का सहारा ले सकते हैं यद्यपि दोनों में से किसी भी एक दम्पत्ति को यह साबित करना होगा कि वह बच्चे को जन्म देने में अक्षम है । किंतु वर्तमान मामले में याची यह प्रकट करने की स्थिति में नहीं है कि प्रत्यर्थी-पति द्वारा फाइल की गई अर्जी में जो प्रकथन किए गए थे उनसे कोई भी वाद हेतु नहीं बनता है या यह कि पति द्वारा फाइल की गई अर्जी में जो प्रकथन किए गए हैं वे नैसर्गिक नहीं हैं और अवास्तविक हैं । (पैरा 7, 8, 9, 10, 11 और 12)

पुनरीक्षण (सिविल) अधिकारिता : 2021 की सिविल पुनरीक्षण याचिका सं. 106.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन सिविल पुनरीक्षण याचिका ।

याची की ओर से सुश्री एस. पी. आरती

प्रत्यर्थी की ओर से कोई नहीं

आदेश

वर्तमान सिविल पुनरीक्षण याचिका भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन इस प्रार्थना के साथ फाइल की गई है कि तृतीय अपर कुटुंब न्यायालय, चेन्नई के समक्ष फाइल की गई 2019 की मूल अर्जी सं. 4784 इस आधार पर खारिज की जाए कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(क) का अवलंब कई कारणों से नहीं लिया जा सकता ।

2. वर्तमान सिविल पुनरीक्षण याचिका, उक्त कुटुंब न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी-पति द्वारा फाइल की गई 2019 की मूल अर्जी सं. 4784 के विरुद्ध, पत्नी द्वारा फाइल की गई है । प्रत्यर्थी-पति ने याची-पत्नी के विरुद्ध इस आधार पर कुटुंब न्यायालय के समक्ष मूल अर्जी फाइल की थी कि प्रत्यर्थी-पत्नी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिन्ड्रोम (एक प्रकार का अंडाशय-विकार जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में पी. सी. ओ. एस.

कहा गया है) से पीड़ित है और प्रत्यर्थी-पत्नी संभोग करने अथवा द्वारा संतान को जन्म देने के सक्षम नहीं है । इसके अतिरिक्त पति ने पत्नी के विरुद्ध अन्य मुद्दे भी उठाए हैं जिनमें से एक यह भी है कि यह घोषणा की जाए कि तारीख 1 जुलाई, 2018 को जो विवाह हुआ था और तत्पश्चात् उसका पंजीकरण (2018 की क्रम सं. 95), विवाह रजिस्ट्रार, संयुक्त-II, सैदापेट, चेन्नई-15 के समक्ष किया गया था, अकृत और शून्य है । इस याचिका के फाइल किए जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी-पति ने 2020 का अंतरिम आवेदन सं. 1 भी फाइल किया जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 12(1)(क) और 12(1)(ग) के सम्मिलित किए जाने हेतु संशोधन की ईप्सा की गई । उक्त आवेदन कुटुंब न्यायालय के समक्ष संशोधन हेतु विनिश्चित किए जाने के लिए लंबित है ।

3. याची की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री एस. पी. आरती ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी-पति द्वारा कुटुंब न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अर्जी कायम नहीं रखी जा सकती क्योंकि इसमें विधि की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(क) के अधीन कुटुंब न्यायालय के समक्ष जिन तथ्यों का अभिवाक् किया गया है वे चलने योग्य नहीं हैं और वे सीधे ही खारिज किए जाने चाहिएं । उक्त काउंसेल द्वारा दी गई दलील का मुख्य उद्देश्य यह है कि पी. सी. ओ. एस.-विकार अंतःस्रावी तंत्र का विकार है जो महिलाओं की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है और नपुंसकता से पूर्णतया भिन्न है । प्रत्यर्थी-पति ने धारा 12(1)(क) के अधीन अर्जी इस आधार पर फाइल की थी कि अर्जीदार-पत्नी संतानोत्पत्ती के लिए अक्षम है, इसलिए प्रत्यर्थी-पति ने यह भी दावा किया है कि उपरोक्त विकार नपुंसकता ही है और इस आधार पर याची और प्रत्यर्थी के बीच तारीख 1 जुलाई, 2018 को हुआ विवाह शून्य और अकृत घोषित किया जाए ।

4. याची की विद्वान् काउंसेल के अनुसार प्रत्यर्थी-पति द्वारा किया गया उक्त दावा पूर्णतया अनुचित है और याची-पत्नी के विरुद्ध नपुंसकता

जैसे शब्द का प्रयोग किया जाना भी उचित नहीं है और इस आधार पर याची पत्नी की ओर से यह प्रार्थना की गई है कि 2019 की मूल अर्जी सं. 4748 में प्रत्यर्थी-पति द्वारा फाइल किया गया संशोधन-आवेदन खारिज किया जाए ।

5. याची की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल की सुनवाई की गई है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया है ।

6. यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में की याची ने संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अर्जी खारिज किए जाने की ईप्सा करते हुए इस न्यायालय के समक्ष निवेदन उन्हीं तथ्यों को अभिकथित करते हुए किया है जो कुटुंब न्यायालय, चेन्नई के समक्ष मूल अर्जी सं. 4784 में अभिकथित किए थे । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दावा किया है कि याची-पत्नी का विवाह प्रत्यर्थी-पति के साथ तारीख 1 जुलाई, 2018 को हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार दोनों पक्षों के माता-पिता और परिवार के अन्य बुजुर्गों की सहमति और शुभकामनाओं के साथ हुआ था । तथापि, उक्त विवाह याची-पत्नी की इस अभिकथित शारीरिक दशा के कारण अधिक समय तक कायम नहीं रह सका कि वह पी. सी. ओ. एस. नामक विकार से ग्रसित होने के कारण बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी जिसके संबंध में पति द्वारा अभिकथन किया गया था ।

7. कुटुंब न्यायालय, चेन्नई के समक्ष फाइल की गई उक्त अर्जी का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी-पति ने पी. सी. ओ. एस. की बीमारी, जिसे उसने विवाह-विच्छेद का मूल आधार माना है, के अतिरिक्त अनेक तथ्यों का भी वर्णन किया है । यह भी देखा गया है कि प्रत्यर्थी-पति ने स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि याची-पत्नी पी. एस. ओ. एस. से पीड़ित है जिसके कारण उसका मासिक धर्म 25 दिन से भी अधिक समय तक चलता है और यौवनारंभ के समय से ही इलाज चल रहा है ।

8. पी. सी. ओ. एस. का विकार, जो अनेक आदतों, जैसे मानसिक तनाव, प्रदूषित वातावरण और विशिष्ट वैयक्तिक शारीरिक दशा, के

कारण आज की महिलाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है । पी. सी. ओ. एस. जैसे विकार को नपुंसकता नहीं कहा जा सकता । अनेक शारीरिक और मानसिक कारणों के आधार पर नपुंसकता और बच्चे को जन्म देने के योग्य न होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं ।

9. प्रत्यर्थी-पति द्वारा फाइल की गई अर्जी में किए गए संपूर्ण अभिवाकों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने यह अभिवाक् नहीं किया है कि उसकी पत्नी का बच्चे को जन्म न देना नपुंसकता की कोटि में आता है बल्कि उसने इस आधार पर विवाह को अकृत ठहराने की ईप्सा की है कि उसके और पत्नी के बीच संभोग नहीं हुआ था और पत्नी गर्भवती नहीं हो सकी । वास्तव में उसने यह भी अभिवाक् किया है कि चूंकि उसकी पत्नी लगभग 25 दिनों से मासिक धर्म से गुजर रही थी इसलिए उसने अपने स्वास्थ्य को दृष्टिगत करते हुए सहवास में सहयोग नहीं किया । विवाह का अर्थ पुरुष और महिला के बीच एक बंधन होने के नाते यह केवल जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है अपितु एक-दूसरे के प्रति जीवन रक्षा के भाव को अगली संतानों तक बनाए रखना है । यह बंधन एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से हम शताब्दियों से इस संसार में जीवन-यापन करते चले आ रहे हैं । तथापि, वर्तमान युग में विवाह का अर्थ अत्यंत साधारण रूप में लिया जाता है और तुच्छ मुद्दों को लेकर भी विवाह-विच्छेद हेतु आवेदन फाइल किए जाते हैं और परिणामस्वरूप विवाह-बंधन टूट जाता है । यही कारण है कि कुटुंब न्यायालयों की संख्या ऐसे असहिष्णु दम्पत्तियों की इच्छा पूर्ति हेतु बढ़ रही है जो विवाह का अर्थ समझते ही नहीं हैं और ऐसे छोटे-मोटे कारणों से विवाह-बंधन टूट जाता है जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते ।

10. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, संपूर्ण अभिवाक् का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी-पति ने अपनी पत्नी के प्रति, जो इस मामले में याची है, एक शब्द भी इस संबंध में नहीं कहा है कि उसकी पत्नी नपुंसक है । किंतु उसने कुटुंब न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से इस आधार पर आवेदन किया है कि उसकी पत्नी

अर्थात् इस मामले में की याची दो कारणों से गर्भ धारण नहीं कर सकती जिनमें पहला यह है कि उनके बीच संभोग नहीं हो सका है और दूसरा यह कि उसकी पत्नी पी. सी. ओ. एस. विकार से ग्रसित है जिसके कारण मासिक रजोधर्म अनियमित रहता है । मामले के इस प्रक्रम पर याची-पत्नी ने वर्तमान सिविल रिट याचिका फाइल की है और उसने पति के उक्त अभिकथन के प्रत्युत्तर में कोई भी कथन फाइल नहीं किया है ।

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 का अवलंब लिए जाने के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षीय अधिकारिता दी गई है और बहुत-से मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि जब तुच्छ तथ्यों के आधार पर वाद फाइल किया जाता है और विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तब न्यायालय अपनी शक्तियों का विस्तार कर सकता है और यदि वादपत्र का पठन करने से ही विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है, तब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है । इस न्यायालय की पर्यवेक्षीय अधिकारिता का अवलंब केवल तब लिया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारित की गई त्रुटि पूर्णत: स्पष्ट हो और याची की काउंसेल द्वारा दी गई उक्त दलील इसके अंतर्गत नहीं आती है और अनुच्छेद 227 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जा सकता कि प्रत्यर्थी-पति ने याची की विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील से भिन्न अभिवाक् करते हुए अपनी पत्नी की नपुंसकता के संबंध में कोई भी अभिकथन नहीं किया है ।

12. पति की यह धर्मज प्रत्याशा है कि वह अपनी पत्नी के साथ रहे और सहवास करे तथा संतान की उत्पत्ति करे और यदि दोनों में से किसी भी दम्पत्ति में शारीरिक अथवा मानसिक रोग के कारण यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, तब यह न्यायोचित होगा कि दोनों में से कोई भी पक्षकार इन कारणों के आधार पर न्यायालय के समक्ष विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन करे । कुछ ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें दम्पत्ति एक-दूसरे को भली-भांति समझते हैं और नि:संतान होने के

बावजूद जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वे दत्तक ग्रहण का सहारा ले सकते हैं यद्यपि दोनों में से किसी भी एक दम्पत्ति को यह साबित करना होगा कि वह बच्चे को जन्म देने में अक्षम है । किंतु वर्तमान मामले में याची यह प्रकट करने की स्थिति में नहीं है कि प्रत्यर्थी-पति द्वारा फाइल की गई अर्जी में जो प्रकथन किए गए थे उनसे कोई भी वाद हेतु नहीं बनता है या यह कि पति द्वारा फाइल की गई अर्जी में जो प्रकथन किए गए हैं वे नैसर्गिक नहीं हैं और अवास्तविक हैं ।

13. इन परिस्थितियों में यह देखा जा सकता है कि याची-पत्नी की ओर से ऐसी कोई भी दलील नहीं दी गई है जिसके आधार पर यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन हस्तक्षेप करते हुए तृतीय अपर कुटुंब न्यायालय, चेन्नई के समक्ष लंबित 2019 की मूल अर्जी सं. 4784 को खारिज कर सके । तद्नुसार सिविल पुनरीक्षण याचिका सुनवाई के लिए भी ग्रहण नहीं की जा सकती और यह सीधे ही खारिज की जाती है । कुटुंब न्यायालय चेन्नई के विद्वान् तृतीय अपर न्यायाधीश, वर्तमान सिविल पुनरीक्षण याचिका में इस न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों से प्रभावित हुए बिना 2019 की मूल अर्जी सं. 4784 में कार्यवाहियों का निपटारा गुणता के आधार पर करेंगे ।

परिणामत: वर्तमान सिविल पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है । फलस्वरूप इससे संबंधित प्रकीर्ण आवेदन बंद किया जाता है । खर्चों के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

अस.

आकाश ठाकुर और अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

(2020 की सिविल रिट याचिका सं. 4329)

तारीख 31 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति चन्दर भूषण बरोवालिया

चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) – धारा 19-क – प्रवेश – स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम – नई प्रवेश पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र का निष्पादन – पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् पुरानी प्रवेश पॉलिसी का लाभ लिए जाने का निवेदन – याचियों ने नई प्रवेश पॉलिसी के निबंधनों में राज्य के खर्च पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट अवधि के लिए राज्य में सेवा करने हेतु प्रतिभूति के रूप में अदिनांकित चैक बंधपत्र के साथ स्वेच्छया निष्पादित किए हैं, अत: वे पुराने प्रवेश पॉलिसी का लाभ नहीं ले सकते ।

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण होने और हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश लेने हेतु पात्र होने के पश्चात्, उन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री हेतु काउंसलिंग कराने और प्रवेश लेने के लिए प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन फार्म प्रस्तुत किया था । याची सं. 1 का, वर्ष 2017 में राज्य कोटे के अधीन इन-सर्विस अभ्यर्थी के रूप में डा. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कांगड़ा, टांडा, हिमाचल प्रदेश से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् एम. डी. (बाल चिकित्सा विज्ञान) करने के लिए, चयन किया गया । याची सं. 2 का चयन, वर्ष 2017 में अखिल भारतीय कोटे के अधीन सीधे अभ्यर्थी के रूप में डा. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कांगड़ा, टांडा, हिमाचल प्रदेश से स्नातकोत्तर अर्थात् एम. डी. (त्वचा रोग विज्ञान, यौन रोग विज्ञान, कुष्ठ रोग विज्ञान) में प्रवेश के लिए किया गया । इसी प्रकार याची सं. 3 का चयन भी वर्ष 2017 में अखिल भारतीय कोटे के अधीन सीधे अभ्यर्थी के रूप में डा. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कांगड़ा, टांडा, हिमाचल

प्रदेश से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् एम. डी. (बाल चिकित्सा विज्ञान) में प्रवेश के लिए किया गया । यह भी दलील दी गई है कि विवरण-पत्रिका (प्रोस्पेक्टस) के अनुसार अखिल भारतीय कोटे और राज्य कोटे के सभी अभ्यर्थियों के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की शर्त रखी गई थी कि वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के समापन के पश्चात् 5 वर्ष तक राज्य में सेवा करेंगे और यह भी शर्त रखी गई कि चयनित अभ्यर्थी 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी भी निष्पदित करेंगे जिसमें से वे 3 लाख रुपए की गारंटी प्रथम और द्वितीय वर्ष में देंगे और 4 लाख रुपए की गारंटी तृतीय वर्ष में निष्पादित करेंगे और यह कि याचियों ने विवरण-पत्रिका में दी गई शर्तों को समझने के पश्चात्, हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रति विहित प्रारूप (जिसे प्रोस्पेक्टस के साथ अपेन्डिक्स-6 के रूप में संलग्न किया गया था) में 10 लाख रुपए का बंधपत्र जिसमें पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् राज्य की कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक सेवा करने का वचन दिया गया था, निष्पादित किया और ऐसा न किए जाने पर मई, 2017 में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए की एफ.डी.आर. प्रवेश लेने के समय जमा करनी होगी । प्रत्यर्थी-राज्य ने तारीख 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना (उपाबंध पी-2) द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू होने वाले चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विभिन्न स्नातकोत्तर और विशिष्ट पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशियलिटी पॉलिसी अधिसूचित की । इसके अतिरिक्त उक्त पॉलिसी का खंड 6 स्नातकोत्तर हेतु बंधपत्र के निबंधनों और शर्तों के बारे में है और इस पॉलिसी के अनुसार, इन-सर्विस के अभ्यर्थियों को यह परिवचन देना होगा कि वह 4 वर्ष की अवधि के लिए राज्य की सेवा करेगा जैसाकि याची सं. 1 के मामले में और याची सं. 2 और याची सं. 3 जैसे सीधे भर्ती वाले अभ्यर्थियों के मामले में राज्य की 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा की जाएगी और यदि ऐसा न किया गया तो ऐसे अभ्यर्थियों को 40 लाख रुपए राज्य सरकार को देने होंगे । यह भी दलील दी गई है कि अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य सेवा निदेशक, हिमाचल प्रदेश के नाम में 40 लाख रुपए का अनुसूचित बैंक का चैक भी देना होगा और साथ ही जी.डी.ओ. के अभ्यर्थियों को अपनी स्नातक डिग्री की मूल प्रति स्वास्थ्य सेवा निदेशक के समक्ष भी जमा करनी होगी और सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों को अपनी डिग्री की मूल प्रति डी.एम.ई. के समक्ष जमा करनी

होगी । यह दलील दी गई है कि पॉलिसी के खंड 12.2 के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पॉलिसी लागू होगी जिसमें पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले वर्ष से कोई लेना-देना नहीं होगा अर्थात् इसे भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू किया जा सकेगा और स्नातकोत्तर करने वाले ऐसे अभ्यर्थी के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह पॉलिसी के अनुसार पॉलिसी की अधिसूचना के एक मास के भीतर बंधपत्र निष्पादित करे और बंधपत्र के निष्पादन के पश्चात् एफ.डी.आर. वापस करनी होगी । इसके अतिरिक्त यह प्रकथन किया गया है कि पॉलिसी के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी बंधपत्र निष्पादित करने में असफल रहता है, तब जमा की गई एफ.डी.आर. समपहृत हो जाएगी और व्यतिक्रमी अभ्यर्थी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई संस्थित की जाएगी और यह कि प्रत्यर्थी-राज्य ने अवैध तथा भूतलक्षी प्रभाव के साथ मनमाने तरीके से यह पॉलिसी अधिसूचित की है । प्रत्यर्थी सं. 4 ने तारीख 2 मार्च, 2019 के पत्र द्वारा, जो याचियों के विभागों सहित विभिन्न विभागों के प्रोफेसरों और विभागाध्यक्षों के नाम प्रेषित किए गए थे, तारीख 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना परिचालित की और सभी विभागों के प्रोफेसरों और अध्यक्षों से यह निवेदन किया गया कि वे भी उक्त पॉलिसी का परिचालन अपने नियंत्रणाधीन सभी स्नातकोत्तर छात्रों को करें और उन्हें यह भी निदेश दें कि वे तारीख 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना (उपाबंध-ख) के अनुसार विधिक वचनबंध के रूप में नई पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित करें और यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा करने में असफल रहता है, तब उसके द्वारा पहले से जमा की गई एफ. डी. आर. समपहृत कर ली जाएगी और व्यतिक्रमी अभ्यर्थी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई संस्थित की जाएगी । प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों के प्रभावी स्थिति में होने के और याचियों को सौदा करने की शक्ति, विशेषकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के संबंध में जिसमें कठिन परिश्रम करने और धीरज रखने की आवश्यकता होती है, प्राप्त न होने के कारण याची प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों द्वारा की गई ऐसी अवैध और मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सके और याचियों को नई स्नातकोत्तर पॉलिसी, जो याचियों को तारीख 2 मार्च, 2019 के पत्र द्वारा परिचालित की गई थी, के अनुसार नया बंधपत्र निष्पादित करने के लिए विवश किया गया और इसके

पश्चात् याचियों ने जून/जुलाई, 2020 में पूरा किया । प्रत्यर्थी-राज्य ने तारीख 13 जून, 2019 की अधिसूचना (उपाबंध पी-4) को तारीख 27 फरवरी, 2019 की स्नातकोत्तर सुपर स्पेशियलिटी पॉलिसी के खंड 12.2 को प्रतिस्थापित किया है और यतद्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थियों को : (i) तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित करने और एफ.डी.आर. तथा पूर्ववर्ती पॉलिसी में आज्ञापक सेवा के निबंधनों में छूट और रियायत देने के लिए, (ii) यदि ऐसा अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहा है, तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित करने में इच्छुक नहीं है, तब उसको प्रवेश के समय उसके द्वारा निष्पादित किए गए बंधपत्र के उपबंध लागू होंगे । इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों ने उपरोक्त अधिसूचना की जानकारी किसी भी समय पर याचियों को नहीं दी थी जैसाकि उन्होंने पूर्ववर्ती अवसर पर किया था जब उन्होंने तारीख 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना परिचालित की थी । जब याची और उनके अन्य सहपाठियों को पॉलिसी में तारीख 13 जून, 2019 की अधिसूचना द्वारा जुलाई/अगस्त, 2020 के दौरान किए गए संशोधन का पता चला, तब उन्होंने प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन किया कि तारीख 27 फरवरी, 2019 की नई स्नातकोत्तर पॉलिसी को दृष्टिगत करते हुए उनके द्वारा निष्पादित किए गए बंधपत्र को, जिसे अनदेखा कर दिया गया था, पुन: विचार किया जाए । इसके अतिरिक्त याचियों के दो सहपाठियों ने अर्थात् डा. आकांक्षा सिंह और डा. चारूलता पूर्बिया प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के समक्ष यह अभ्यावेदन किया कि वे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण राज्य की सेवा करने में अक्षम हैं और प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों से यह निवेदन किया कि बंधपत्र धन के एवज में 10 लाख रुपए की एफ. डी. आर. स्वीकार की जाए । इसी प्रकार याची सं. 2 और 3 ने भी प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों के समक्ष यह अभ्यावेदन किया कि वे भी अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रत्यर्थी/राज्य की सेवा करने में अक्षम हैं और उन्होंने यह निवेदन किया कि उनके बंधपत्र के एवज में उनकी 10 लाख रुपए की एफ. डी. आर. स्वीकार कर ली जाए और यह कि याची सं. 1 ने भी प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों से यह निवेदन किया कि प्रवेश देने के समय उसके द्वारा निष्पादित किए गए प्रारंभिक बंधपत्र को नई स्नातकोत्तर पॉलिसी को दृष्टिगत करते हुए उसके

पश्चात्वर्ती बंधपत्र के बदले स्वीकार कर लिया जाए । प्रत्यर्थी सं. 3 ने तारीख 25 जुलाई, 2020 को याचियों के सहपाठियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन स्वीकार किए । तारीख 31 जुलाई, 2020 को प्रत्यर्थी सं. 3 ने याची सं. 2 और 3 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा निदेश दिए जाने की ईप्सा की और तारीख 27 अगस्त, 2020 को याची सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर भी प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से निदेश दिए जाने की ईप्सा की । याची सं. 2 और 3 के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 3 को तारीख 31 अगस्त, 2020 और तारीख 4 सितंबर, 2020 वाला पत्र भेजा जिसके द्वारा उसे यह सूचना दी गई कि चूंकि याचियों ने नई स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशियलिटी पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित किया है, इसलिए उनको नई पॉलिसी के अनुसार ही बंधपत्र के उपबंध लागू होंगे और यह भी सलाह दी कि यदि याची सं. 2 और 3 राज्य सरकार के अधीन सेवा ग्रहण करने में असफल हो जाते हैं तो वे बंधपत्र की राशि की वसूली के लिए सिविल वाद फाइल कर सकते हैं । प्रत्यर्थी सं. 3 ने याची सं. 2 और 3 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों के संबंध में सरकार के ऐसे विनिश्चय की ईप्सा की है जिसके द्वारा उन्होंने उनके प्रवेश लेने के समय 10 लाख रुपए की एफ.डी.आर. और बंधपत्र स्वीकार किए जाने के लिए अभ्यावेदन किया है और तारीख 27 फरवरी, 2019 की स्नातकोत्तर पॉलिसी के अनुसार उनके द्वारा तत्पश्चात् प्रस्तुत किए गए बंधपत्र को त्यक्त करने का निवेदन तारीख 13 जून, 2019 की पॉलिसी में किए गए संशोधन को दृष्टिगत करते हुए किया, किंतु प्रत्यर्थी सं. 1 ने किसी भी सकारण आदेश के बिना याची सं. 2 और 3 के अभ्यावेदन खारिज कर दिए और केवल इस पर विचार किया कि चूंकि याची सं. 2 और 3 ने नई स्नातकोत्तर पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित किया है इसलिए नई पॉलिसी के उपबंध ही लागू होंगे । प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों ने एम.बी.बी.एस. की मूल डिग्री अपने पास रख ली है और याचियों के एम.डी. पाठ्यक्रम के मूल प्रमाणपत्र भी उन्हें नहीं दिए हैं और प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों द्वारा किया गया यह कृत्य अवैध और मनमाना है । इसके अतिरिक्त याची प्रवेश लेने के समय उनके द्वारा निष्पादित किए गए बंधपत्र का अनुपालन करने के इच्छुक हैं और इस प्रकार याचियों द्वारा डिग्रियां अपने पास रखे जाने का विवशकारी कृत्य

विधि की दृष्टि से कायम रखे जाने योग्य नहीं है, इस प्रकार याचियों ने यह प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों को यह निदेश दिया जाए कि वे याचियों को उनकी डिग्रियां वापस करें । फाइल की गई याचिका का उत्तर देते हुए प्रत्यर्थियों के अनुसार याचियों का कोई भी विधिक धर्मज, प्रवर्तनीय अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है और न ही उन्हें ऐसे अधिकार से इनकार किया गया है और न ही याची, प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से व्यथित हैं और याचियों ने बिना किसी वाद हेतुक के वर्तमान याचिका फाइल की है, इसलिए यह याचिका न्याय के हित में खारिज की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त यह भी दलील दी गई है कि अनेक विद्यमान और आच्छादित परिस्थितियों और तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए हिमाचल राज्य में लागू चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए सरकार का यह परमाधिकार है कि वह इस कार्य के लिए कोई पॉलिसी विरचित कर सके । यह भी दलील दी गई है कि परिपार्श्व में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए और राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले रेजीडेंट चिकित्सकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए राज्य सरकार ने तारीख 27 फरवरी, 2019 को नई पॉलिसी (उपाबंध पी-2) तारीख 13 जून, 2019 की पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना (उपाबंध पी-4) के साथ जारी की है और दोनों अधिसूचनाएं कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात् जारी की गई हैं जिसे कानूनी बल प्राप्त है । वर्ष 2017 में डा. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, टांडा में अखिल भारतीय कोटे के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीधे अभ्यर्थियों के रूप में प्रवेश लेने के समय तारीख 20 मार्च, 2017 वाली पॉलिसी विद्यमान थी और उसके खंड 3(iii) के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी (दोनों प्रकार के अर्थात् सेवारत और सीधे) को इस संबंध में बंधपत्र निष्पादित करना होगा कि वे अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 5 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश राज्य की सेवा करेंगे और इस पॉलिसी के इस खंड को विवरण-पत्रिका (प्रोस्पेक्टस) के पृष्ठ सं. 32 पर पैरा सं. 3.4 में निगमित भी किया गया है जो उपाबंध पी-1 है । इसके अतिरिक्त यह दलील दी गई है कि उपरोक्त विवरण-पत्रिका के खंड 3.5 में भी निगमित किया गया है कि वे अभ्यर्थी जिन्हें पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा के लिए चुना गया है, वे 10

लाख रुपए की बैंक गारंटी निष्पादित करेंगे । यह भी दलील दी गई है कि तत्पश्चात् तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी (उपाबंध पी-2) तैयार की गई जिसके खंड 6.2.1 में यह उपबंध किया गया है कि सभी अभ्यर्थी विहित अवधि के लिए राज्य की सेवा करने के लिए विधिक वचनबंध निष्पादित करेंगे जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें राज्य सरकार के पक्ष में 40 लाख रुपए का संदाय करना होगा । याची ने प्रश्नगत पॉलिसी के निबंधनों में 40 लाख रुपए के अदिनांकित चैक भरकर दिए थे जिसका यह अर्थ हुआ कि उन्होंने स्वयं उक्त पॉलिसी के अधीन विकल्प चुना था । इसके अतिरिक्त उनके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् याचियों सहित अनेक अभ्यर्थियों ने अभ्यावेदन फाइल किए जिसके अंतर्गत प्रवेश लेने के समय पर पॉलिसी में संलग्न किए गए प्रोस्पेक्टस (उपाबंध पी-1) को पुराने बंधपत्र (उपाबंध पी-2) से बदलने का निवेदन किया जिसके पश्चात् इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया और प्रत्यर्थियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निदेश दिया । सरकार ने तारीख 31 अगस्त, 2020 के अपने आदेश (उपाबंध पी-8) द्वारा यह स्पष्ट किया है कि चूंकि आवेदकों ने नई पीजी पॉलिसी के अनुसार बंध निष्पादित किया है, इसलिए उनके मामले को पीजी/सुपरस्पेशियलिटी (उपाबंध पी-2) के ही उपबंध लागू होंगे जो समय-समय पर संशोधित होते रहे हैं और यह विनिश्चय इस मामले पर प्रत्येक पहलू से सुसंगत, निष्पक्ष और उचित होने के कारण कायम रखा जाना चाहिए । वर्ष 2020 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् ही याचियों सहित अनेक अभ्यर्थियों ने अभ्यावेदन फाइल किए थे जिसमें उन्होंने तारीख 27 फरवरी, 2019 के बंधपत्र (उपाबंध पी-2) के स्थान पर पुराने बंधपत्र (उपाबंध पी-1) के लागू किए जाने की प्रार्थना की । इस प्रकार प्रत्यर्थियों ने वर्तमान याचिका के खारिज किए जाने की प्रार्थना की है । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के लिए अन्य अभिलेख का विस्तार से परिशीलन किया है । याचियों ने जब वर्ष 2017 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में डा. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कांगड़ा, टांडा में सीधे अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश लिया था तब तारीख 20 मार्च, 2017 वाली पॉलिसी विद्यमान

और प्रभावी थी और उस पॉलिसी का खंड 3 (iii) निम्न प्रकार है : प्रत्येक अभ्यर्थी (इन-सर्विस (सेवारत) और सीधी भर्ती वाले दोनों) को इस संबंध में बंधपत्र निष्पादित करना होगा कि वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की सेवा करेंगे और यह उपबंध पॉलिसी के खंड में पृष्ठ सं. 32 पर पैरा 3.4 में उल्लिखित है जो उपाबंध पी-1 है । इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रोस्पेक्टस के खंड/पैरा 3.5 में यह भी निगमित है कि पीजी डिग्री/डिप्लोमा के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी निष्पादित करनी होगी । तद्नुसार याचियों को प्रोस्पेक्टस की ऊपर निर्दिष्ट शर्तें लागू किए जाने पर इसी प्रकार अनुपालन करना पड़ा । तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी के खंड 12.2 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि यह पॉलिसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, उसके प्रवेश का कोई भी वर्ष हो, लागू होगी और ऐसे सभी अभ्यर्थियों को इस पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित करना होगा । तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी (उपाबंध पी-2), में किया गया पश्चात्वर्ती संशोधन, तारीख 13 जून, 2019 की अधिसूचना (उपाबंध पी-4), खंड 12.2(क) और (ख) से प्रतिस्थापित खंड 12.2 सुसंगत हैं । यह उल्लेखनीय है कि याचियों ने स्वयं तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी (उपाबंध पी-2) के निबंधनों में 40 लाख रुपए के अदिनांकित चैक निष्पादित किए थे जिसका यह अर्थ हुआ कि उन्होंने स्वयं उक्त पॉलिसी को अपनाया था । तथापि, उनके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् याचियों सहित अनेक अभ्यर्थियों ने अभ्यावेदन (उपाबंध पी-5) फाइल किया था जिसके अनुसार उन्होंने प्रवेश लेने के समय पर उपाबंध पी-2 के स्थान पर उपाबंध पी-1 के उपबंध लागू किए जाने की प्रार्थना की जिसके पश्चात् यह मामला संपूर्ण तथ्यों के साथ सरकार के समक्ष रखा गया जिस पर उपाबंध पी-7 के अनुसार आवश्यक निर्णय लेने का निदेश दिया गया । इसके प्रतित्युत्तर में सरकार ने तारीख 31 अगस्त, 2020 के अपने पत्र (उपाबंध पी-8) द्वारा यह स्पष्ट किया कि चूंकि आवेदकों ने नई पीजी/सुपरस्पेशियलिटी पॉलिसी के अनुसार पत्र निष्पादित किए हैं, इसलिए उनको इस नई पॉलिसी के उपबंध ही, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है, निष्पक्ष और उचित रीति में लागू होंगे । याचियों ने स्वयं तारीख 27

फरवरी, 2019 की पॉलिसी (उपाबंध पी-2) के निबंधनों में 40 लाख रुपए के अदिनांकित चैक निष्पादित किए हैं । इसका यह अर्थ है कि याचियों ने स्वेच्छया इस पॉलिसी के अनुसार अदिनांकित चैक जारी किए हैं । चूंकि आवेदकों ने हिमाचल प्रदेश राज्य के खर्च पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट अवधि के लिए राज्य में सेवा करने के लिए प्रतिभूति के रूप में स्वयं 40 लाख रुपए के बंधपत्र/चैक प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उनको उक्त शर्तें ही लागू होंगी । याचियों के पक्ष में कोई भी कारण यदि दिखाई दिया है तो वह तारीख 27 फरवरी, 2019 को प्रोद्भूत हो गया था और वे उस पॉलिसी का विरोध युक्तियुक्त समय के भीतर कर सकते थे किन्तु वे 20 सितंबर, 2020 के पश्चात् अर्थात् डेढ़ वर्ष की अवधि के बाद ही न्यायालय के समक्ष आए । याचियों ने युक्तियुक्त समय के भीतर अर्थात् तत्काल ही न्यायालय में 2019 की सिविल रिट याचिका सं. 752 और 1762 फाइल कीं और वर्तमान याची उन रिट याचिकाओं के विनिश्चयों का लाभ नहीं ले सकते जिनकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे । ऐसे ही मामलों के विनिश्चयों की तारीख से वाद हेतुक प्रोद्भूत नहीं होता है बल्कि यह याचियों के पक्ष में प्रोद्भूत होने वाले अधिकार की तारीख से प्रभावी होता है । इस प्रकार, याचिका विलंब और कमियों के कारण वर्जित है और यह खारिज की जानी चाहिए । (पैरा 21, 23, 24, 25 और 26)

सिविल रिट अधिकारिता : 2020 की सिविल रिट याचिका सं. 4329.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री अजय चन्देल

प्रत्यर्थी की ओर से अजय वैद्य (अपर महाधिवक्ता)

आदेश

याचियों द्वारा वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रत्यर्थियों के विरुद्ध फाइल की गई है जिसमें निम्नलिखित सारभूत अनुतोष पाने की प्रार्थना की गई है :–

"(i) यह कि तारीख 27 फरवरी, 2019 को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा जारी की गई आक्षेपित अधिसूचना (उपाबंध पी-2) जिसके

द्वारा इसे भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित किया गया था, को अभिखंडित और अपास्त किया जाए ;

(ii) यह कि तारीख 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना (उपाबंध पी-2) को दृष्टिगत करते हुए बंधपत्र निष्पादित करने हेतु याचियों को आबद्ध करने में प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई और उसके पश्चात् याचियों को उन बंधपत्रों को चुनने के लिए अनुज्ञात न किया जाए, जो उन्होंने तारीख 13 जून, 2019 की पश्चात्वर्ती उस अधिसूचना (उपाबंध पी-4 जिसके द्वारा तारीख 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संशोधित की गई है) को दृष्टिगत करते हुए ग्रहण किए जाने के समय निष्पादित किए गए थे, अकृत और शून्य घोषित किया जाए ;

(iii) यह कि तारीख 31 अगस्त, 2020/तारीख 4 सितंबर, 2020 का पत्र अभिखंडित और अपास्त किया जाए जिसके द्वारा याची सं. 2 और याची सं. 3 के अभ्यावेदनों को खारिज किया गया था ;

(iv) यह कि प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों को यह निदेश दिया जाए कि वे याचियों के मामले में इस बात पर विचार करेंगे कि याचियों को बंधपत्रों के उपबंध लागू होते हैं जो उन्होंने वर्ष 2017-2020 के बैच के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के समय निष्पादित किए थे ;

(v) यह कि प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों को यह निदेश दिया जाए कि वे एम.बी.बी.एस. का मूल अभिलेख वापस करें ।"

2. याचियों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण होने और हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश लेने हेतु पात्र होने के पश्चात्, उन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री हेतु काउंसलिंग कराने और प्रवेश लेने के लिए प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन फार्म प्रस्तुत किया था । याची सं. 1 का, वर्ष 2017 में राज्य कोटे के अधीन इन-सर्विस अभ्यर्थी के रूप में डा. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कांगड़ा, टांडा, हिमाचल प्रदेश से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् एम.डी. (बाल चिकित्सा विज्ञान) करने के लिए, चयन किया गया ।

3. यह दलील दी गई है कि याची सं. 2 का चयन, वर्ष 2017 में अखिल भारतीय कोटे के अधीन सीधे अभ्यर्थी के रूप में डा. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कांगड़ा, टांडा, हिमाचल प्रदेश से स्नातकोत्तर अर्थात् एम. डी. (त्वचा रोग विज्ञान, यौन रोग विज्ञान, कुष्ठ रोग विज्ञान) में प्रवेश के लिए किया गया ।

4. यह प्रकथन किया गया है कि इसी प्रकार याची सं. 3 का चयन भी वर्ष 2017 में अखिल भारतीय कोटे के अधीन सीधे अभ्यर्थी के रूप में डा. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कांगड़ा, टांडा, हिमाचल प्रदेश से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् एम. डी. (बाल चिकित्सा विज्ञान) में प्रवेश के लिए किया गया । यह भी दलील दी गई है कि विवरण-पत्रिका (प्रोस्पेक्टस) के अनुसार अखिल भारतीय कोटे और राज्य कोटे के सभी अभ्यर्थियों के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की शर्त रखी गई थी कि वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के समापन के पश्चात् 5 वर्ष तक राज्य में सेवा करेंगे और यह भी शर्त रखी गई कि चयनित अभ्यर्थी 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी भी निष्पदित करेंगे जिसमें से वे 3 लाख रुपए की गारंटी प्रथम और द्वितीय वर्ष में देंगे और 4 लाख रुपए की गारंटी तृतीय वर्ष में निष्पादित करेंगे और यह कि याचियों ने विवरण-पत्रिका में दी गई शर्तों को समझने के पश्चात्, हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रति विहित प्रारूप (जिसे प्रोस्पेक्टस के साथ अपेन्डिक्स-6 के रूप में संलग्न किया गया था) में 10 लाख रुपए का बंधपत्र जिसमें पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् राज्य की कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक सेवा करने का वचन दिया गया था, निष्पादित किया और ऐसा न किए जाने पर मई, 2017 में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए की एफ.डी.आर. प्रवेश लेने के समय जमा करनी होगी ।

5. यह भी दलील दी गई है कि प्रत्यर्थी-राज्य ने तारीख 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना (उपाबंध पी-2) द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू होने वाले चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विभिन्न स्नातकोत्तर और विशिष्ट पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशियलिटी पॉलिसी अधिसूचित की । इसके अतिरिक्त उक्त पॉलिसी का खंड 6 स्नातकोत्तर हेतु बंधपत्र के निबंधनों और शर्तों के बारे में है और इस पॉलिसी के अनुसार, इन-सर्विस के अभ्यर्थियों को यह परिवचन

देना होगा कि वह 4 वर्ष की अवधि के लिए राज्य की सेवा करेगा जैसाकि याची सं. 1 के मामले में और याची सं. 2 और याची सं. 3 जैसे सीधे भर्ती वाले अभ्यर्थियों के मामले में राज्य की 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा की जाएगी और यदि ऐसा न किया गया तो ऐसे अभ्यर्थियों को 40 लाख रुपए राज्य सरकार को देने होंगे । यह भी दलील दी गई है कि अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य सेवा निदेशक, हिमाचल प्रदेश के नाम में 40 लाख रुपए का अनुसूचित बैंक का चैक भी देना होगा और साथ ही जी.डी.ओ. के अभ्यर्थियों को अपनी स्नातक डिग्री की मूल प्रति स्वास्थ्य सेवा निदेशक के समक्ष भी जमा करनी होगी और सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों को अपनी डिग्री की मूल प्रति डी.एम.ई. के समक्ष जमा करनी होगी । यह दलील दी गई है कि पॉलिसी के खंड 12.2 के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पॉलिसी लागू होगी जिसमें पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले वर्ष से कोई लेना-देना नहीं होगा अर्थात् इसे भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू किया जा सकेगा और स्नातकोत्तर करने वाले ऐसे अभ्यर्थी के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह पॉलिसी के अनुसार पॉलिसी की अधिसूचना के एक मास के भीतर बंधपत्र निष्पादित करे और बंधपत्र के निष्पादन के पश्चात् एफ.डी.आर. वापस करनी होगी । इसके अतिरिक्त यह प्रकथन किया गया है कि पॉलिसी के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी बंधपत्र निष्पादित करने में असफल रहता है, तब जमा की गई एफ.डी.आर. समपहृत हो जाएगी और व्यतिक्रमी अभ्यर्थी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई संस्थित की जाएगी और यह कि प्रत्यर्थी-राज्य ने अवैध तथा भूतलक्षी प्रभाव के साथ मनमाने तरीके से यह पॉलिसी अधिसूचित की है ।

6. यह प्रकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 ने तारीख 2 मार्च, 2019 के पत्र द्वारा, जो याचियों के विभागों सहित विभिन्न विभागों के प्रोफेसरों और विभागाध्यक्षों के नाम प्रेषित किए गए थे, तारीख 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना परिचालित की और सभी विभागों के प्रोफेसरों और अध्यक्षों से यह निवेदन किया गया कि वे भी उक्त पॉलिसी का परिचालन अपने नियंत्रणाधीन सभी स्नातकोत्तर छात्रों को करें और उन्हें यह भी निदेश दें कि वे तारीख 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना (उपाबंध-ख) के अनुसार विधिक वचनबंध के रूप में नई पॉलिसी के

अनुसार बंधपत्र निष्पादित करें और यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा करने में असफल रहता है, तब उसके द्वारा पहले से जमा की गई एफ.डी.आर. समपहृत कर ली जाएगी और व्यतिक्रमी अभ्यर्थी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई संस्थित की जाएगी ।

7. यह दलील दी गई है कि प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों के प्रभावी स्थिति में होने के और याचियों को सौदा करने की शक्ति, विशेषकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के संबंध में जिसमें कठिन परिश्रम करने और धीरज रखने की आवश्यकता होती है, प्राप्त न होने के कारण याची प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों द्वारा की गई ऐसी अवैध और मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सके और याचियों को नई स्नातकोत्तर पॉलिसी, जो याचियों को तारीख 2 मार्च, 2019 के पत्र द्वारा परिचालित की गई थी, के अनुसार नया बंधपत्र निष्पादित करने के लिए विवश किया गया और इसके पश्चात् याचियों ने जून/जुलाई, 2020 में पूरा किया ।

8. यह दलील दी गई है कि प्रत्यर्थी-राज्य ने तारीख 13 जून, 2019 की अधिसूचना (उपाबंध पी-4) को तारीख 27 फरवरी, 2019 की स्नातकोत्तर सुपर स्पेशियलिटी पॉलिसी के खंड 12.2 को प्रतिस्थापित किया है और यतद्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थियों को : (i) तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित करने और एफ.डी.आर. तथा पूर्ववर्ती पॉलिसी में आज्ञापक सेवा के निबंधनों में छूट और रियायत देने के लिए, (ii) यदि ऐसा अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहा है, तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित करने में इच्छुक नहीं है, तब उसको प्रवेश के समय उसके द्वारा निष्पादित किए गए बंधपत्र के उपबंध लागू होंगे । इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों ने उपरोक्त अधिसूचना की जानकारी किसी भी समय पर याचियों को नहीं दी थी जैसाकि उन्होंने पूर्ववर्ती अवसर पर किया था जब उन्होंने तारीख 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना परिचालित की थी ।

9. यह प्रकथन किया गया है कि जब याची और उनके अन्य सहपाठियों को पॉलिसी में तारीख 13 जून, 2019 की अधिसूचना द्वारा जुलाई/अगस्त, 2020 के दौरान किए गए संशोधन का पता चला, तब

उन्होंने प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन किया कि तारीख 27 फरवरी, 2019 की नई स्नातकोत्तर पॉलिसी को दृष्टिगत करते हुए उनके द्वारा निष्पादित किए गए बंधपत्र को, जिसे अनदेखा कर दिया गया था, पुन: विचार किया जाए । इसके अतिरिक्त याचियों के दो सहपाठियों ने अर्थात् डा. आकांक्षा सिंह और डा. चारूलता पूर्बिया प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के समक्ष यह अभ्यावेदन किया कि वे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण राज्य की सेवा करने में अक्षम हैं और प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों से यह निवेदन किया कि बंधपत्र धन के एवज में 10 लाख रुपए की एफ. डी. आर. स्वीकार की जाए । इसी प्रकार याची सं. 2 और 3 ने भी प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों के समक्ष यह अभ्यावेदन किया कि वे भी अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रत्यर्थी/राज्य की सेवा करने में अक्षम हैं और उन्होंने यह निवेदन किया कि उनके बंधपत्र के एवज में उनकी 10 लाख रुपए की एफ.डी.आर. स्वीकार कर ली जाए और यह कि याची सं. 1 ने भी प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों से यह निवेदन किया कि प्रवेश देने के समय उसके द्वारा निष्पादित किए गए प्रारंभिक बंधपत्र को नई स्नातकोत्तर पॉलिसी को दृष्टिगत करते हुए उसके पश्चात्वर्ती बंधपत्र के बदले स्वीकार कर लिया जाए ।

10. यह दलील दी गई है कि प्रत्यर्थी सं. 3 ने तारीख 25 जुलाई, 2020 को याचियों के सहपाठियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन स्वीकार किए । तारीख 31 जुलाई, 2020 को प्रत्यर्थी सं. 3 ने याची सं. 2 और 3 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा निदेश दिए जाने की ईप्सा की और तारीख 27 अगस्त, 2020 को याची सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर भी प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से निदेश दिए जाने की ईप्सा की ।

11. यह दलील दी गई है कि याची सं. 2 और 3 के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 3 को तारीख 31 अगस्त, 2020 और तारीख 4 सितंबर, 2020 वाला पत्र भेजा जिसके द्वारा उसे यह सूचना दी गई कि चूंकि याचियों ने नई स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशियलिटी पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित किया है, इसलिए उनको नई पॉलिसी के अनुसार ही बंधपत्र के उपबंध लागू होंगे और यह भी सलाह दी कि यदि याची सं. 2 और 3 राज्य सरकार के अधीन सेवा

ग्रहण करने में असफल हो जाते हैं तो वे बंधपत्र की राशि की वसूली के लिए सिविल वाद फाइल कर सकते हैं ।

12. यह प्रकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 3 ने याची सं. 2 और 3 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों के संबंध में सरकार के ऐसे विनिश्चय की ईप्सा की है जिसके द्वारा उन्होंने उनके प्रवेश लेने के समय 10 लाख रुपए की एफ.डी.आर. और बंधपत्र स्वीकार किए जाने के लिए अभ्यावेदन किया है और तारीख 27 फरवरी, 2019 की स्नातकोत्तर पॉलिसी के अनुसार उनके द्वारा तत्पश्चात् प्रस्तुत किए गए बंधपत्र को त्यक्त करने का निवेदन तारीख 13 जून, 2019 की पॉलिसी में किए गए संशोधन को दृष्टिगत करते हुए किया, किंतु प्रत्यर्थी सं. 1 ने किसी भी सकारण आदेश के बिना याची सं. 2 और 3 के अभ्यावेदन खारिज कर दिए और केवल इस पर विचार किया कि चूंकि याची सं. 2 और 3 ने नई स्नातकोत्तर पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित किया है इसलिए नई पॉलिसी के उपबंध ही लागू होंगे ।

13. याचियों की ओर से यह भी दलील दी गई है कि प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों ने एम.बी.बी.एस. की मूल डिग्री अपने पास रख ली है और याचियों के एम.डी. पाठ्यक्रम के मूल प्रमाणपत्र भी उन्हें नहीं दिए हैं और प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों द्वारा किया गया यह कृत्य अवैध और मनमाना है । इसके अतिरिक्त याची प्रवेश लेने के समय उनके द्वारा निष्पादित किए गए बंधपत्र का अनुपालन करने के इच्छुक हैं और इस प्रकार याचियों द्वारा डिग्रियां अपने पास रखे जाने का विवशकारी कृत्य विधि की दृष्टि से कायम रखे जाने योग्य नहीं है, इस प्रकार याचियों ने यह प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों को यह निदेश दिया जाए कि वे याचियों को उनकी डिग्रियां वापस करें ।

14. फाइल की गई याचिका का उत्तर देते हुए प्रत्यर्थियों के अनुसार याचियों का कोई भी विधिक धर्मज, प्रवर्तनीय अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है और न ही उन्हें ऐसे अधिकार से इनकार किया गया है और न ही याची, प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से व्यथित हैं और याचियों ने बिना किसी वाद हेतुक के वर्तमान याचिका फाइल की है, इसलिए यह याचिका न्याय के हित में खारिज की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त यह भी दलील दी गई है कि अनेक विद्यमान

और आच्छादित परिस्थितियों और तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए हिमाचल राज्य में लागू चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए सरकार का यह परमाधिकार है कि वह इस कार्य के लिए कोई पॉलिसी विरचित कर सके । यह भी दलील दी गई है कि परिपार्श्व में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए और राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले रेजीडेंट चिकित्सकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए राज्य सरकार ने तारीख 27 फरवरी, 2019 को नई पॉलिसी (उपाबंध पी-2) तारीख 13 जून, 2019 की पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना (उपाबंध पी-4) के साथ जारी की है और दोनों अधिसूचनाएं कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात् जारी की गई हैं जिसे कानूनी बल प्राप्त है ।

15. यह दलील दी गई है कि वर्ष 2017 में डा. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, टांडा में अखिल भारतीय कोटे के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीधे अभ्यर्थियों के रूप में प्रवेश लेने के समय तारीख 20 मार्च, 2017 वाली पॉलिसी विद्यमान थी और उसके खंड 3(iii) के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी (दोनों प्रकार के अर्थात् सेवारत और सीधे) को इस संबंध में बंधपत्र निष्पादित करना होगा कि वे अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 5 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश राज्य की सेवा करेंगे और इस पॉलिसी के इस खंड को विवरण-पत्रिका (प्रोस्पेक्टस) के पृष्ठ सं. 32 पर पैरा सं. 3.4 में निगमित भी किया गया है जो उपाबंध पी-1 है । इसके अतिरिक्त यह दलील दी गई है कि उपरोक्त विवरण-पत्रिका के खंड 3.5 में भी निगमित किया गया है कि वे अभ्यर्थी जिन्हें पीजी डिग्री/डिप्लोमा के लिए चुना गया है, वे 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी निष्पादित करेंगे । यह भी दलील दी गई है कि तत्पश्चात् तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी (उपाबंध पी-2) तैयार की गई जिसके खंड 6.2.1 में यह उपबंध किया गया है कि सभी अभ्यर्थी विहित अवधि के लिए राज्य की सेवा करने के लिए विधिक वचनबंध निष्पादित करेंगे जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें राज्य सरकार के पक्ष में 40 लाख रुपए का संदाय करना होगा ।

16. यह प्रकथन किया गया है कि याची ने प्रश्नगत पॉलिसी के निबंधनों में 40 लाख रुपए के अदिनांकित चैक भरकर दिए थे जिसका

यह अर्थ हुआ कि उन्होंने स्वयं उक्त पॉलिसी के अधीन विकल्प चुना था । इसके अतिरिक्त उनके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् याचियों सहित अनेक अभ्यर्थियों ने अभ्यावेदन फाइल किए जिसके अंतर्गत प्रवेश लेने के समय पर पॉलिसी में संलग्न किए गए प्रोस्पेक्टस (उपाबंध पी-1) को पुराने बंधपत्र (उपाबंध पी-2) से बदलने का निवेदन किया जिसके पश्चात् इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया और प्रत्यर्थियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निदेश दिया । सरकार ने तारीख 31 अगस्त, 2020 के अपने आदेश (उपाबंध पी-8) द्वारा यह स्पष्ट किया है कि चूंकि आवेदकों ने नई पीजी पॉलिसी के अनुसार बंध निष्पादित किया है, इसलिए उनके मामले को पीजी/सुपरस्पेशियलिटी (उपाबंध पी-2) के ही उपबंध लागू होंगे जो समय-समय पर संशोधित होते रहे हैं और यह विनिश्चय इस मामले पर प्रत्येक पहलू से सुसंगत, निष्पक्ष और उचित होने के कारण कायम रखा जाना चाहिए ।

17. यह दलील दी गई है कि वर्ष 2020 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् ही याचियों सहित अनेक अभ्यर्थियों ने अभ्यावेदन फाइल किए थे जिसमें उन्होंने तारीख 27 फरवरी, 2019 के बंधपत्र (उपाबंध पी-2) के स्थान पर पुराने बंधपत्र (उपाबंध पी-1) के लागू किए जाने की प्रार्थना की । इस प्रकार प्रत्यर्थियों ने वर्तमान याचिका के खारिज किए जाने की प्रार्थना की है ।

18. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है ।

19. याचियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थियों ने, जब बंधपत्र की शर्तों में परिवर्तन किया गया था, तब याचियों को संसूचित किया जाना चाहिए ताकि याची तद्नुसार कार्य करते । यह भी दलील दी गई है कि रिट याचिका चलने योग्य है और प्रत्यर्थी यह अपेक्षा की जाती है कि वे बंधपत्र में बढ़ाई गई राशि को स्वीकार न करें और केवल अधिसूचना के अनुसार ही बंधपत्र की राशि स्वीकार करें । इसके प्रतिकूल प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थियों ने अच्छी तरह यह जानते हुए इस राशि का भुगतान किया है कि राज्य सरकार उनकी शिक्षा का खर्च वहन कर रही है और अभ्यर्थियों से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे

अल्पतम अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा करे और यदि वे सेवा नहीं करेंगे तो उन्हें बंधपत्र की राशि का भुगतान करना होगा, अत: रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि याची यह नहीं कह सकते हैं कि उन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि पुनरीक्षित अधिसूचना राजपत्र में प्रकशित की गई थी । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि यह याचिका विलंबित और कमियों से भरे होने के कारण वर्जित है और इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है ।

20. इसके प्रतित्युत्तर में याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि 2019 की सिविल रिट याचिका सं. 752 और 1762 में ऐसे ही व्यक्तियों के पक्ष में आदेश पारित किया गया था, अत: याचियों को भी नवीनतम अधिसूचना का लाभ दिया जाए ।

21. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के लिए अन्य अभिलेख का विस्तार से परिशीलन किया है । याचियों ने जब वर्ष 2017 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में डा. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कांगड़ा, टांडा में सीधे अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश लिया था तब तारीख 20 मार्च, 2017 वाली पॉलिसी विद्यमान और प्रभावी थी और उस पॉलिसी का खंड 3 (iii) निम्न प्रकार है :–

> "प्रत्येक अभ्यर्थी (इनसर्विस (सेवारत) और सीधी भर्ती वाले दोनों) को इस संबंध में बंधपत्र निष्पादित करना होगा कि वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की सेवा करेंगे और यह उपबंध पॉलिसी के खंड में पृष्ठ सं. 32 पर पैरा 3.4 में उल्लिखित है जो उपाबंध पी-1 है । इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रोस्पेक्टस के खंड/पैरा 3.5 में यह भी निगमित है कि पीजी डिग्री/डिप्लोमा के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी निष्पादित करनी होगी । तद्नुसार याचियों को प्रोस्पेक्टस की ऊपर निर्दिष्ट शर्ते लागू किए जाने पर इसी प्रकार अनुपालन करना पड़ा ।"

22. इसके पश्चात् तारीख 27 फरवरी, 2019 की नई पॉलिसी बनाई गई जिसमें खंड 6.2.1 जोड़ा गया जो निम्न प्रकार है :–

"सभी अभ्यर्थी विहित अवधि के लिए राज्य की सेवा करने हेतु विधिक परिवचन के रूप में एक बंधपत्र निष्पादित करेंगे जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के पक्ष में 40 लाख रुपए का भुगतान करना होगा ।"

23. तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी के खंड 12.2 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि यह पॉलिसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, उसके प्रवेश का कोई भी वर्ष हो, लागू होगी और ऐसे सभी अभ्यर्थियों को इस पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित करना होगा । तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी (उपाबंध पी-2), में किया गया पश्चात्वर्ती संशोधन, तारीख 13 जून, 2019 की अधिसूचना (उपाबंध पी-4), खंड 12.2(क) और (ख) से प्रतिस्थापित खंड 12.2 सुसंगत हैं जो निम्न प्रकार है :–

"12.2(ख). यदि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाला कोई भी अभ्यर्थी तारीख 27 फरवरी, 2019 की पीजी/सुपरस्पेशियलिटी पॉलिसी के अनुसार बंधपत्र निष्पादित करने में इच्छुक नहीं है, तब उसको प्रवेश के समय उसके द्वारा निष्पादित किए गए बंधपत्र के उपबंध लागू होंगे ।"

24. यह उल्लेखनीय है कि याचियों ने स्वयं तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी (उपाबंध पी-2) के निबंधनों में 40 लाख रुपए के अदिनांकित चैक निष्पादित किए थे जिसका यह अर्थ हुआ कि उन्होंने स्वयं उक्त पॉलिसी को अपनाया था । तथापि, उनके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् याचियों सहित अनेक अभ्यर्थियों ने अभ्यावेदन (उपाबंध पी-5) फाइल किया था जिसके अनुसार उन्होंने प्रवेश लेने के समय पर उपाबंध पी-2 के स्थान पर उपाबंध पी-1 के उपबंध लागू किए जाने की प्रार्थना की जिसके पश्चात् यह मामला संपूर्ण तथ्यों के साथ सरकार के समक्ष रखा गया जिस पर उपाबंध पी-7 के अनुसार आवश्यक निर्णय लेने का निदेश दिया गया । इसके प्रतित्युत्तर में सरकार ने तारीख 31 अगस्त, 2020 के अपने पत्र (उपाबंध पी-8) द्वारा यह स्पष्ट किया कि चूंकि आवेदकों ने नई पीजी/सुपरस्पेशियलिटी पॉलिसी के अनुसार पत्र निष्पादित किए हैं, इसलिए उनको इस नई

पॉलिसी के उपबंध ही, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है, निष्पक्ष और उचित रीति में लागू होंगे ।

25. याचियों ने स्वयं तारीख 27 फरवरी, 2019 की पॉलिसी (उपाबंध पी-2) के निबंधनों में 40 लाख रुपए के अदिनांकित चैक निष्पादित किए हैं । इसका यह अर्थ है कि याचियों ने स्वेच्छया इस पॉलिसी के अनुसार अदिनांकित चैक जारी किए हैं ।

26. चूंकि आवेदकों ने हिमाचल प्रदेश राज्य के खर्च पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट अवधि के लिए राज्य में सेवा करने के लिए प्रतिभूति के रूप में स्वयं 40 लाख रुपए के बंधपत्र/चैक प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उनको उक्त शर्तें ही लागू होंगी । याचियों के पक्ष में कोई भी कारण यदि दिखाई दिया है तो वह तारीख 27 फरवरी, 2019 को प्रोद्भूत हो गया था और वे उस पॉलिसी का विरोध युक्तियुक्त समय के भीतर कर सकते थे किन्तु वे 20 सितंबर, 2020 के पश्चात् अर्थात् डेढ़ वर्ष की अवधि के बाद ही न्यायालय के समक्ष आए । याचियों ने युक्तियुक्त समय के भीतर अर्थात् तत्काल ही न्यायालय में 2019 की सिविल रिट याचिका सं. 752 और 1762 फाइल कीं और वर्तमान याची उन रिट याचिकाओं के विनिश्चयों का लाभ नहीं ले सकते जिनकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे । ऐसे ही मामलों के विनिश्चयों की तारीख से वाद हेतुक प्रोद्भूत नहीं होता है बल्कि यह याचियों के पक्ष में प्रोद्भूत होने वाले अधिकार की तारीख से प्रभावी होता है । इस प्रकार, याचिका विलंब और कमियों के कारण वर्जित है और यह खारिज की जानी चाहिए ।

27. पूर्वगामी मताभिव्यक्तियों के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि वर्तमान रिट याचिका में कोई सार नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है और तद्नुसार खारिज की जाती है । पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे ।

28. यदि कोई आवेदन लंबित है तो उसका भी निपटारा किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

अस.

संसद् के अधिनियम

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 43)

[13 सितम्बर, 2005]

ऐसी महिलाओं के, जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारतीय गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार [1]*** संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "व्यथित व्यक्ति" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है ;

---

[1] 2019 के अधिनियम सं. 34 की धारा 95 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 6 अक्तूबर, 2006 ; भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, अनुभाग 3(ii) की अधिसूचना सं. का. आ. 1776(अ), तारीख 17-10-2006, द्वारा ।

(ख) "बालक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है ;

(ग) "प्रतिकर आदेश" से धारा 22 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(घ) "अभिरक्षा आदेश" से धारा 21 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(ङ) "घरेलू घटना रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो, किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर, विहित प्ररूप में तैयार की गई हो ;

(च) "घरेलू नातेदारी" से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं ;

(छ) "घरेलू हिंसा" का वही अर्थ है जो उसका धारा 3 में है ;

(ज) "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है ;

(झ) "मजिस्ट्रेट" से उस क्षेत्र पर, जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ;

(ञ) "चिकित्सीय सुविधा" से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए ;

(ट) "धनीय अनुतोष" से ऐसा प्रतिकर अभिप्रेत है जिसके लिए

कोई मजिस्ट्रेट, घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की ईप्सा करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान, किसी प्रक्रम पर, व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए, प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा ;

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ढ) "संरक्षण अधिकारी" से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ण) "संरक्षण आदेश" से धारा 18 के निबंधनों के अनुसार किया गया कोई आदेश, अभिप्रेत है ;

(त) "निवास आदेश" से धारा 19 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार दिया गया कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(थ) "प्रत्यर्थी" से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है :

परंतु यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी ;

(द) "सेवा प्रदाता" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व अभिप्रेत है ;

(ध) "साझी गृहस्थी" से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्ततः स्वामित्व या किराएदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किराएदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित

व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकार, हक, हित या साम्या रखते हैं और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है ;

(न) "आश्रय गृह" से ऐसा कोई आश्रय गृह अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक आश्रय गृह के रूप में, अधिसूचित किया जाए ।

अध्याय 2

घरेलू हिंसा

3. **घरेलू हिंसा की परिभाषा** – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह, –

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है ; या

(ख) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता है ; या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है ; या

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक ।

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(i) "शारीरिक दुरुपयोग" से ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है, जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है ;

(ii) "लैंगिक दुरुपयोग" से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है, जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है ;

(iii) "मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, –

(क) अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से संतान या नर बालक के न होने के संबंध में अपमान या उपहास ; और

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना, जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है ;

(iv) "आर्थिक दुरुपयोग" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं :–

(क) ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों या जिनकी व्यथित व्यक्ति, किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, अपेक्षा करता है, किन्तु जो उन तक सीमित नहीं हैं, स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथक्त: स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक का संदाय, से वंचित करना ;

(ख) गृहस्थी की चीजबस्त का व्ययन, आस्तियों का चाहे वे जंगम हों या स्थावर, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों,

बंधपत्रों और उसके सदृश या अन्य संपत्ति का, जिसमें व्यथित व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके प्रयोग के लिए हकदार है या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है या उसके स्त्रीधन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्ततः या पृथक्तः धारित किसी अन्य संपत्ति का कोई अन्य संक्रामण ; और

(ग) ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक, जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति, उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साझी गृहस्थी तक पहुंच भी है, लगातार पहुंच के लिए प्रतिषेध या निर्बन्धन ।

स्पष्टीकरण 2 – यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण इस धारा के अधीन "घरेलू हिंसा" का गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा ।

अध्याय 3

संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां और कर्तव्य

4. **संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन** – (1) कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह संबद्ध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा, सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए, सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा ।

5. **पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य** – कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट, जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है या जो घरेलू हिंसा की

किसी घटना के स्थान पर अन्यथा उपस्थित है या जब घरेलू हिंसा की किसी घटना की रिपोर्ट उसको दी जाती है तो वह, व्यथित व्यक्ति को –

(क) इस अधिनियम के अधीन, किसी संरक्षण आदेश, धनीय राहत के लिए किसी आदेश, किसी अभिरक्षा आदेश, किसी निवास आदेश, किसी प्रतिकर आदेश या ऐसे एक आदेश से अधिक के रूप में किसी अनुतोष को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की ;

(ख) सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की ;

(ग) संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता की ;

(घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन नि:शुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की ;

(ङ) जहां कहीं सुसंगत हो, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क के अधीन किसी परिवाद के फाइल करने के उसके अधिकार की,

जानकारी देगा :

परन्तु इस अधिनियम की किसी बात का किसी रीति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए, अपने कर्तव्य से अवमुक्त करती है ।

6. **आश्रय गृहों के कर्तव्य** – यदि, कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति से, उसको आश्रय उपलब्ध करने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह का ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा ।

7. **चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य** – यदि, कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, किसी चिकित्सीय सुविधा के भारसाधक व्यक्ति से, उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो चिकित्सीय सुविधा को ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति को उस चिकित्सीय सुविधा में

चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा ।

8. **संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति** – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे और वह उन क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी, जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(2) ऐसे संरक्षण अधिकारी, जहां तक संभव हो, महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए ।

(3) संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

9. **संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य** – (1) संरक्षण अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे –

(क) किसी मजिस्ट्रेट को, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना ;

(ख) किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर, किसी मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना और उस पुलिस थाने के, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर, घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, भारसाधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को, उस रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करना ;

(ग) किसी मजिस्ट्रेट को, यदि व्यथित व्यक्ति, किसी संरक्षण आदेश के जारी करने के लिए, अनुतोष का दावा करने की वांछा करता हो, तो ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, आवेदन करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और उस विहित प्ररूप को, जिसमें शिकायत की जानी है, मुफ्त उपलब्ध कराना ;

(ङ) मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में ऐसे सभी सेवा प्रदाताओं की, जो विधिक सहायता या परामर्श आश्रय गृह और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, एक सूची बनाए रखना ;

(च) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो कोई सुरक्षित आश्रय गृह का उपलब्ध कराना और किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपते हुए, अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को और उस क्षेत्र में जहां वह आश्रय गृह अवस्थित है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना ;

(छ) व्यथित व्यक्ति को शारीरिक क्षतियां हुई हैं तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना, और उस क्षेत्र में, जहां घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, पुलिस थाने को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उस चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करना ;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन अनुतोष के लिए आदेश का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन और निष्पादन हो गया है ;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो विहित किए जाएं, पालन करना ।

(2) संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा और वह, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

10. **सेवा प्रदाता** – (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा, महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी ।

(2) किसी सेवा प्रदाता के पास, जो उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, निम्नलिखित शक्तियां होंगी –

(क) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता हो तो विहित प्ररूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति, उस क्षेत्र में, जहां घरेलू हिंसा हुई है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करना ;

(ख) व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना और उस संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर, घरेलू हिंसा हुई है, चिकित्सीय रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करना ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को, यदि वह ऐसी वांछा करे तो, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराया गया है और व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में सौंपे जाने की रिपोर्ट, उस पुलिस थाने को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है, अग्रेषित करना ।

(3) इस अधिनियम के अधीन, घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है या करने वाला समझा जाता है या करने के लिए तात्पर्यित है, विरुद्ध नहीं होगी ।

11. **सरकार के कर्तव्य** – केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि –

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर, लोक मीडिया के माध्यम से जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार किया जाता है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं इस अधिनियम द्वारा उठाए गए विवाद्यकों पर समय-समय

पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ग) घरेलू हिंसा के विवाद्यकों को संबोधित करने के लिए विधि, गृह कार्यों जिनके अंतर्गत विधि और व्यवस्था भी है, स्वास्थ्य और मानव संसाधनों के संबंध में कार्रवाई करने वाले संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाता है ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन महिलाओं के लिए सेवाओं के परिदान से संबद्ध विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकाल, जिसके अंतर्गत न्यायालयों को तैयार करना और किसी स्थान पर स्थापित करना भी है ।

अध्याय 4

अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

12. **मजिस्ट्रेट को आवेदन** – (1) कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु मजिस्ट्रेट, ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त, किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए वाद संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है :

परन्तु जहां किसी न्यायालय द्वारा, प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की

गई है यदि इस अधिनियम के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेय है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेय रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह डिक्री, इस प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात् अतिशेष रकम के लिए, यदि कोई हो, निष्पादित की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं या यथासंभव उसके निकटतम रूप में अंतर्विष्ट होगा ।

(4) मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यत: तीन दिन से अधिक नहीं होगी ।

(5) मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का, प्रथम सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा ।

13. **सूचना की तामील** – (1) धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी जो प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित किसी अन्य व्यक्ति पर, ऐसे साधनों द्वारा जो विहित किए जाएं, उसकी प्राप्ति की तारीख से अधिकतम दो दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त युक्तियुक्त समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात किया जाए, तामील करवाएगा ।

(2) संरक्षण अधिकारी द्वारा की गई सूचना की तामील की घोषणा, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए इस बात का सबूत होगी कि ऐसी सूचना की तामील प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित किसी अन्य व्यक्ति पर कर दी गई है, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है ।

14. **परामर्श** – (1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को, अकेले या संयुक्ततः

सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से, जो परामर्श में ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखता है, जो विहित की जाएं, परामर्श लेने का निदेश दे सकेगा ।

(2) जहां मजिस्ट्रेट ने उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी किया है, वहां वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख, दो मास से अनधिक अवधि के भीतर नियत करेगा ।

15. **कल्याण विशेषज्ञ की सहायता** – इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, मजिस्ट्रेट अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्ति की, अधिमानतः किसी महिला की, चाहे वह व्यथित व्यक्ति की नातेदार हो या नहीं, जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है, सेवाएं प्राप्त कर सकेगा ।

16. **कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना** – यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्यवाहियों का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे, तो वह इस अधिनियम के अधीन, कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित कर सकेगा ।

17. **साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार** – (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदाप्रद हित रखती हो या नहीं ।

(2) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में के सिवाय, कोई व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा ।

18. **संरक्षण आदेश** – मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात् और उसका प्रथमदृष्ट्या समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा तथा प्रत्यर्थी को निम्नलिखित से प्रतिषिद्ध कर सकेगा, –

(क) घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना ;

(ख) घरेलू हिंसा के कार्यों के कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरण करना ;

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में या यदि व्यथित व्यक्ति बालक है, तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहां व्यथित व्यक्ति बार-बार आता जाता है, प्रवेश करना ;

(घ) व्यथित व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयत्न करना, चाहे वह किसी रूप में हो, इसके अंतर्गत वैयक्तिक, मौखिक या लिखित या इलैक्ट्रोनिक या दूरभाषीय संपर्क भी है ;

(ङ) किन्हीं आस्तियों का अन्य संक्रामण करना ; उन बैंक लॉकरों या बैंक खातों का प्रचालन करना जिनका दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग या धारण या उपयोग, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्ततः या प्रत्यर्थी द्वारा अकेले किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उसका स्त्रीधन या अन्य कोई संपत्ति भी है, जो मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना या तो पक्षकारों द्वारा संयुक्ततः या उनके द्वारा पृथक्तः धारित की हुई हैं ;

(च) आश्रितों, अन्य नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा के विरुद्ध सहायता देता है, के साथ हिंसा कारित करना ;

(छ) ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो संरक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

19. **निवास आदेश** – (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश पारित कर सकेगा :–

(क) प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से, किसी व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करने से या किसी अन्य रीति में उस कब्जे में विघ्न डालने से अवरुद्ध करना, चाहे, प्रत्यर्थी, उस साझी गृहस्थी में विधिक या साधारण रूप से हित रखता है या नहीं ;

(ख) प्रत्यर्थी को, उस साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निदेश देना ;

(ग) प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के किसी भाग में, जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है, प्रवेश करने से अवरुद्ध करना ;

(घ) प्रत्यर्थी को, किसी साझी गृहस्थी के अन्यसंक्रांत करने या व्ययनित करने या उसे विल्लंगमित करने से अवरुद्ध करना ;

(ङ) प्रत्यर्थी को, मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय, साझी गृहस्थी में अपने अधिकार त्यजन से, अवरुद्ध करना ; या

(च) प्रत्यर्थी को, व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की आनुकल्पिक वास सुविधा जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी या उसके लिए किराए का संदाय करने, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करे, सुनिश्चित करने के लिए निदेश करना :

परन्तु यह कि खंड (ख) के अधीन कोई आदेश किसी व्यक्ति के, जो महिला है, विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यथित व्यक्ति की किसी संतान की सुरक्षा के लिए, संरक्षण देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगा या कोई अन्य निदेश पारित कर सकेगा जो वह युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समझे ।

(3) मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा किए जाने का निवारण करने के लिए प्रत्यर्थी से, एक बंधपत्र, प्रतिभुओं सहित या उनके बिना निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन किया गया कोई आदेश समझा जाएगा और तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(5) उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश को पारित करते समय, न्यायालय, उस व्यथित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए या उसकी सहायता के लिए या आदेश के क्रियान्वयन में उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की सहायता

करने के लिए, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को निदेश देते हुए आदेश भी पारित कर सकेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, मजिस्ट्रेट, पक्षकारों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराए और अन्य संदायों के उन्मोचन से संबंधित बाध्यताओं को प्रत्यर्थी पर अधिरोपित कर सकेगा ।

(7) मजिस्ट्रेट, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में, संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया है, निदेश कर सकेगा ।

(8) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का, जिसके लिए वह हकदार है, कब्जा लौटाने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा ।

20. **धनीय अनुतोष** – (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी संतान द्वारा उपगत व्यय और सहन की गई हानियों की पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा और ऐसे अनुतोष में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे किन्तु वह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगा –

(क) उपार्जनों की हानि ;

(ख) चिकित्सीय व्ययों ;

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी संपत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि ; और

(घ) व्यथित व्यक्ति के साथ-साथ उसकी संतान, यदि कोई हों, के लिए भरणपोषण, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई आदेश या भरणपोषण के आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है ।

(2) इस धारा के अधीन अनुदत्त धनीय अनुतोष, पर्याप्त, उचित

और युक्तियुक्त होगा तथा उस जीवनस्तर से, जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्त है, संगत होगा ।

(3) मजिस्ट्रेट को, जैसा मामले की प्रकृति और परिस्थितियां, अपेक्षा करें, भरणपोषण के एक समुचित एकमुश्त संदाय या मासिक संदाय का आदेश देने की शक्ति होगी ।

(4) मजिस्ट्रेट, आवेदन के पक्षकारों को और पुलिस थाने के भारसाधक को, जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता में प्रत्यर्थी निवास करता है, उपधारा (1) के अधीन दिए गए धनीय अनुतोष के आदेश की एक प्रति भेजेगा ।

(5) प्रत्यर्थी, उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को अनुदत्त धनीय अनुतोष का संदाय करेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन आदेश के निबंधनों में संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से असफलता पर, मजिस्ट्रेट, प्रत्यर्थी के नियोजक या ऋणी को, व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्षतः संदाय करने या मजदूरी या वेतन का एक भाग न्यायालय में जमा करने या शोध्य ऋण या प्रत्यर्थी के खाते में शोध्य या उद्भूत ऋण को, जो प्रत्यर्थी द्वारा संदेय धनीय अनुतोष में समायोजित कर ली जाएगी, जमा करने का निदेश दे सकेगा ।

21. **अभिरक्षा आदेश** – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोष के लिए आवेदन की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी संतान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी संतान या संतानों से भेंट के इंतजाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यर्थी की कोई भेंट संतान या संतानों के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी भेंट करने को अनुज्ञात करने से इनकार करेगा ।

22. **प्रतिकर आदेश** – अन्य अनुतोष के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जाएं, मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति

द्वारा किए गए आवेदन पर, प्रत्यर्थी को क्षतियों के लिए, जिसके अंतर्गत उस प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट सम्मिलित हैं, प्रतिकर और नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश देने का आदेश पारित कर सकेगा ।

23. **अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति** – (1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, ऐसा अंतरिम आदेश, जो न्यायसंगत और उपयुक्त हो, पारित कर सकेगा ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या उसने किया है, या यह संभावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह व्यथित व्यक्ति के ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, शपथपत्र के आधार पर, यथास्थिति, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या धारा 22 के अधीन प्रत्यर्थी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश दे सकेगा ।

24. **न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना** – मजिस्ट्रेट, सभी मामलों में जहां उसने इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया है, वहां यह आदेश देगा कि ऐसे आदेश की एक प्रति निःशुल्क आवेदन के पक्षकारों को, उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में मजिस्ट्रेट के पास पहुंच की गई है और न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित किसी सेवा प्रदाता को और यदि किसी सेवा प्रदाता ने किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत किया है तो उस सेवा प्रदाता को दी जाएगी ।

25. **आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन** – (1) धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश व्यथित व्यक्ति द्वारा निर्मोचन के लिए आवेदन किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण अपेक्षित है तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश, जो वह समुचित समझे, पारित कर सकेगा ।

26. **अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष** – (1) धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष, किसी सिविल न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय या किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्यवाही में भी, चाहे ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, मांगा जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुतोष, किसी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ जिसकी व्यथित व्यक्ति, किसी सिविल या दंड न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद या विधिक कार्यवाही में वांछा करे, मांगा जा सकेगा ।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया गया है, तो वह ऐसे अनुतोष को अनुदत्त करने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगा ।

27. **अधिकारिता** – (1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर, –

(क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है ; या

(ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है ; या

(ग) हेतुक उद्भूत होता है,

इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा ।

28. **प्रक्रिया** – (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय

धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के अधीन सभी कार्यवाहियां और धारा 31 के अधीन अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, धारा 12 के अधीन या धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन के निपटारे के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने से न्यायालय को निवारित नहीं करेगी ।

29. **अपील** – उस तारीख से, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की, यथास्थिति, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी पर जिस पर भी पश्चात्वर्ती हो, तामील की जाती है, तीस दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में कोई अपील हो सकेगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

30. **संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना** – संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य जब वे इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हों या उनका कार्य करना तात्पर्यित हो, तब यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक हैं ।

31. **प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति** – (1) प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग, इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपराध का विचारण यथासाध्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने वह आदेश पारित किया था, जिसका भंग अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना अभिकथित किया गया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आरोपों को विरचित करते समय,

मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क या संहिता के किसी अन्य उपबंध, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) के अधीन आरोपों को भी विरचित कर सकेगा, यदि तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उन उपबंधों के अधीन कोई अपराध हुआ है ।

32. **संज्ञान और सबूत** – (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

(2) व्यथित व्यक्ति के एकमात्र परिसाक्ष्य पर, न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है ।

33. **संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति** – यदि कोई संरक्षण अधिकारी, संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निदेशित अपने कर्तव्यों का, किसी पर्याप्त हेतुक के बिना, निर्वहन करने में असफल रहता है या इनकार करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

34. **संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान** – संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाता है ।

35. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण** – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

36. **अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना** –

इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में ।

37. **केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :–

(क) वे अर्हताएं और अनुभव, जो धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन किसी संरक्षण अधिकारी के पास होंगे ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन संरक्षण अधिकारियों और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई घरेलू घटना रिपोर्ट बनाई जा सकेगी ;

(घ) वह प्ररूप और रीति जिसमें, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन संरक्षण आदेश के लिए मजिस्ट्रेट को कोई आवेदन किया जा सकेगा ;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कोई परिवाद फाइल किया जाएगा ;

(च) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कर्तव्य ;

(छ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाताओं के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने के नियम ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें इस अधिनियम के अधीन अनुतोषों की वांछा करने के लिए धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जा सकेगा और वे विशिष्टियां जो उस धारा की उपधारा (3) के अधीन ऐसे आवेदन में अंतर्विष्ट होंगी ;

(झ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन सूचनाओं की तामील करने के उपाय ;

(ञ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना की तामील की घोषणा का प्ररूप ;

(ट) परामर्श देने के लिए अर्हताएं और अनुभव जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के पास होंगे ;

(ठ) वह प्ररूप, जिसमें कोई शपथपत्र, धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन व्यथित व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकेगा ;

(ड) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जा सकेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण) – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145.00
4.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
6.	भारत का सांविधानिक इतिहास - (103वां संशोधन तक) - श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
7.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व - डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–
8.	पर्यावरण विधि - श्री मदन लाल	138	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान	2021	कीमत रु. 300/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 17552/69

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in